खण्ड–40, अंक–02
मंगलवार, 20 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936
(दिनांक 10 जून, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 40 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति – – –	"क"
नेता प्रतिपक्ष द्वारा एफ0एल0टू0 प्रकरण को नियम–310 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास – – –	1
प्रश्नोत्तर – – –	1–54
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	54
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र साल्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र देवायल व देघाट में भवनों के हस्तगत न होने और विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	54–55
विधान सभा क्षेत्र लक्सर में पिछले वर्ष आपदा के दौरान बरसात के कारण ग्राम भोगपुर से ग्राम बालावाली तक टूटे गंगा के तटबंध की सुरक्षा के लिए कोई स्टड न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	55
खटीमा शहर एवं उसके आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के कारण खटीमा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	55
जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	56
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में निरीक्षक के पद पर संविदा पर तैनात कार्मिक पर जाँच में लाखों रूपये गबन एवं सरकारी अभिलेखों में कूट रचना की पुष्टि होने के फलस्वरूप शासन द्वारा उक्त कर्मचारी को वक्फ बोर्ड से पदच्युत व विधिक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	56
जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कन्यालीकोट–जगथाना मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति के बाद लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	57

विषय				पृष्ठ संख्या
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं	–	–	–	57
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास	–	–	–	57–59
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को पुनः उठाये जाने का प्रयास	–	–	–	60–61
उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत वर्ष 2014 के प्रथम सत्र में प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)			–	61
जनपद बागेश्वर के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्तोला का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)			–	62
जनपद बागेश्वर के नरगोली हेतु नरगोल गाँव के बीच चौरा गधेरा में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)			–	62
जनपद बागेश्वर के ग्राम ठांगा के पढिगाड गधेरे से राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत घर तथा गाँव को बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)		–	–	62
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	–	–	–	62–64
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	–	–	–	64
वित्तीय वर्ष 2014–2015 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	–	–	–	64
अनुदान संख्या–01, विधान सभा (स्वीकृत)	–	–	–	64
अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् (स्वीकृत)	–	–	–	65
अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	–	–	–	65
अनुदान संख्या–05, निर्वाचन (स्वीकृत)	–	–	–	65–66
अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)			–	66
अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (स्वीकृत)	–	–	–	66

विषय			पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल (स्वीकृत)	–	–	67
अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति (स्वीकृत)			67
अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (स्वीकृत)		–	67–68
अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (स्वीकृत)		–	68
अनुदान संख्या–14, सूचना (स्वीकृत)	–	–	68
अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें (स्वीकृत)	–	–	69
अनुदान संख्या–16, श्रम रोजगार (स्वीकृत) –	–	–	69
अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान (स्वीकृत) –		–	69–70
अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास (स्वीकृत) –	–	–	70
अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ (स्वीकृत)			70
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा (स्वीकृत)	–	–	71
अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण (स्वीकृत) –	–	–	71
अनुदान संख्या–23, उद्योग (स्वीकृत)	–	–	71
अनुदान संख्या–24, परिवहन (स्वीकृत)	–	–	71–72
अनुदान संख्या–25, खाद्य (स्वीकृत)	–	–	72
अनुदान संख्या–26, पर्यटन (स्वीकृत)	–	–	72–73
अनुदान संख्या–27, वन (स्वीकृत)	–	–	73
अनुदान संख्या 28, पशुपालन (स्वीकृत)	–	–	73
अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास (स्वीकृत)		–	74
अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण (स्वीकृत)		–	74
अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण (स्वीकृत) –			75
उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित एवं पारित)	–	–	75–80
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (पारित)	–	–	80–83

विषय	पृष्ठ संख्या

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 (पारित) – – – 83–84

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 (पारित) – 85–93

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 (पारित) – – 93–138

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) 138–139

विपक्ष द्वारा बार–बार नियम–310 के अन्तर्गत किये जा रहे चर्चा के प्रयास पर मा0 मुख्यमंत्री जी की माँग – – – 139–140

राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने विषयक संकल्प पर चर्चा – – – 140–189

राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। यह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें संकल्प पर चर्चा – – – 189–190

प्रदेश में महिला सशक्तीकरण हेतु सशस्त्र पुलिस में महिलाओं को आरक्षियों के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" सदस्य विधान सभा की सूचना पर नियम–51के अन्तर्गत चर्चा – – – 190

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – – 190–191

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्राथमिक विद्यालय खिगुड़ा का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य -- -- --	191
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य -- -- --	191-192
नत्थियां -- -- --	193-195

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
3—श्री अरविन्द पाण्डे
4—श्री आदेश चौहान
5—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
6—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
7—श्री गणेश गोदियाल
8—श्री गणेश जोशी
9—श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
10—श्री चन्दन राम दास
11—श्री चन्द्र शेखर
12—डा0 जीत राम
13—श्री तीरथ सिंह
14—श्री दलीप सिंह रावत
15—श्री दान सिंह भण्डारी
16—श्री दिनेश अग्रवाल
17—श्री दिनेश धनै
18—श्री नवप्रभात
19—श्री नारायण राम आर्य
20—श्री पुष्कर सिंह धामी
21—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
23—श्री प्रदीप बत्रा
24—श्री प्रीतम सिंह पंवार
25—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
26—श्री प्रेम सिंह
27—श्री फुरकान अहमद
28—श्री बंशीधर भगत
29—श्री भीमलाल आर्य
30—श्री मदन कौशिक
31—श्री मदन सिंह बिष्ट
32—श्री मनोज तिवारी
33—श्री मयूख सिंह
34—श्री महावीर सिंह
35—श्री माल चन्द
36—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37—श्री यतीश्वरानन्द
38—श्री यशपाल आर्य
39—श्री राजकुमार
40—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
41—श्री राजेश शुक्ला
42—श्री ललित फर्स्वाण
43—श्री विक्रम सिंह नेगी
44—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
45—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46—श्री विशन सिंह चुफाल
47—श्रीमती शैला रानी रावत
48—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
49—श्री संजय गुप्ता
50—श्री सरवत करीम अंसारी
51—श्रीमती सरिता आर्या
52—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
53—श्री सुबोध उनियाल
54—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
55—श्री हरक सिंह रावत
56—श्री हरबन्स कपूर
57—श्री हरभजन सिंह चीमा
58—श्री हरिदास
59—श्री हरीश धामी
60—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61—श्री हेमेश खर्कवाल

मंगलवार, दिनांक 10 जून, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा एफ0एल0टू0 प्रकरण को नियम–310 में उठाये जाने का प्रयास

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, एफ0एल0–2 का एक ऐसा मामला है जिसने पूरे प्रदेश को दहलाकर रखा है, यही नहीं पूरे देश–विदेश और भारत में भी इसकी गूँज गई है, राष्ट्रीय अखबारों में आने के बाद.......

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मेरा अनुरोध यह है कि आप ही के द्वारा सब ने मिलकर के परिपाटी डाली है कि नियम–310 का कोई भी प्रश्न विचार के लिए प्रश्नकाल के बाद आयेगा।

श्री अजय भट्ट–

ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना मोबाईल निश्चित रूप से बन्द कर दें, क्योंकि व्यवधान हो रहा है।

प्रश्नोत्तर

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जिला योजना के बजट के आवंटन के मानक का निर्धारण एवं नीति

*श्री मदन कौशिक–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जनपद का जिला योजना का बजट क्या है,

तथा प्रत्येक जनपद को आवंटित बजट को निर्धारित करने का मानक क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सभी जिलों को निश्चित अनुपात में बजट आवंटन हेतु सरकार कोई नीति बनायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त, नियोजन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

प्रदेश में जिला योजना के बजट का जनपदवार विवरण संलग्न है। †

नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय के दृष्टिगत प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता के आधार पर बजट आवंटन का मानक है।

चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 से जिला योजना के बजट को अलग–अलग लेखाशीर्षकों के स्थान पर वित्त विभाग के अधीन अनुदान संख्या–7, 30 व 31 में लेखाशीर्षक "2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम, 00–सामुदायिक विकास, 91–जिला योजना 03–जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एकमुश्त व्यवस्था, मानक मद–42 (अन्य व्यय)" के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा उक्त मानक के अनुसार सीधे जिलाधिकारियों के निवर्तन पर एकमुश्त बजट दिये जाने की नीति अपनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि प्रत्येक जनपद के आवंटन के लिए बजट को निर्धारित करने का मानक क्या है और माननीय मंत्री जी ने कहा निर्धारित परिव्यय, तो मैंने यही तो पूछा कि वह निर्धारित परिव्यय का नियम क्या है? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि एकमुश्त जिलों को पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। इस वर्ष की जो जिला योजना है, इस वर्ष की जिलायोजना के सापेक्ष क्या पूरा पैसा उपलब्ध करा दिया गया है और यदि नहीं कराया गया है तो अभी तक कितने प्रतिशत नहीं कराया गया है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पूरा करा दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक बार आप पता कर लीजिए कि कितना उपलब्ध कराया है, अभी तक लगभग आधा पैसा भी जिला योजना का उपलब्ध नहीं हुआ है और यह मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप सबसे पूछ लीजिए।

---

†(विवरण देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 183–184 पर)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे जो जानकारी दी गई है वह बताया और यदि मुझे गलत जानकारी दी गई है तो मैं जरूर पूछूँगी। मुझे बताया गया है कि पूरा पैसा भेज दिया गया है। मान्यवर, आपने मानक के सम्बन्ध में पूछा है, तो यह बहुत पहले से मानक बने हैं और पर्वतीय क्षेत्र की दुरूह परिस्थितियों में, इनके पर्वतीय भौगोलिक विषमता, प्राकृतिक अवरोध, जनसंख्या का घनत्व मैदानी जनपदों की तुलना में कम होने के बाद, क्षेत्र में कम बसावट होने के कारण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होने के कारण प्रत्येक कार्य में यातायात की सुविधा अल्प होने के फलस्वरूप लागत वृद्धि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होने के कारण पर्वतीय जनपदों को राज्य सेक्टर का लगभग 52 प्रतिशत परिव्यय दिया जाता है और मैदानी क्षेत्रों को यह 30 प्रतिशत दिया जाता है। यह पहले से भी था और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद भी यही स्थिति है और इसके पीछे मेरे पास बहुत सारी डिटेल है जिसमें लिखा है कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति–जनजाति की संख्या 5 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या 10 प्रतिशत, कृषि 5 प्रतिशत, उद्योग 5 प्रतिशत, सड़क 5 प्रतिशत, ऐसी ही बहुत सारी विद्युतीकृत ग्राम, अस्पतालों में शय्याओं की संख्या, पेयजल अभावग्रस्त गाँव, तो ये इस प्रकार के कुछ प्वाइंट बनाये हैं, जिनका प्रतिशत तय करके इस प्रकार मैदानी क्षेत्र का 95 प्रतिशत आया है और पर्वतीय क्षेत्र का सौ प्रतिशत आया है। पर्वतीय क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है, उनकी दुरूह परिस्थितियों को देखते हुये, इस आधार पर योजना में परिव्यय निर्धारित किया जाता है। यदि आपका कोई विशेष सुझाव होगा इस परिव्यय को बढ़ाने के सम्बन्ध में या क्षेत्रफल के आधार पर या व्यापकता के आधार पर उस पर जरूर विचार किया जायेगा, ऐसे कोई सुझाव हों तो अवश्य दे दें। वैसे यह भी आपको पता है कि मात्र जिला योजना से विकास तो नाममात्र का ही होता है, केवल इतना होता है कि भागीदारी अवश्य विधायकगणों की हो जाती है, जिससे उन्हें संतोष होता है कि जो हिस्सा छूटा है उसे वे बनवा लेंगे, वरना स्टेट सेक्टर और केन्द्र सेक्टर ही विकास का मुख्य आधार होता है और स्टेट सेक्टर और केन्द्र सेक्टर से ही मिलता है, उत्तराखण्ड को बहुत सारे मामलों में 90–10 का अनुपात प्राप्त है, बहुतों में 75–25 का, बहुतों में 70–30 का अनुपात प्राप्त है, तो फिलहाल अभी तक आर्थिक स्थिति जो केन्द्र से लाभ प्राप्त हो रहा है उससे ठीक बनी हुई है, आपके कोई सुझाव होंगे तो उसे भी जब हम नियोजन की बैठक करेंगे, बात–चीत करेंगे तो उसे समावेश कर लेंगे।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, झूठ बोला जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 'झूठ' असंसदीय शब्द है, सत्य से परे बोल सकते हैं। मान्यवर, यह सदन ट्रेनिंग सेन्टर भी है। 'झूठ' बोलना असंसदीय भाषा है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, सत्य से परे कहा जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दोबारा देख लीजिए कि अभी जिला योजना का 50 प्रतिशत पैसा भी जिलों को आवंटित नहीं किया गया है, आपने परिव्यय तय कर दिया, मान्यवर, मैं दूसरा निवेदन आपसे चाहता हूँ कि जब इस राज्य का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जो स्थिति, परिस्थिति उस समय जिला योजना की थी, उसमें 10 प्रतिशत बढ़ाकर, वह राशि ज्यों की त्यों रख ली गयी। मान्यवर, उसके बाद आज भी जो मानक आपने बताये, चूंकि आपने राज्य योजना की बात की है, बजट की बात की है। यह इतना बढ़ने के बाद भी हम जिला योजना में मात्र 10 प्रतिशत या किसी वर्ष जीरो प्रतिशत बढ़ाकर, उसको सीज कर देते हैं कि इस बार बजट नहीं रहेगा। यदि इसके आधार पर नये सिरे से उसका निर्धारण हो तो मैं समझता हू कि जितनी यह जिला योजना इस समय तय हुई है, उससे दो गुना या तीन गुना अधिक होगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिला योजना निर्धारण की घोषणा आप इस सदन में करिये। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जिन जिलों के बारे में अभी तक जिला योजना का आवंटन नहीं हुआ है, उन जिलों के बारे में भी आप स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे पास अभी दिनांक 29 मई 2014 को वित्त विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि 2014–2015 के आय–व्ययक की जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। मान्यवर, अभी तक मात्र 350 करोड़ से ऊपर की धनराशि नहीं गयी है, यह पहली बार है कि पूर्ण 750 करोड़ रू0 सैंक्शन किया गया है, जो मुझे जानकारी दी जा रही है, उस जानकारी में उनका कहना है कि हमने ये स्वीकृतियां दे दी हैं। ऑन लाईन बजट आवंटन की आई0डी0 लेखा शीर्षक वार संलग्न है, जिला योजना वार्षिक योजना है किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को अवमुक्त ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। मान्यवर, इस तरह का एक पत्र बनाकर भेजा गया है, मुझे यह जानकारी दी गयी है। यह पूरा भेज दिया गया है। मान्यवर, इसी का एक शासनादेश 29 मई 2014 का मेरे पास है। जिसमें सामान्य अनुदान, एस0सी0पी0 अनुदान, टी0एस0पी0 अनुदान इसकी सूचना दी गयी है। आपने मुख्य रूप से यह जानना चाहा कि क्या इस पर एक बार पुनर्विचार किया जायेगा और जिला योजना के आधार में कुछ परिवर्तन किया जायेगा। मान्यवर, बजट बढ़ाकर और जो कोई परिवर्तन भले ही हो जायं,

परन्तु यह परिवर्तन कर पाना शायद संभव नहीं हो पायेगा। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की एक कठिन परिस्थिति और मैदानी क्षेत्र की तुलनात्मक कुछ सहज स्थिति, यह तो परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन बजट का आकार क्या बढ़ सकता है इस पर बैठकर बात की जा सकती है। यदि संभव हुआ तो अवश्य बढ़ा दिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जिला योजना अभी जिलों में कहीं भी नहीं पहुंची है, यह गलत सूचना है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेरे पास यह लिखी हुई सूचना है। मान्यवर, यह पहली बार हुआ है कि पूर्ण 750 करोड़ रू0 सैंक्शन कर दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, टोटल जिला योजना 592 करोड़ रू0 की है। यह कहां से कर दिया गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, 750 करोड़ रू0 की है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है 592 करोड़ रू0 इससे पहले परिव्यय था।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह पहली बार हुआ है कि पूरा 750 करोड़ रू0 सैंक्शन किया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह पूरी सूचना सही नहीं है। 750 करोड़ रू0 जिलों में नहीं पहुंचा है, हो सकता है कि यह परिव्यय होगा।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह बजट है, जिलों में पहुँच रहा होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, बजट अवमुक्त करने की प्रक्रिया ऑन लाईन कर दी गयी होगी और इन्होंने अपने यहाँ डाल दिया होगा, जो अधिकारी हैं, उन्हें अपने यहां ड्रा करना चाहिए। कहीं यह स्थिति तो नहीं है।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय में आदेश कर दिये गये हैं और आदेश जिलों में पहुंच गये हैं। हमारे जो जिला प्रभारी मंत्रीगण हैं, उनसे भी कह दिया गया है कि आप बैठक बुलाकर तैयारियां कर दीजिए। आप डी0पी0सी0 के गठन का इंतजार न करिये, ताकि यह प्रक्रिया आगे बढ़ सके और जिस उद्देश्य के साथ सीधे जिलों में यह पैसा दिया गया है, हम चाहते हैं कि वह उद्देश्य पूरा हो, ताकि जिला योजना में खर्च की जो मद घटती जा रही है, उसको बढ़ाया जा सके।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री के रूप में हरिद्वार जनपद के जिला योजना की दिनांक 25–07–2013 की बैठक में जो चालू योजनाएं बतायी गयी थी कि जो प्रस्तावित योजनाएं उस समय बतायी गयी थी दिनांक 25–07–2013 को। मान्यवर, जो चालू योजनाएं थीं उनके टेंडर विभाग द्वारा कर दिये गये, लेकिन इन योजनाओं के मद में पैसा न पहुँचने के कारण पिछले वर्ष 2012–2013 की योजनाएं भी शुरू नहीं हो पायी हैं। आपने भी जिला योजना की बैठक में यह कहा था कि एकमुश्त धनराशि भेज दी जायेगी, लेकिन दिनांक 25–07–2013 को जिला योजना की जो बैठक हुई थी, उसका पैसा भी अभी तक किसी विभाग में नहीं पहुँचा है। या तो विभाग गलत जानकारी दे रहा है, या तो आपने पैसा नहीं भेजा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है आपने जानकारी दी है मैं इसकी फाईल मंगाकर बाकायदा देखूंगी, यदि पैसा नहीं पहुँचा होगा तो वह पहुँच जायेगा।

श्री नारायणराम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिला योजना के लिए जो धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें टी0एस0पी0 और एस0सी0पी0 का कितना प्रतिशत है? क्या उसी के अनुसार जिला योजना में यह धनराशि आवंटित की गयी है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिला योजना में जो धन आवंटन है उसी का वर्गीकरण आपके साथ बैठक कर किया जाता है। यदि आपके क्षेत्र में किया गया होगा तो अवश्य शामिल होगा।

श्री नारायणराम आर्य–

मान्यवर, क्या प्रतिशत है, मैंने यह जानना चाहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रतिशत तो उसी में से निकलना है। आप जितना प्रतिशत प्रस्तावित करेंगे, उतना प्रतिशत मंजूर कर दिया जायेगा।

श्री नारायणराम आर्य–

मान्यवर, 16 नवम्बर, 2012 को प्रमुख सचिव, एस0राजू के हस्ताक्षर से एक शासनादेश निर्गत हुआ था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिन भी योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा धन आवंटित किया जायेगा, या केन्द्र सहायतित योजनाओं में जो धन आवंटित किया जायेगा, उसमें एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 का पूर्ण रूप से उनके प्रतिशत के अनुसार धनराशि दी जायेगी, क्या यह धनराशि जिला योजना में दी गयी है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है। सामान्य अनुदान, एस0सी0पी0 का अनुदान, टी0एस0पी0 का अनुदान, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर को मिलाकर जो 13 जिले हैं, प्रदेश के 13 के 13 जिलों की पूरी डिटेल मेरे पास है। इसे मैं आपको दे दूंगी, आपके अलावा अन्य कोई माननीय सदस्य जानना चाहेगा तो मैं उन्हें भी यह दे दूंगी।

श्री नारायणराम आर्य–

मान्यवर, मेरी जानकारी में जो मानक है, उस शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत, जनजाति के लिए 23 प्रतिशत, लेकिन मैं इस आवंटित धनराशि में इस प्रतिशत का पालन किया जाना नहीं देख पा रहा हूँ। क्या भविष्य में भी यही किया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या आपके पास यह विवरण है? इसमें एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 का विवरण उपलब्ध है।

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, यह विवरण मेरे पास है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी उल्लेख किया है कि मैदानी क्षेत्र में कुल धनराशि का 30 प्रतिशत निर्गत किया जाता है, जबकि यहां की आबादी लगातार बढ़ रही है और जो जनगणना की रिपोर्ट 2011 की आयी है, उसमें भी आबादी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। क्या माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करेंगी कि मैदानी क्षेत्र में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया

जायेगा और जो बात यह कही गयी है कि 30 प्रतिशत मैदानी जिलों को दिया जाता है, आपने जो लिस्ट दी है, इसके अनुसार कुल 22 प्रतिशत पैसा बन रहा है। यह जो गैप बन गया है, जैसा कि आपने 30 प्रतिशत का उल्लेख किया है, उसका मानक इस विवरण के अनुसार पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि पहले जिला योजनाओं में विधायकों की भूमिका होती थी, उसमें बड़ी योजनाएं स्वीकृत होती थीं, जो गाँव से गाँव को जोड़ते हुए ड्रैनेजेज हों, गाँव से गाँव को जोड़ती हुई सड़कें हों। परन्तु अब हो क्या रहा है, जब से बी0डी0सी0 मेम्बर्स और छोटी इकाईयाँ बन गयी हैं, तब से यह योजनाएं छोटी-छोटी योजनाओं में परिवर्तित हो गयी हैं। जो जनसामान्य लोग सड़कों और नहरों का फायदा उठा सकते हैं, वह कार्य नहीं हो रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, यह पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत हुआ है, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, छोटी-छोटी गलियाँ जिला योजना से बन रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे प्रश्न पूछें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, मैं चाहूँगा कि पिछली जो योजनाएं रहीं, जब विधायक उसमें थे, जब विधायक क्रियाशील मेम्बर आपने खत्म कर दिया है तो इसमें एक कम्पेरिजन होना चाहिए कि पहले किस तरह की योजनाएं स्वीकृत हो रही थीं और अब किस तरह की योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं। मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना तजुर्बा है, अब जो योजनाओं का स्तर होना चाहिए, वह स्तर नहीं रहा और उसका नुकसान कहीं न कहीं विकास पर हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी ने संभवतः इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि भागीदारी चूँकि पंचायत मेम्बर्स की इसमें प्रमुख रूप से होती है। हरिद्वार में भी यह प्रश्न प्रमुख रूप से उठे तो यह तो भारत सरकार का पंचायती राज एक्ट, जो हम सबको लागू करना है, उसके अनुसार जो नीति निर्धारण है, उसी के हिसाब से, भागीदारी के हिसाब से, उनकी भागीदारी भी रहती है और आपकी भागीदारी भी रहती है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ कि हमें योजनाएं किस प्रकार से लेनी हैं? क्या जिला योजना में सिर्फ छोटी–छोटी गलियाँ बनानी हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, विभाग के अधिकारियों के साथ, पंचायत के मेम्बर्स के साथ बैठते हैं तो यह तो आपको तय करना है। यह हम यहां से तय करके थोप नहीं सकते।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, विधायक क्रियाशील मेम्बर नहीं हैं उसमें। न हमसे प्रस्ताव लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि मैदानी क्षेत्र के मानकों में क्या आप कुछ बदलाव करने जा रहे हैं ? आपने 30 प्रतिशत कहा, इसमें 22 प्रतिशत नजर आ रहा है। यह तो 8 प्रतिशत पैसा मैदानी क्षेत्रों में कम हो गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको नजर जो भी आ रहा हो, नियमतः यही है कि 52 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र के लिए और 30 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र के लिए है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने जो लिस्ट दी है, इसमें कम प्रतिशत हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसी के आधार पर यह बना हुआ है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 2012–13 का जिला योजना का जो पैसा है, 2012–13 की जिला योजना के जो काम हैं, उनके सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों से जब बात करते हैं तो उनका यह कहना है कि 2012–13 की जिला योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह पैसा सब जगह नहीं मिला है या केवल देहरादून में ऐसा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह मैं जनरल नहीं बता सकती हूँ। यदि कहीं के जिलाधिकारी या माननीय सदस्य के द्वारा कोई सूचना होगी तो उसका परीक्षण करके उसका निदान हो सकता है। जनरल नहीं बताया जा सकता है इसका उत्तर।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, जब देहरादून का यह हाल है तो अन्य जनपदों का क्या हाल होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने देहरादून का उल्लेख किया, यह जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, आपके जनपद में जिन–जिन विभागों को 2012–13 का पैसा नहीं मिला है, लिखित में दे दीजिए, उसको देख करके भिजवा दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न

*01–श्री नवप्रभात–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

*02–श्री नवप्रभात–

चतुर्थ सोमवार के तारा0–03 में स्थानान्तरित

*03–श्री नवप्रभात–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव नौगाँव के सामुदायिक केन्द्र में चिकित्सक न होने से पोस्टमार्टम की समस्या

*04–श्री मालचन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगाँव में डॉक्टर नहीं है जिससे दुर्घटना होने पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था पूरी रंवाई घाटी में कहीं भी न होने के कारण समस्या लगातार बनी रहती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगाँव में पोस्टमार्टम/डाक्टरों की व्यवस्था करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव में 01 चिकित्सा अधीक्षक कार्यरत है एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आराकोट से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव में एक चिकित्सा अधिकारी को सम्बद्ध किया गया है। पी0पी0पी0 मोड में निजी साझीदार द्वारा

05 चिकित्सक तैनात किये गये हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगाँव में पोस्टमार्टम गृह का निर्माण हो चुका है। उपरोक्त पोस्टमार्टम गृह को क्रियाशील किये जाने हेतु गृह विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगाँव में 01 चिकित्सा अधीक्षक कार्यरत है एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आराकोट से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगाँव में एक चिकित्सा अधिकारी को सम्बद्ध किया गया है, जिनके द्वारा पोस्टमार्टम का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पी0पी0पी0 मोड में निजी साझीदार द्वारा 05 चिकित्सक तैनात किये गये हैं जिनके द्वारा पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। केवल राज्य के सरकारी चिकित्सक ही पोस्टमार्टम का कार्य कर सकते हैं। दुर्घटना/मास कैजुअल्टी में आवश्यकता पड़ने पर राजकीय चिकित्सकों के द्वारा जिला अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर दुर्घटना स्थल पर पोस्टमार्टम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मालचन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो सरक ार से पूछना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड में सबसे बड़ा विकास खण्ड नौगाँव विकास खण्ड है और यमुनोत्री धाम का पहला पड़ाव है। सरकार ने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगं 'व को पी0पी0पी0 मोड में दिया, तो क्या सरकार रवाई घाटी को तोहफा देना चाहती है, ' सरकार की क्या मंशा थी पी0पी0पी0 मोड में देने की और उससे क्या–क्या फायदा हमक ो मिला? यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पी0पी0पी0 मोड में देने का कोई शौक नहीं है सरकार को। डाक्टरों की उपलब्धता किसी प्रकार यदि निजी लोगों को शामिल करने प हो सकती है और वह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, इसलिए दिया गया है। चूँकि सुदूर अंचल में डॉक्टर्स नहीं जा रहे थे, पी0पी0पी0 मोड के बाद भी नहीं जा रहे हैं। जहाँ प ' सकते थे, वहाँ दिया गया है। उस पर सख्ती भी बरती गयी है, पी0पी0पी0 मोड में ज ' उन्होंने अण्डरटेकिंग दी है, यदि डॉक्टर वे नहीं भेज पा रहे हैं, तो उन पर फाईन भी कि ाया गया है और यदि फाईन के बाद भी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें नोटिस दिय । गया है कि क्यों न आपका पी0पी0पी0 मोड कैंसिल कर दिया जाय। यह आपके ही दूर रे प्रश्न का जवाब है।

श्री मालचन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, डॉक्टर नहीं है, आपने पी०पी०पी० मोड में दे दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका। क्या पी०पी०पी० मोड में जिन डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है, वे डिग्री होल्डर हैं, विशेषज्ञ हैं? आपकी जानकारी में है क्या?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पी०पी०पी० मोड में यदि कोई शर्त रखी जाएगी, तो योग्यता के आधार पर, मानक पूरे करने पर, जिसके पास डिग्री नहीं होगी, उसको कैसे भेज देंगे? जिम्मेदारी सरकार की है। बाकायदा पूर्ण डिग्री धारक इलिजिबिल डॉक्टर ही भेजा जाएगा।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, अगर आपको जानकारी है, तो नौगांव में पी०पी०पी० मोड में जो डॉक्टर भेजे गये हैं, उनकी डिग्री फर्जी पाई गयी और उनको वापस भेजा गया है। यह सरकार ने हमको तोहफा दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि डिग्री फर्जी थी और आपकी सूचना पर वापस भेज दिया गया, तब तो ठीक काम हुआ कि फर्जी आपने पकड़ लिया और उसको वापस भेज दिया गया।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, आप इसको दिखवा लीजिएगा। यह इतना गंभीर मामला है कि फर्जी डॉक्टर को भेजा जा रहा है वहां पर पी०पी०पी० मोड द्वारा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जिसने पी०पी०पी० मोड पर कॉन्ट्रेक्ट किया होगा, उसके पास जो इन्टरव्यू में आएंगे, वह गलत सूचना के आधार पर पहुंच गये होंगे। ऐसी बेईमानी लोग करते हैं और निकाल भी दिये जाते हैं।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, इसको पी०पी०पी० मोड से क्यों नहीं हटा दिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, सुविधा चाहिए। असली प्रश्न आपका यह कहां है? असली प्रश्न तो आपका यह है कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। असली सवाल पर आ जाईए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पी0पी0पी0 मोड में हमने इसलिए उत्तराखण्ड के हॉस्पिटल दिये थे कि व्यवस्था चुस्त और दुरूस्त होगी और अगर वहाँ भी व्यवसायीकरण हो गया, बिना डिग्री के फर्जी डाक्टर आ गए, जैसा कि आपने कहा है। क्या सरकार जो–जो हॉस्पिटल पी0पी0पी0 मोड में दिये गये हैं उनमें जितने भी चिकित्सक हैं, उन सभी चिकित्सकों की डिग्री का परीक्षण करा कर सदन को बताने का कष्ट करेगी? यदि हाँ, तो कितना समय इस परीक्षण में लगेगा? ये भी बताएं क्योंकि माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर बात पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोली है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, पी0पी0पी0 मोड में दिया जाना पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकता भी बन गयी है। फर्जी डॉक्टर आएं, गलत डिग्री वाले आएं तो इसका निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों के प्रति, जिन लोगों ने ये हॉस्पिटल लिए हैं। फर्जी डिग्री लेकर लोग आ सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, एडमीशन्स में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उनको सख्त हिदायत दी जाएगी। आपने ध्यान आकर्षित किया है नौगाँव का। इसको हम दिखवा लेंगे, हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री मालचन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पोस्टमार्टम के बारे में भी किया था। आपने अपने उत्तर में दिया है कि आराकोट से एक डॉक्टर को नौगांव में सम्बद्ध कर दिया गया है और जब कोई दुर्घटना होती है तो हम लोग डी0एम0 या सी0एम0ओ0 से बात करते हैं, तब उत्तरकाशी से डाक्टर नौगाँव आता है। अगर आपने डाक्टर आराकोट से नौगाँव में सम्बद्ध किया है, सरकार उसकी तन्ख्वाह दे रही है तो उसका काम केवल पोस्टमार्टम करना नहीं होगा, जो मेरी जानकारी में है। वह अन्य बीमारियों का भी इलाज कर सकता है तो सीधे–सीधे सरकार उस डाक्टर को नौगाँव सम्बद्ध करती है और क्या सरकार पोस्टमार्टम नियमित रूप से चलाने पर विचार करेगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, पोस्टमार्टम पी0पी0पी0 मोड के डॉक्टर्स से नहीं कराया जाएगा। (व्यवधान) मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है और आप मुझे धन्यवाद भी दे दीजिए कि जब आपका प्रश्न आया तो मैंने आपके यहाँ पोस्टमार्टम कराने की सुविधा के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग को बैठाकर आदेश करा दिया। तत्काल पोस्टमार्टम हाऊस खोला

जाय, बन्द था आपका सालों से। चिट्ठी–पत्री हो रही थी, आपको मालूम है। पता चला गृह विभाग करेगा, पता चला स्वास्थ्य विभाग करेगा। स्वास्थ्य और गृह विभाग दोनों को बैठाकर बात कराकर आपके यहाँ पोस्टमार्टम की व्यवस्था करा दी। अब यह बात मैंने भी ध्यान से सुन ली। आराकोट और नौगाँव का बहुत डिस्टेंस है। नौगांव में पोस्टमार्टम करने के लिए डाक्टर अलग से तैनात होना चाहिए। हाँ, वह डाक्टर केवल पोस्टमार्टम के लिए न हो। फिजिशियन या इस नेचर का हो, जो अन्य बीमारियों का इलाज भी कर सके क्योंकि डाक्टरों की कमी है। इसका हम परीक्षण कराकर निदान करा देंगे।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, नौगाँव में पी0पी0पी0 मोड में हॉस्पिटल है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मरीज जाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। एक महिला डॉक्टर है, वह भी विशेषज्ञ नहीं है। वहाँ पर जितने मरीज जाते हैं, उनके टेस्ट कराए जाते हैं फालतू में। जब डॉक्टर नहीं है तो टेस्ट कराने की आवश्यकता क्या है? जब उसका परीक्षण कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता तो टेस्ट करने की आवश्यकता क्या है?

लोगों से फालतू धन वसूली की जा रही है और मुझे जानकारी है कि सरकार द्वारा भी, मैं समझता हूँ कि जो टेस्ट रिपोर्ट का पैसा खर्च होता है, लोगों से टेस्ट का डबल पैसा लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस टेस्ट पर रोक लगेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि वहां पर टेस्ट किये जा रहे हैं इलाज भी ढंग से नहीं हो रहा है और पी0पी0पी0 मोड पर डॉक्टर भी नहीं हैं। इसका परीक्षण कराकर समाधान किया जायेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का हॉस्पिटल है और महत्वपूर्ण है, पोस्टमार्टम हाउस के लिये मैंने तुरन्त गृह विभाग को बुलाकर आदेश निर्गत करवाये।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत वि0ख0 नौगाँव के सामुदायिक केन्द्र में डॉक्टरों की नियुक्ति

*05–श्री मालचन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के वि0ख0 नौगांव के स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र को सरकार द्वारा पी0पी0पी0 मोड में दिया गया जहां पूर्व की भांति डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ, प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पी0पी0पी0 मोड में दिया गया है। सा0स्वा0 केन्द्र नौगाँव, जनपद उत्तरकाशी को पी0पी0पी0 मोड में देने से पूर्व वहाँ 05 चिकित्सक एवं एक अधीक्षक कार्यरत थे। वर्तमान में भी उक्त सामु0स्वा0 केन्द्र में 05 चिकित्सक एवं एक अधीक्षक कार्यरत हैं। अनुबन्धानुसार उक्त चिकित्सालय में 12 चिकित्सक नियुक्त किये जाने हैं। शेष चिकित्सकों की तैनाती हेतु निजी साझेदार को निर्देशित किया गया है। कम चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने के कारण निजी साझेदार के बीजकों से माह दिसम्बर में रू0–28,94,878/– एवं माह मार्च में रू0–15,53,074/– की कटौती की गयी है। यदि निजी साझेदार अनुबन्धानुसार चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो अनुबन्ध निरस्त करने पर विचार किया जायेगा।

सामु0स्वा0 केन्द्र नौगाँव उत्तरकाशी को सरकार द्वारा लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। पी0पी0पी0 मोड में संचालित सम्बन्धित चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती निजी साझेदार द्वारा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मालचन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब यह हॉस्पिटल सरकार के अधिग्रहण में था, तो कितने पद सृजित थे और जब पी0पी0पी0 मोड में गया तो कितने पद सृजित हुये और कितने डॉक्टर वहाँ पर वर्तमान में हैं, इसमें सरकार की क्या मंशा थी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब यह हॉस्पिटल सरकारी था तो पाँच चिकित्सक और एक अधीक्षक कार्यरत् थे। इस समय अनुबन्ध के अनुसार 12 चिकित्सक नियुक्त किये जाने हैं, शेष चिकित्सकों की तैनाती हेतु निजी साझीदार को निर्देशित किया गया है।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, आपने 10 की जगह 12 पद सृजित कर दिये, इसके लिये आपका धन्यवाद और पी0पी0पी0 मोड में जिस भी सज्जन का होगा। लेकिन वर्तमान में वहाँ मात्र 5 डॉक्टर हैं और महिला डॉक्टर की आवश्यकता पूरे क्षेत्र में पड़ती है। यह भी विशेषज्ञ नहीं है और एकमात्र फिजीशियन वहाँ पर है।

श्री अध्यक्ष–

आप पूछना क्या चाह रहे है, स्पष्ट करें।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति पूर्व की भांति होगी या सरकार इसे पी0पी0पी0 मोड से हटायेगी? एक और प्रार्थना है मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विधान सभा पुरोला की बात कर रहा हूँ, विकास खण्ड मोरी में लिवाड़ी, फिताड़ी में कुछ आयुर्वेद डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, इसके लिये आपका धन्यवाद। माननीय नेता सदन भी यहाँ पर हैं, मेरी आपसे विनती है, जो मेरे क्षेत्र में आयुर्वेद डॉक्टर है, उनको एलोपैथिक दवाईयां दी जानी चाहिये। ताकि उल्टी दस्त के समय छोटी–मोटी बीमारी के समय लोगों को दवाई उपलब्ध हो जाय और वह मुख्य अस्पताल पहुंचे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनसे काम लिया जाय, सरकार उनको वेतन दे रही है, तो मेरी विधान सभा में आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाई देने का काम करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पी0पी0पी0 मोड में 12 डॉक्टर रखने की बात हुई है, जिनके साथ यह अनुबन्ध हुआ है। (व्यवधान) आपको डॉक्टर तो चाहिये, 12 डॉक्टर नियुक्त करने का अनुबन्ध है। जब उन्होंने अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नहीं किया तो उन पर दो बार फाइन डाला गया, 28 लाख 94 हजार और 15 लाख 53 हजार और उनको नोटिस दिया गया है कि यदि वह अनुबन्ध के अनुसार तत्काल नियुक्ति नहीं करते हैं तो अनुबन्ध निरस्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। (व्यवधान) आपका प्रश्न देखने के बाद मैंने यह निर्देशित करवाया है। (व्यवधान) जहाँ तक आपने आयुर्वेद की बात की है, आयुर्वेदिक वाले एलोपैथिक और आयुर्वेद दोनों पढ़ते हैं, जहाँ कहीं आयुर्वेद में कठिनाई आती है, वहाँ एलोपैथ वाले मदद करते हैं। आपने कहा कि आयुर्वेदिक वालों को एलोपैथिक जैसे अधिकार दे दिये जायं, यह आप चाह रहे हैं, यह एक नीतिगत विषय है, इसे मंत्रिमंडल में विचार करने के उपरान्त ही पास किया जायेगा।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं, उनको एलोपैथ की दवा भी दी जाय, लिवाड़ी, फिताड़ी, ओसला, गंगाड़ में।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, हमें एक छोटी सी स्लिप प्राप्त हुई है, मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इसका अवलोकन कर लें। फोटो सेशन के बारे में है, आपका संरक्षण चाहिये, आप इसका अवलोकन कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास तो कोई स्लिप नहीं आई।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आपकी आज्ञा होती, जरूर अनुपालन कर लेते।

श्री अध्यक्ष–

यह फोटो सेशन के सम्बन्ध में है?

श्री नवप्रभात–

जी मान्यवर, आप इसे जरा नीचे तक पढ़ें। (व्यवधान) आज्ञा आपकी होती जो हमें भी जरा सम्मान प्राप्त होता।

श्री अध्यक्ष–

आज्ञा है, इसमें, फोटो सेशन होगा। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, सचिव, विधान सभा आज्ञा दे रहे हैं, (व्यवधान) मान्यवर, सचिव, विधान सभा आज्ञा देने के लिये अधिकृत हैं या आप अधिकृत हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने स्वयं कहा सचिव से कि आप सभी को एक पर्चा दे दें, ताकि सब लोग वहाँ पर खड़े हो सकें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसके लिये हम आपके आभारी हैं।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पर्वतीय एवं मैदानी मार्गों पर जनहित में घाटे पर बसों का संचालन

*06– श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम प्रदेश में किन किन मार्गों पर जनहित में घाटे पर बस सेवायें संचालित कर रहा है?

क्या सरकार घाटे में चल रही बसों को बन्द करने जा रही है?

यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से वर्तमान तक किन–किन रूटों से बस सेवा बन्द कर दी गई है?

क्या सरकार जनता की सुविधा के दृष्टिगत बन्द की गई बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

उत्तराखण्ड परिवहन निगम 157 पर्वतीय मार्गों एवं 82 मैदानी मार्गों अर्थात कुल 239 मार्गों पर जनहित में घाटे से बस सेवायें संचालित कर रहा है।

जी नहीं।

घाटे पर चल रहे मार्गों से बस सेवा को बन्द नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि प्रदेश में किन–किन मोटर मार्गों में घाटे में बसें चल रही हैं। माननीय मंत्री जी ने 157 और 82 तो बताया, लेकिन कौन–कौन से मार्ग हैं, वह नहीं बताये। एक तो कौन–कौन से मार्गों पर चल रहे हैं, यह बता दें?

और मेरा प्रश्न था कि जब 239 मोटर मार्गों पर बसें घाटे से चल रही हैं तो पूरे साल में कितना–कितना घाटा किन मार्गों में आ रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दें?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने सवाल पूछा कि किन–किन मार्गों में यह बसें चल रही हैं, इसका पूरा विवरण मेरे पास बहुत लम्बा–चौड़ा है। आप चाहें तो इसकी कापी ले लेंगे, सदन के पटल पर मैं रख सकती हूँ, इसको प्राप्त कर लीजिये। दूसरा आपने जानना चाहा तो 157 पर्वतीय मार्ग और 82 मैदानी मार्गों में घाटा होने का बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश से अभी तक समाधान नहीं हो पाना। उत्तर प्रदेश से परिवहन निगम का समाधान नहीं हो पाने के कारण पुराना घाटा चलता चला आ रहा है, सीजन के समय जब बारिश आदि होती है, तो रास्ते टूट जाते हैं, अवरूद्ध हो जाते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली बसों को भी नुकसान हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की बसें घाटे पर चलती हैं, यह हमारी अनिवार्यता है, घाटा भी होगा, तब भी चलानी पड़ेगी जनहित में और मैदानी क्षेत्रों में घाटा होने का बड़ा कारण, जो मैंने विभाग से जानकारी प्राप्त की,वह अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समाधान न हो पाना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कौन–कौन से मार्ग पर कितना–कितना घाटा है, इसकी आप जानकारी दे दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मार्ग सभी लिखे हुये हैं, घाटा अभी नहीं बताया जा सकता है। जब तक उत्तर प्रदेश और हमारे बीच के कागजात नहीं आ जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यदि लगातार घाटा हो रहा है और सरकार घाटे में ही चला रही है तो मुझे लगता है कि एक दिन डिपार्टमेंट बन्द ही हो जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बन्द नहीं होगा, जनहित में चलता रहेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सरकार घाटे को दूर करने के लिये कोई उपाय कर रही है। जब विभाग और मंत्रालय बना हुआ है तो उपाय तो होना ही चाहिये। घाटे में चल रहे किसी भी मार्ग को बन्द नहीं किया गया है, 2013–14 में देहरादून–देघाट जो बस चलती है, वह 2013 और 14 में दो बार बन्द की गई। जब मैंने वहां पर बात की तो उन्होंने कहा कि बस घाटे में चल रही है, इसलिये बन्द कर दी है। फिर माननीय मंत्री जी से पत्र लिखवाकर दिया, तब भी बस स्टार्ट नहीं कराई गई, जब फोन करवाया गया, तब बस चलाई गई है। यह जवाब गलत है कि बस बन्द नहीं की गई है, दूसरी बात यह है कि उसमें निरन्तरता नहीं रहती है, एक दिन जाती है, फिर चार दिन बाद जाती है। एक तो इसकी निरन्तरता होनी चाहिये और जो जवाब गलत आया है, उसकी जांच करवा कर ठीक करा लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चूंकि परिवहन मंत्री जी नहीं हैं, उनके विभाग के साथ बैठकर, यदि मेरी आवश्यकता हुई तो मैं भी यह प्रयास करूंगी कि जहां बस चल रही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में एक ही बस चलती है और वह भी न चले तो बहुत कठिनाई होती है, वह अवश्य चले, यह बन्द हुई तो किन कारणों से हुई, इस पर भी बात की जायेगी और इसका समाधान किया जायेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि कुछ क्षेत्रों में घाटे में बसें चल रही हैं तो क्या अनुबंधित बसें जैसे

पहले संचालित होती थी आज भी वो संचालित हो रही हैं और यदि हो रही हैं क्या उनका जो प्रॉफिट था जिस प्रकार से पहले बहुत, यदि माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी तो बहुत संख्या में अनुबंधित बसें जब चलती थीं तो शायद घाटा बहुत कम चलता था अपने विभाग का उस घाटे को कम करके अनुबंधित बसें अब नहीं चल रही है, इसका कारण एकमात्र यह है कि उनका जो रेश्यो था प्रॉफिट का वो बहुत कम है जिस कारण लोगों ने अपनी बसें हटा दी। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या अनुबंधित बसें चल रही हैं और यदि चल रही हैं तो उनका प्रॉफिट रेश्यो क्या है?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यह एक नीतिगत सवाल है। कुछ बसें निश्चित तौर पर अनुबंध के तौर पर चलायी जा रही हैं, मगर क्योंकि आपने घाटे का पूछा था एक विशेष क्षेत्र में जो बसें प्लाई कर रही हैं, उनके विषय में इसलिए उसकी पूरी जानकारी नहीं है, वो जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जायेगी और मैं समझता हूँ कि अनुबंध के आधार पर जहां–जहां बसों का संचालन हो रहा है और हमको एक कम्परेटिव स्टडी के आधार पर उसमें हम आगे कैसे और सुधार कर सकते हैं, जानने की आवश्यकता है। मैं आपको आपके सवाल के लिए धन्यवाद देता हूँ।

पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों में जिलेवार डॉक्टरों व अन्य तकनीकी कर्मचारियों का विवरण तथा गरीब जनता का निःशुल्क अन्य अस्पतालों में उपचार

*07. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों में मानकानुसार डाक्टरों व अन्य तकनीकी कर्मचारियों की जो कमी है उनका मंत्री जी जिलेवार विवरण देंगे?

यदि हाँ, तो क्या पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे चिकित्सालयों में डाक्टरों व तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति होने तक सरकार ऐसे गरीब परिवारों का ईलाज निःशुल्क सरकारी चिकित्सालयों से बाहर कराकर उनका जीवन बचायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के एलोपैथिक चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों की जनपदवार कमी निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	चिकित्सकों के रिक्त पद	तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पद		
			एक्स–रे टैक्नि0	लैब टैक्नि0	ई0सी0जी0 टैक्नि0
1.	पौड़ी	158	07	07	00
2.	रूद्रप्रयाग	62	04	01	00
3.	उत्तरकाशी	84	03	16	00
4.	चमोली	101	08	11	00
5.	देहरादून	21	01	00	01
6.	टिहरी	106	07	14	00
7.	पिथौरागढ़	100	05	17	00
8.	बागेश्वर	55	03	03	00
9.	चम्पावत	48	02	09	01
10.	अल्मोड़ा	174	08	10	02
11.	नैनीताल	68	11	09	00

वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को राज्य के सरकारी एवं चिन्हित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों के पंजीकृत बी0पी0एल0 परिवारों को योजना के अन्तर्गत आच्छादित निजी चिकित्सालयों में ₹ 30,000.00/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य व्याधि निधि के अन्तर्गत गम्भीर प्रकृति के रोगों के उपचार हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी के मरीजों को प्रदेश/देश के चिन्हित चिकित्सालयों में अधिकतम ₹ 1,50,000.00/– तक उपचार की व्यवस्था की गयी है। साथ ही निजी सहभागिता के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के रोगियों को सचल वाहन (मेडिकल मोबाईल वैन) के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा उपचार की व्यवस्था हेतु अनुबन्ध नवीनीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कितने पद रिक्त हैं। सरकार ने जवाब भी दिया है। पौड़ी में जैसे 158 रिक्त हैं तो मैं ये सारा जानना चाहता हूं कि कितने पदों के सापेक्ष ये पद रिक्त हैं, खाली पौड़ी का बता दें, बाकी की सूचना मुझे उपलब्ध करा दें। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां जो वेतन और मानदेय डाक्टरों को कम दिया जाता है, क्या उसको बढ़ाएंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या पूछा आपने?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, एक तो मैंने पूछा कितने पद रिक्त हैं तो आपने बताया कि पौड़ी में 158 पद रिक्त हैं, ये कितने पदों के सापेक्ष हैं, पौड़ी का आप बता दें और बाकी का उपलब्ध करा दें, क्योंकि काफी लम्बा हो जायेगा और दूसरा मैंने कहा कि हमारे यहां जो संविदा पर या कान्ट्रेक्ट पर रख रहे हैं डाक्टरों को।

श्री अध्यक्ष–

आपका तात्पर्य यह है कि पौड़ी में कुल कितने पद सृजित हैं और उसके सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, सूचना सबकी चाहिए लेकिन खाली उन्हीं का बता दें और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां ये जो डाक्टरों को रख रहे हैं, अप्वाइंट कर रहे हैं, उनको मानदेय या वेतन बहुत कम दिया जाता है अन्य राज्यों की अपेक्षा। वो कितना दे रहे हैं और अन्य राज्यों में क्या है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, डॉक्टर यहां आ जायें, क्योंकि आने को मना कर रहे हैं डाक्टर, तो डाक्टर आ जायें। दूसरा, हमारे यहां जो अन्य हैं जैसे लैब टैक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, बहुत सारे नवयुवक बेरोजगार हैं और हम बार–बार उनका रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पद नहीं हैं, पद नहीं हैं तो क्या नियुक्ति देंगे उनको जो बेरोजगार लोग हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने सही सवाल पूछा पौड़ी में 273 पद हैं, जिसमें 158 रिक्त हैं। आपने पूछा टेक्नीशियन और लैब टैक्टनीशियन बहुत सारे हैं, जिनकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ जायें। वो टोबैको यूनियन में भाग लेने गये हैं, वो भी आवश्यक था राष्ट्रहित में, जब वो लौटेंगे तो लगातार इसमें बैठकें भी हो रही, बातचीत हो रही है कि नियुक्ति अवश्य की जायेगी क्योंकि चिकित्सा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टर मिलें, टैक्नीशियन भी हों, यह आवश्यक है और रोजगार भी देना है। इसे किया जायेगा।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जिले की यह स्थिति है कि 50 प्रतिशत पद वहां के खाली हैं और मेरी विधान सभा की तो यह स्थिति है कि वहां स्वीपर इंजेक्शन लगा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ

आपके माध्यम से, कि सरकार ने पिछली बार भी कहा था कि एक वर्ष के अंदर–अंदर इन चिकित्सकों की नियुक्ति कर देंगे। एक वर्ष के उपरान्त अभी तक सरकार चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं कर पायी है। सरकार कितने समय के अन्तर्गत इन चिकित्सकों की नियुक्ति कर पायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितना मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयास का पता है, उन्होंने वाक इन इंटरव्यू लिये, उसमें भी लगातार प्रयास किया, विज्ञापनों के माध्यम से भी किया, कई ढंग से प्रयास किया गया, पर डाक्टर ऊपर पहाड़ों में जाने के लिए नहीं तैयार हैं। इसमें सभी का सहयोग चाहिए। आपको ऐसा लगता हो क्योंकि लगातार वाक इन इंटरव्यू लेते रहें, उसमें भी डाक्टरों की पूर्ति नहीं हो पायी है और जो मेडिकल कालेज में हमारे डाक्टर जिनसे अनुबन्ध भरा हुआ था, वो कई जगह फीस भी लौटाने को तैयार हैं। पर्वतीय क्षेत्र के इंटीरियर में जाने को नहीं तैयार हो रहे हैं जिनसे कम फीस ली गयी। ऐसी तमाम व्यवहारिक कठिनाईयां सामने आ रही हैं। इसीलिए पी0पी0पी0 मोड पर हॉस्पिटल देने पर विचार हुआ। पी0पी0पी0 मोड से यदि हम इस आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे तब हम समझेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों की हम सेवा कर पा रहे हैं। अभी तो परीक्षण भी हमारा चल रहा है लगातार, तो उसकी सफलता को देखने के बाद आगे निर्णय लेंगे। डॉक्टर हो, यह अति आवश्यक है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने तो अभी दूसरा प्रश्न पूछा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया उसका।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, एक बहुत जरूरी सुझाव भी है और प्रश्न भी है। आप मुझे जरूर मौका देंगे इसमें। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि जब भी इंटरव्यूज होते हैं, डाक्टर उपलब्ध होते हैं तो वो ज्वाईनिंग नहीं करते हैं तो सरकार को उनकी नियुक्ति की जो नीति है, उसको बदलाव करना होगा। इसके लिए मेरा सुझाव भी है मैंने विदेशों में भी कुछ देशों में देखा और मैं समझता हूँ कि सही भी रहेगा कि अगर हम सी0एच0सी0 को स्ट्रेन्थन करके वहाँ डाक्टर्स को रहने की एक उचित व्यवस्थाएं करें और वहाँ से मोबाईल वैन से डाक्टर्स को पी0एच0सी0 तक ले जायें। स्टेट की पी0एच0सी0 में डाक्टर को तैनात करके अब उन्हें वहाँ यह लगता है कि हम यहाँ रहने के योग्य नहीं हैं, वे शायद इसलिए ज्वाईनिंग नहीं होती है। हम सी0एच0सी0 को स्ट्रेन्थन करें और हर पी0एच0सी0 में हफ्ते में दो बार डाक्टर्स की टीम जाये। चाहे 2–3 घंटे के लिए जाये और वहां सब मरीजों

को और पी0एच0सी0 के लोगों को पता हो तो इस तरह की अगर हम नीति बनाएंगे तो डाक्टर्स जरूर सी0एच0सी0 को ज्वाईन करेंगे। वहाँ 8–10 फैमिलीज भी होंगी और उनका रहने को मन भी लगेगा, इंटरनेट की सुविधा भी होगी जिससे वो और लोगों से चैट कर सकते हैं। इस तरह की अगर सुविधा नहीं देंगे और हम सोचते हैं कि डाक्टर्स को सीधा पी0एच0सी0 में तैनाती दूरस्थ स्थानों में कर देंगे तो कभी हमारी नीति सफल नहीं हो पायेगी।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को उनके सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमने इधर चार छोटे नीतिगत फैसले लिये हैं ताकि पर्वतीय दूर दराज के क्षेत्रों में डाक्टर जा सकें। पहला फैसला लिया है कि हम स्थानान्तरण के वक्त ही इस बात को इंगित कर देंगे कि उनकी नैक्स्ट पोस्टिंग कहाँ होगी, वह उनकी च्वाइस के आधार पर होगी, ताकि वह जिस डिफिकल्ट एरिया में काम करने जा रहे हैं, उनको मालूम रहे कि कितने अन्तराल के बाद उनका नैक्स्ट ट्रान्सफर कहाँ होने जा रहा है। इसी के साथ हमने यह भी जोड़ा है कि हमारे जो दूर दराज के पर्वतीय अंचल है उन अंचलों के अन्दर जो डाक्टर्स काम करें, हम उनको विशेष तरीके की प्रोत्साहन राशि दें और वह अभी तय नहीं हो पाई है, जैसे ही तय होगी हम आपके संज्ञान में लायेंगे। प्रयोग के तौर पर हमारी तीन नॉन एक्सेसेबल वैलीज हैं दारमा, ब्यास और चौदांस, वहां के लिए तय किया है कि जो वहां डाक्टर जायेंगे उनको हम 40 प्रतिशत एडिशनल देंगे और साथ–साथ उनको हम वहां हैलीकाप्टर से ड्राप करेंगे और एक महीने बाद उनको वापस लाने का काम करेंगे। इसको अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में लाते हैं तो कुछ समय की दरकरार होगी। दूसरा निर्णय लिया गया है कि जो हमारे अनुबन्धित छात्र निकल रहे हैं, उनको राज्य अपनी तरफ से वजीफा दे रहा है उनको हम अनिवार्य तौर पर बान्ड की शर्तों के अनुरूप जो है पर्वतीय और दूर दराज के अंचलों में पोस्ट करने का काम करेंगे। तीसरा निर्णय हमने लिया है, क्योंकि आयुर्वेदिक, यूनानी और होमोपैथिक चिकित्सा पद्धति के डाक्टर्स की कमी नहीं है, उनको भी हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के, कुछ ज्ञान तो उनको होता ही है, मगर उनको भी एक ओरियनटेशन कोर्स कराकर उनकी सेवायें लेने का काम भी करें। चौथा जैसा आपने सुझाव दिया उसी सुझाव पर सरकार काम कर रही है और विश्व बैंक की टीम के साथ बैठकर के उसका एक खाका भी तैयार कर लिया है। हम प्रत्येक जनपद में सी0एच0सी0 की जो कम्बाइन्ड हास्पिटल होगा उसको बिल्कुल पूरी तरीके से अपग्रेटेड फैसीलिटी में लायेंगे। वहां आवासीय सुविधा भी रखेंगे, उसके साथ मोबाईल मेडिकल वेन को एटैच करके रखेंगे और वह नोटीफाइड होगी कि किस दिन किस रूट के अन्दर जाकर के मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगी, ताकि उसमें जाने वाले डाक्टर शाम को लौट करके अपने गन्तव्य पर आ सकें, इसको हम करने जा रहे हैं। तो

से हमने चार छोटे–छोटे नीतिगत फैसले लिये हैं, वह हमने हाउस के संज्ञान में रखे हैं। मैं समझता हूँ कि इन फैसलों के बाद जो आज स्थिति है उस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आयेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि सरकार भी मानती है कि पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टर नहीं हैं। कुछ गरीब हैं जो इलाज के बिना मर रहे हैं तो मैंने उसके लिए प्रश्न किया है कि क्या उनका निःशुल्क इलाज करायेगी तो सरकार ने जवाब दिया है कि जो बी0पी0एल0 परिवार के लोग हैं उनको 30 हजार रूपये और व्याधि निधि के तहत डेढ़ लाख रूपये सरकार देती है। मान्यवर, कई बी0पी0एल0 परिवार ऐसे हैं जो बी0पी0एल0 से छूट गये हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनको जानकारी न होने के कारण उनका बी0पी0एल0 नम्बर नहीं बन पाया है। जैसे आय प्रमाण–पत्र के आधार पर पेंशन एवं अन्य सुविधायें दी जा रही हैं। जिनकी आय कम है तो उन लोगों को भी सरकार लाभ देगी यह मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा 30 हजार पूरे साल भर पूरे परिवार के इलाज के लिए बहुत कम पैसा है। क्या सरकार उसको बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही करेगी? दूसरा व्याधि निधि वाला डेढ़ लाख रूपये सरकार देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्या उस प्रक्रिया को सरकार आसान करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दूसरा आपका जो प्रश्न था, इसमें चिकित्सालयों के नाम भी इसमें आगे चिन्हित हैं, जो हरिद्वार से लेकर के पूरे 13 जिलों में हैं। इसमें डेढ़ लाख राज्य स्तर पर व्याधि निधि दी जाती है। मैं इसकी पूरी सूची आपको दे दूंगी, जो उत्तराखण्ड के अस्पताल चिन्हित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की भी व्याधि निधि है उससे भी पैसा लिया जाता है। जिसमें गम्भीर रोगों की, उसकी पूरी नियमावली एक राज्य सरकार की बनी हुई है और भारत सरकार की भी है किन–किन गम्भीर रोगों का इलाज इन प्राईवेट अस्पतालों में किया जाये। आपने दूसरा पूछा बी0पी0एल0 परिवार के लिए कहा, बी0पी0एल0 की श्रेणी जो आवंटित की गई है, उसमें समय–समय पर सवाल उठते हैं। इसका सर्वे दोबारा नहीं हो पाया यह सही है। बी0पी0एल0 के अलावा यह सुविधा अभी नहीं प्राप्त है, वह कोई प्रयास करके व्याधि निधि के माध्यम से यह सुविधा भी दी जा सकती है, इस पर राज्य सरकार कार्य करेगी। भारत सरकार भी जो गरीब प्राईवेट संस्था में जा रहे हैं उनसे भी अनुरोध कर सकती है। अभी जो सामान्य सुविधा प्राप्त है वह बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड पर ही प्राप्त है। उसकी राशि बढ़ाने का सवाल है यह बजटीय व्यवस्था में विचार करके धन की उपलब्धता पर विचार किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, बी0पी0एल0 के अलावा जो गरीब हैं उनको सरकार सुविधा नहीं देगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भावि निधि में सुविधा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह भी बी0पी0एल0 वालों के लिए है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आपका उत्तर स्पष्ट आ गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मासिक पेंशन का वितरण

*08 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि उनके विभाग द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की मासिक पेंशनों की संख्या में वर्ष 2008–09 से लगातार वृद्धि हो रही है किन्तु समाज कल्याण कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या उनके सापेक्ष न बढ़ने से बहुत से लाभार्थियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाती और जिला मुख्यालय दूर होने के कारण भी इसका समाधान होने में अत्याधिक समय लगता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार समय पर लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए ब्लाक स्तर पर या अन्य कोई प्रयास करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पेंशन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा समयान्तर्गत पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग के द्वारा समस्त प्रकार के पेंशन लाभार्थियों के विवरण को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। पेंशन लाभार्थियों को निर्बाध, त्रुटिहीन एवं त्वरित गति से पेंशन भुगतान हेतु उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खातों/सूचना के आधार पर सी0बी0एस0 बैंक, नॉन सी0बी0एस0 बैंक, डाकघर, मनी आर्डर एवं रेखांकित चैक आदि के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि 2008-09 के बाद लगातार वृद्धि हो रही है? सरकार कह रही है कि जी नहीं। 2007-08 में कितनी संख्या थी और 2014 मे कितनी हो गयी है? यह थोड़ा बता दें, इससे पता चल जायेगी कि वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, आपने पूछा था कि लगातार कर्मचारियों की संख्या घट रही है, उससे पेंशन वितरण में कठिनाई आ रही है। उससे पेंशन वितरण में कठिनाई नहीं आ रही है, इसका उत्तर यह था। क्योंकि कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था हो रही है जो निर्बाध गति से कम्प्यूटरीकरण होने के कारण रिक्तियां जो हैं उन रिक्तियों की कमी से पेंशन वितरण व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं आयेगी, इसका उत्तर यह है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

मान्यवर, आप यह बता दें कि यह पेंशन कितने-कितने टाईम बाद लोगों को मिल रही है एक तो यह बता दे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, पहले प्रति छःमाही था अब तिमाही कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

मान्यवर, क्या सभी लोगों को तीन महीने में मिल रही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, मिल रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी को भी तीन महीने में नहीं मिल रही है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो-दो साल से पेंशन नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष जी, आप इसका परीक्षण करा लें, तीन महीनें में किसी को पेंशन नहीं मिल पा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिए, परीक्षण करा लिया जायेगा। आपके क्षेत्र में जिनको नहीं मिल पा रही है, परीक्षण कर उसका उत्तर ले लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मान्यवर, यह कब तक कम्प्यूटरीकृत कर देंगे, उसमें देरी के लिए क्या कारण हैं ? हमने इसको प्रथम सत्र में भी पूछा था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये पेंशन योजनायें समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जाती हैं। जो पेंशन योजनायें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में लागू हैं। क्या यह कैन्ट क्षेत्र में लागू नहीं होती? अगर लागू होती हैं तो मेरी विधान सभा का जो कैन्ट क्षेत्र है, वहाँ के लोग इससे वंचित हैं। क्या सरकार वहाँ पर कैम्प लगाकर इस योजना का लाभ क्षेत्रीय लोगों को देने का प्रयास करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह जो पेंशन है, तो जहाँ कहीं भी पेंशन के योग्य अर्ह व्यक्ति रहते हैं तो वे सब पेंशन के लिए हकदार हैं, यदि यह आपके यहाँ नहीं वितरित हो रहा है तो आप जानकारी दें कि इतने फार्म भरे गये हैं जो वहाँ पहुंच गये हैं और नहीं मिला है तो निश्चित रूप से निर्देशित किया जायेगा कि उन्हें पेंशन मिले।

श्री गणेश जोशी–

माननीय मंत्री जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो गढ़ी कैन्ट क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट आ गया है कि प्रदेश के अन्दर कोई व्यक्ति जो पात्र होगा पेंशन प्राप्त करने के लिए उसकी पेंशन लगेगी और यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनकी सूची दे दें और जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद की जायेगी।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, धन्यवाद।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लाभार्थियों को जैसा आपने अभी बताया कि उनको तीन

महीने के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन एक–एक साल से उनको पेंशन नहीं मिली है। मान्यवर, आपके माध्यम से दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि हमारे यहाँ साधन सहकारी समिति के माध्यम से पेंशन लाभार्थियों को बंट रही है, ऋषिकेश से साधन सहकारी समिति लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बेचारे बुजुर्ग, विकलांग, वृद्ध हैं उनको वहाँ तक जाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार उनको पोस्ट ऑफिस या अन्य बैंक से पेंशन बंटवाने का काम करेगी? यह बहुत गम्भीर सवाल है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि बुजुर्ग लोग नहीं जा पाते हैं तो उसको सरल बनाने के लिए बात–चीत करके जो भी सम्भव होगा, आपसे भी विचार–विमर्श करके कर दिया जायेगा।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, धन्यवाद।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी के सप्लीमेण्टरी में उन्होंने पूछा था अनुबन्धित बसों के विषय में, तो यह सौ के करीब हैं, जिनमें से 22 वाल्वो बसें हैं, ये सब लाभ में चल रही हैं और इससे राज्य को भी प्रति वर्ष 2 करोड़ की आमदनी हो रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मैंने कहा था कि मेरे यहां टाईम पर पेंशन नहीं मिल रही है तो आपने कहा था कि लिखकर दे दो, तो मेरे यहां सल्ट और स्याल्दे ब्लाक दो विकास खण्ड हैं और 80 प्रतिशत लोगों को पेंशन नहीं मिली है तो इसमें लिखकर क्या देना है आप परीक्षण करा लें।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, श्री जीना जी, आपका सवाल यह है कि समय पर मिले तो इसके लिए हम पूरे सिस्टम को स्ट्रीम लाईन कर रहे हैं और हमने विकलांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी है और इसीलिए चार सौ से धनराशि बढ़ाकर प्रति माह आठ सौ की गई है और एक हजार की जो अपर लिमिट थी उसको बढ़ाकर हमने चार हजार किया है और हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि स्पेशल ड्राईव चलायें और साल के आखिर में हम उनसे एक सर्टिफिकेट लेंगे, जिसमें वो लिखेंगे कि जितने पात्र थे उन सब पात्रों को कवर कर दिया गया है, ताकि लोग पेंशन को एक अधिकार के रूप में महसूस कर सकें और वितरण की प्रणाली को भी हम

लोग स्ट्रीम लाईन कर रहे हैं और हमने दो स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाये हैं, एक तो सचिव स्तर पर जहां से आदेश निर्गत होते हैं और दूसरा हमारे समाज कल्याण अधिकारी के स्तर पर बनाया है, ताकि दोनों जगह पर आदेश और धनराशि निर्गत होने में दिक्कत आयेगी तो सचिव स्तर पर देखी जायेगी और उसमें देरी होती है तो सचिव जिम्मेदार रहेंगे और यदि पेंशन मिलने में विलम्ब होता है लाभार्थी तक नहीं पहुंच रहा है तो वह चेक प्वाइंट समाज कल्याण अधिकारी के स्तर का होगा और उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मानतीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। मैंने इससे यह पूछा था कि सरकार लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए ब्लाक स्तर पर विचार करेगी, तो ब्लाक में समाज कल्याण का अधिकारी होता है, तो एक ब्लाक में चार हजार लोगों की पेंशन है तो समाज कल्याण से चार हजार को मिल जाये तो लोगों को आसानी भी रहेगी, तो मेरा सुझाव है कि उसको ब्लाक स्तर पर करने में क्या दिक्कत है, समाज कल्याण का अधिकारी वहीं है और लोगों को चेक यदि वहीं मिल जाये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, अब किनकी ड्यूटी में क्या है यह देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सप्लीमेण्टरी के रूप में सवाल उठाया है और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि आपके इस प्रश्न को सुझाव के रूप में लिया जाये और वो सम्बन्धित मंत्री से कहेंगी कि इसको इग्जामिन करें।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी ये पेंशनें हैं तो उनके लिए यदि न्याय पंचायत स्तर पर समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा कैम्प लगा दिया जाये तो मैं समझता हूं कि शायद इसका ज्यादा अच्छा निस्तारण होगा और आपकी पीठ से निर्देश चला जाए कि यह कैम्प अति आवश्यक कर दिया जाए, क्योंकि इनके न होने से प्रदेश में तमाम लोगों की पेंशन का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और हर समय दुविधा बनी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पढ़ रहा था तो उन्होंने कई जगह पर यह वक्तव्य दिया है कि अब जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की जायेगी, 31 मार्च को उनसे प्रमाण–पत्र लिया जायेगा कि आपके जनपद में कोई ऐसा पात्र व्यक्ति छूट नहीं गया हो जिसकी पेंशन नहीं लगी है, अगर इस तरह का निर्णय सरकार की तरफ से होता है तो मैं समझता हूँ कि उससे सारे पेंशनधारकों का पेंशन लगना सुनिश्चित हो जायेगा।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री दलीप जी का जो सवाल है वह ठीक है, तो हमने अपने जो संसदीय सचिव हैं उनके दायित्व में यह भी रखा है कि वे ब्लाक स्तर पर इस तरीके के कैम्प लगायेंगे और उन कैम्पों के जरिये वितरण करेंगे, ताकि यह जो समाज कल्याण, जो लोगों के कल्याण सम्बन्धी योजना है उनका त्वरित लाभ मिल सके।

श्री गनेश जोशी–

मान्यवर, आपने कहा कि जो संसदीय सचिव आपने बनाये हैं वो ब्लाक स्तर पर पेंशन बांटने का काम करेंगे, तो क्षेत्र के विधायक क्या करेंगे, हमारे क्षेत्र के लोग तो हमसे बात करते हैं, आप ये नई परम्परा कायम कर रहे हैं, क्षेत्र के विधायक का क्या रोल होगा?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आपका काम आपका रहे, इसलिए हमने उनका काम बांट दिया है।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट एवं देवायल के सामुदायिक केन्द्र के भवनों का निर्माण

01–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा के देघाट और देवायल नामक स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य, मानकों, समयानुसार और स्वीकृत धनराशि में हो रहा है और जनता को इसका लाभ मिल रहा है?

यदि हाँ, तो तद् विषयक विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि जनता को लाभ मिल पाने के कारण जनता आन्दोलित भी हो सकती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्तरदायी संस्था या विभाग के खिलाफ कोई कार्यवाई करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति में विलम्ब के कारण भवनों के अवशेष निर्माण कार्यों में अतिरिक्त समय लग रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट का मुख्य भवन, टाईप–2 के 02 आवास एवं टाईप–1 के 02 आवास निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित

कर दिये गये हैं। अवशेष कार्यों हेतु शासन को प्राप्त पुनरीक्षित आगणन पर कार्यवाही गतिमान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवाल का मुख्य भवन निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में आशा कार्यकर्त्रियों को राज्य सरकार द्वारा मानदेय की स्वीकृति

01—श्री नवप्रभात—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कार्यरत "आशा कार्यकर्त्रियों" को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011—12 में मानदेय स्वीकृत किया गया था?

यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 2012—13 तथा 2013—14 में भी यह मानदेय प्रदान किया गया है?

यदि 2012—13 तथा 2013—14 में मानदेय प्रदान नहीं किया गया तो इसका क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 में प्रकरण विचाराधीन था। शासनादेश संख्या—750/XXVIII—4—2014—04(पो0)/2011, दिनांक 20.05.2014 के द्वारा आशा कार्यकर्त्रियों को रू0 5000/— वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि दो अर्द्धवार्षिक किश्तों में प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में चल अस्पतालों का संचालन करने के लिए किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण

02—श्री नवप्रभात—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चल अस्पताल संचालन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2009—10 से 2012—13 तक प्रदत्त धनराशि रूपये 4,364.80 लाख के भुगतान का वर्षवार संचालकवार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन संस्थाओं के साथ क्या अनुबन्ध किया गया था तथा संस्थाओं से अनुबन्ध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करवाने की क्या व्यवस्था की है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

लोक निजी सहभागिता के आधार पर 13 जनपदों में सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन किया जा रहा है। इन 13 सचल वाहनों में से जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी में मै0 राजभरा मेडिकेयर प्रा0लि0 द्वारा अन्य 11 जनपदों में मै0 जैन वीडियों ऑन व्हील्स द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

इन निजी साझेदारों को वर्षवार 2009 से 2013 तक किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष	मै0 राजभरा मेडिकेयर, प्रा0लि0 को स्वीकृत धनराशि	मै0 जैन वीडियो ऑन व्हील, प्रा0लि0 को स्वीकृत धनराशि
2009–10	1,16,27,742.00	6,55,50,612.00
2010–11	1,67,75,546.00	9,94,87,050.00
2011–12	1,54,52,519.00	7,38,92,794.00
2012–13	95,84,135.00	7,69,07,661.00
कुल योग	5,34,39,942.00	31,58,38,117.00

विभाग द्वारा निजी साझेदारों के साथ जो अनुबन्ध किया गया है, उसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा तैयार किये गये रूट प्लान के अनुसार माह में 15 स्थलों पर शिविर का आयोजन किया जाना।
- वाहन में उपलब्ध जांचों जैसे–एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड रक्त की जांच आदि का शुल्क निजी साझेदार द्वारा लिया जाता है तथा बी0पी0एल0 एवं आपातकालीन रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जाना।
- पंजीकरण शुल्क रू0 10.00 मात्र, जो 3 बार के लिये मान्य है।
- इस प्रकार प्रत्येक माह निजी साझेदार को देय धनराशि में से यूजर्स चार्जेज को घटाकर भुगतान किया जाना।

सचल चिकित्सा वाहनों का निरीक्षण महानिदेशालय स्तर पर समय–समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सचल चिकित्सा

वाहनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले शिविरों के निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नामित कर्मचारी द्वारा शिविरों का निरीक्षण किया जाता है तथा प्रारूप-6 को भरकर बीजकों के साथ महानिदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

जनपद देहरादून में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरबर्टपुर के उच्चीकरण के लिए भूमि एवं धनराशि की उपलब्धता

03-श्री नवप्रभात-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरबर्टपुर (अब संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत) के लिये भूमि कब उपलब्ध करायी गयी थी तथा भवन निर्माण के लिये मानक के अनुसार कितनी धनराशि अनुमन्य है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक वर्षवार कितनी धनराशि भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी है तथा भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था कौन है और भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

जनपद देहरादून में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरबर्टपुर के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी देहरादून द्वारा दिनांक 27-12-2010 को कुल 1.0000 है0 भूमि उपलब्ध कराई गई है। भवन निर्माण के प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्यों के लिये ₹ 6.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष मृदा परीक्षण एवं भवन के मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 तक ₹ 6.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चकराता, देहरादून है। वर्तमान में हरबर्टपुर में संयुक्त चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु मानकों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत बर्फिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति

04-श्री मालचन्द-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला में स्थित बर्फिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला में डाक्टर न होने से गम्भीर समस्या बनी हुई है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बर्फीया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला में डाक्टरों की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

वर्तमान में कुल 04 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिसमें 01 वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, 01 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 01 महिला चिकित्साधिकारी तथा 01 दन्त शल्यक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त आयुष विंग में 01 आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं 01 होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत है।

प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है, वर्तमान में 747 एलोपैथिक चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन कार्मिक विभाग के माध्यम से लोक सेवा आयोग को दिनांक 25.04.2014 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दूर दराज क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं ऐलोपैथिक चिकित्सा सुविधा

05–श्री मालचन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के दूर दराज के कुछ क्षेत्रों में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है?

क्या क्षेत्र में डाक्टरों की कमी होने के कारण छोटी छोटी बीमारियों को लेकर जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार एक ही स्थान पर एलोपैथिक/आयुर्वेदिक उपचार करने हेतु अनुमति देने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 विकासखण्ड पुरोला एवं मोरी आते हैं। विधानसभा पुरोला में 02 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय व 04 आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित हैं, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 02 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 एलोपैथिक संविदा चिकित्सक कार्यरत है आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 03 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी कार्यरत है।

विकासखण्ड मोरी में 04 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, 01 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 14 आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित हैं, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में वर्तमान में 01 आयुर्वेदिक संविदा चिकित्सक तैनात है तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आराकोट में 02 एलोपैथिक चिकित्सक तैनात हैं, तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 07 चिकित्सक कार्यरत हैं।

विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला में 01 ही स्थान पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सक आयुष विंग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोरी विकास खण्ड के दूर दराज क्षेत्रों के ए0एन0एम0/नर्सों का स्थानान्तरण

06–श्री मालचन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के दूर दराज क्षेत्रों में तैनात ए0एन0एम0/नर्सों का स्थानान्तरण किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी विकास खण्ड मोरी एवं पुरोला के उपरोक्त क्षेत्रों में ए0एन0एम0/नर्सों की नियुक्ति करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी हाँ।

नियमानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा

07–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूरस्थ काण्डा कमस्यार क्षेत्र नरगोली, घनतोला, ठाणा दौलीगाड़ में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक ए0एन0एम0 सेन्टर खोला जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में नये विकास खण्डों के गठन के लिए केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्देश एवं सहायता

08–श्री नवप्रभात–

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये विकास खण्डों के गठन के लिए केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की जाती है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विकास खण्ड सृजन के लिए योजना आयोग द्वारा कोई दिशा निर्देश राज्य को दिये गये हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

योजना आयोग, भारत सरकार से नियोजन विभाग को कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2012 के अनुसार पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के अनुपालन में गठित उपसमिति की संस्तुति के सम्बन्ध में

09–श्री नवप्रभात–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2012 को जो पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के विषय में है के अनुपालन में गठित माननीय मंत्रिमण्डल की उपसमिति की संस्तुतियां सरकार को प्राप्त हो गयी हैं?

यदि हाँ, तो संस्तुतियां क्या है? क्या यह संस्तुतियां सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गयी हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त 2012 में मंत्रिमण्डल की उपसमिति गठित किए जाने का कोई निर्देश नहीं है परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 02 अप्रैल, 2013 द्वारा अनुसूचित जाति (एस0सी0) अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2011–2012 तथा 2012–2013 में मासिक पेंशन का वितरण

10–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र में उनके विभाग द्वारा कितने लोगों को वर्ष 2011–12, 2012–13 में वर्तमान तक मासिक पेंशन दी गई थी? क्या सभी लाभार्थियों को समय पर पेन्शन प्राप्त हो रही है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, में कितनी कुल धनराशि कब–कब किन–किन माध्यमों से भेजी गई तथा उसका विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सभी लोगों की मासिक पेंशन समय पर प्राप्त हो, इस हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी?

यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–284/XVII–02/2011–39 (विविध)/2002 दिनांक 11 मार्च, 2011 के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन, त्रैमासिक आधार पर वितरित किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पेन्शन का भुगतान किया जा रहा है।

विभाग में पेन्शनों का विवरण विधान सभा वार न होकर विकासखण्डवार अनुरक्षित है। अतः अल्मोड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत विकासखण्ड सल्ट, विकासखण्ड स्याल्दे तथा विकासखण्ड भिकियासैंन के क्षेत्र आते हैं। इन विकासखण्डों में वर्षवार वृद्धावस्था पेन्शन, विकलांग पेन्शन तथा विधवा पेन्शन निम्नानुसार दी जा रही है।

वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	वृद्धावस्था पेन्शन के लाभार्थियों की सं0	विकलांग पेन्शन के लाभार्थियों की सं0	विधवा पेन्शन के लाभार्थियों की सं0
1	2	3	4	5
1.	सल्ट	4945	931	444
2.	स्याल्दे	4190	797	325
3.	भिकियासैंन	2839	723	328
	कुल योग	11974	2451	1097

वर्ष 2012–13

क्र. सं.	विकासखण्ड का नाम	वृद्धावस्था पेन्शन के लाभार्थियों की सं0	विकलांग पेन्शन के लाभार्थियों की सं0	विधवा पेन्शन के लाभार्थियों की सं0
1	2	3	4	5
1.	सल्ट	5150	355	1050
2.	स्याल्दे	4203	326	858
3.	भिकियासैंन	2766	316	803
	कुल योग	12119	997	2711

उक्त सभी लाभार्थियों को नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत उक्त सन्दर्भित विकासखण्डों में कुल रू0 540.45 लाख की धनराशि से 6083 वृद्धों को उनके बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से तथा 5911 वृद्धों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया।

विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल रू0 78.99 लाख की धनराशि से 1097 निराश्रित विकलांगों को मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान किया गया। इसी प्रकार विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 117.636 लाख की धनराशि से 2451 निराश्रित विधवाओं को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत उक्त सन्दर्भित विकासखण्डों में कुल रू0 627.87 लाख की धनराशि से 10875 वृद्धों को उनके बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से तथा 1244 वृद्धों को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया।

विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल रू0 71.78 लाख की धनराशि से 727 निराश्रित विकलांगों को बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से तथा 270 विकलांगों को मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान किया गया। इसी प्रकार विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 130.128 लाख की धनराशि से 1897 निराश्रित विधवाओं को उनके बैंक/पोस्ट आफिस खाते के माध्यम से तथा 814 निराश्रित विधवाओं को मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया।

वर्तमान में त्रैमासिक आधार पर तीनों पेंशनों का भुगतान किये जाने का प्राविधान है। तद्नुसार ही भुगतान किया जा रहा है। सभी पात्र लाभार्थियों को त्वरित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो, इसके लिये उनके बैंक खाते खोले जा रहे हैं। ताकि त्वरित रूप से पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित हो सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में श्रमिकों/कर्मचारियों को ठेकेदारी पर रखा जाना

11–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

विवरण संलग्न है। †

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधान सभा में देघाट व देवायल क्षेत्र में चिकित्सा भवनों का निर्माण कार्य लम्बित होना

12–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में देघाट व देवायल नामक स्थान पर चिकित्सालय भवनों के निर्माण कार्यों के लम्बित होने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार शीघ्र भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुये चिकित्सालय भवनों को जनहित में शीघ्र उपयोगार्थ निर्माण कर निर्माण कार्यों को वर्षों तक पूर्ण न कराने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो संबंधित कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा में देघाट व देवायल नामक स्थान पर चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु समय–समय पर दरों में वृद्धि हो जाने पर पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति में हुये विलम्ब के कारण कार्य लम्बित रहे हैं।

वर्तमान में मुख्य भवन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। नवनिर्मित भवन में चिकित्सालय संचालित होने से इसका लाभ जनता को मिल रहा है। कार्यों के विलम्ब के लिये कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

---

† (विवरण देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 195 पर)

प्रदेश में परिवार कल्याण उप केन्द्रों पर पार्ट टाइम दाईयों की संख्या एवं उनका मानदेय

13–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों पर पार्ट टाईम दाईयों की जिलेवार कितनी संख्या है?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें इसके लिए कितना मानदेय दिया जाता है?

क्या सभी को मानदेय समय से दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों पर पार्ट टाईम दाईयों की जिलेवार संख्या निम्नवत् है:–

1.	अल्मोड़ा	202
2.	बागेश्वर	89
3.	चमोली	97
4.	चम्पावत	68
5.	देहरादून	166
6.	हरिद्वार	160
7.	नैनीताल	139
8.	पौड़ी	226
9.	पिथौरागढ़	155
10.	रूद्रप्रयाग	55
11.	टिहरी	186
12.	ऊधमसिंह नगर	122
13.	उत्तरकाशी	93

इन पार्ट टाईम दाईयों को राज्य स्तर से प्रतिमाह रू0 400/– एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपकेन्द्र अन टाईड फन्ड से रू0 100/– मानदेय के रूप में दिया जाता है।

मानदेय का भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

14–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत किस–किस पद पर कुल कितने कर्मचारी एवं परिवार कल्याण परामर्श दाता कार्यरत हैं एवं जनपदवार तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है?

क्या सरकार इनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के महत्वपूर्ण योगदान एवं वर्षों से इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में नियमित करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों एवं परामर्शदाताओं का जनपदवार विवरण निम्नवत् है:–

<u>राज्य प्रबन्धन ईकाई</u>

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक	1
2.	राज्य वित्त प्रबन्धक	1
3.	राज्य लेखा प्रबन्धक	1
4.	राज्य आंकड़ा अधिकारी	1
5.	राज्य डेटा असिस्टेन्ट/अधिशासी सहायक/कार्यक्रम सहायक	4
6.	राज्य लेखा कम प्रशासनिक अधिकारी	1
7.	कार्यक्रम अधिकारी–अरबन हैल्थ	1
8.	कार्यक्रम अधिकारी–आर0बी0एस0के0	1
9.	कार्यक्रम अधिकारी–अर्श	1

1	2	3
10.	कार्यक्रम अधिकारी–एम०सी०एच०	1
11.	कार्यक्रम अधिकारी–पी०सी०पी०एन०डी०टी०	1
12.	कार्यक्रम अधिकारी एम०एन०यू०	1
13.	सलाहकार–एच०एम०आई०एस०	1
14.	सलाहाकार–आई०टी०	1
15.	सलाहकार–डोक्यूमेन्टेशन, एस०एम०एस० आर०सी०	1
16.	सलाहाकार–ए०बी०डी०	1
17.	असिस्टेन्ट इंजीनियर, सिविल, इन्फ्रास्ट्रक्चर विंग	1
18.	जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इन्फ्रास्ट्रक्चर विंग	1
19.	क्वालिटी मैनेजर	1
20.	बयोमेडिकल इंजीनियर	1
21.	लिगल एडवाईजरए पी०सी०पी०एन०डी०टी०	1
22.	कार्यक्रम सहायक–नोडल केन्द्र	1
24.	प्रशिक्षण कार्डिनेटर	2
25.	एन०जी०ओ० कार्डिनेटर	2
26.	कोल्ड चैन अफिसर, प्रतिरक्षण	1
27.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1
28.	डेटा एन्ट्री आपरेटर	9
29.	सहायक लेखा	1
30.	चतुर्थ श्रेणी	5
31.	सुरक्षा गार्ड	2
32.	सफाई कर्मचारी	2
	योग	50

<u>जिला प्रबन्धन ईकाई</u>

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1.	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक	13
2.	जिला लेखा प्रबन्धक	13
3.	जिला डेटा प्रबन्धक	13
	योग	39

<u>ब्लाक प्रबन्धन ईकाई</u>

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1.	ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक	95
2.	ब्लाक लेवल लेखाधिकारी	95
3.	डेटा एन्ट्री आपरेटर	95
	योग	285

<u>चिकित्सा ईकाई</u>

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	स्टाफ नर्स	273
2.	ए0एन0एम0	353

<u>राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम (148 टीम)</u>

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	चिकित्साधिकारी–मेल	1	148 आर0बी0एस0 के टीम (प्रत्येक टीम में 1, एल0एम0ओ0, 1 एम0ओ0, 1 फर्मासिस्ट तथा 1 स्टॉफ नर्स)
2.	चिकित्साधिकारी–फिमेल	1	
3.	फार्मेसिस्ट	1	
4.	स्टाफ नर्स	1	
	कुल	4X148=592	

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परामर्श दाताओं का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	विवरण	जनपद
1.	महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	
2.	बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
3.	उप जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैजनाथ, बागेश्वर	
5.	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली	
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ,	चमोली
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कर्णप्रयाग, चमोली	
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट, चम्पावत	चम्पावत
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्पावत	
10.	दून महिला चिकित्सालय, देहरादून	
11.	दून चिकित्सालय, देहरादून	
12.	संयुक्त चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून	
13.	संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून	देहरादून
14.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विकासनगर, देहरादून	
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहसपुर, देहरादून	
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला, देहरादून	
17.	जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार	
18.	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	
19.	संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की, हरिद्वार	हरिद्वार
20.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादराबाद, हरिद्वार	
21.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलौर, हरिद्वार	
22.	संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल	
23.	मेडीकल कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल	
24.	महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	नैनीताल
25.	संयुक्त चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	

26.	जिला महिला चिकित्सालय, नैनीताल	नैनीताल
27	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोटाहल्दू, नैनीताल	
28.	मैडीकल कालेज, श्रीनगर, पौड़ी	
29.	संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार पौड़ी	पौड़ी
30.	जिला महिला चिकित्सालय, पौड़ी	
31.	जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ	
32.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोलीहाट, पिथौरागढ	पिथौरागढ
33.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचूला, पिथौरागढ	
34.	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
35.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग	
36.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिल्खी टिहरी	टिहरी
37.	जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	
38.	संयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर	
39.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किच्छा, ऊधमसिंह नगर	ऊधमसिंह नगर
40.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधमसिंह नगर	
41.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर	
42.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर	
43.	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	
44.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्याली सौण, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
45	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला, उत्तरकाशी	

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

राज्य एवं जनपद स्तर पर समस्त संविदा कर्मचारियों का मानदेय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के तहत प्राप्त होता है।

उक्त कार्मिकों को नियमित करने का निर्णय लिया जाता है तो समस्त व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

15—श्री नवप्रभात—

विस्तीर्णता एवं विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त।

16—श्री नवप्रभात—

द्वितीय बुधवार के अता0—02 में स्थानांतरित।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जनपदवार, विकास खण्डवार एवं स्वीकृत धनराशि का विवरण

17—श्री नवप्रभात—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जनपदवार, विकास खण्डवार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08 से वर्ष 2013—14 तक अवस्थापना सुविधा विकास हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि का विकास खण्डवार विवरण क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार जनगणना 2011 में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गणना विकासखण्डवार न होकर तहसीलवार की गयी है। जनपदवार एवं तहसीलवार जनजाति की जनसंख्या का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या	तहसील	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1	2	3	4	5
1	पिथौरागढ़	19535	मुनस्यारी	6998
			धारचूला	9433
			डीडीहाट	1094
			बेरी नाग	407
			गंगोलीहाट	25
			पिथौरागढ़	1578
2	बागेश्वर	1982	कपकोट	950
			कांडा	256
			बागेश्वर	491
			गरूड़	285

1	2	3	4	5
3	अल्मोड़ा	1281	भिकियासैंण	32
			चौखुटिया	42
			सल्ट	6
			रानीखेत	184
			द्वाराहाट	71
			अल्मोड़ा	795
			सोमेश्वर	82
			जैंती	46
			भनोली	23
4	चम्पावत	1339	चम्पावत	264
			पाटी	5
			लोहाघाट	127
			पूर्णागिरी	943
5	नैनीताल	7495	कोस्या कोटली	62
			बेतालघाट	9
			नैनीताल	593
			धारी	56
			हल्द्वानी	2591
			रामनगर	3783
			कालाढूंगी	113
			लालकुआं	288
6	ऊधमसिंहनगर	123037	काशीपुर	573
			जसपुर	29
			बाजपुर	14699
			किच्छा	1710
			गदरपुर	14657
			सितारगंज	37677
			खटीमा	53692

1	2	3	4	5
7	हरिद्वार	6323	रूड़की	1735
			हरिद्वार	4525
			लक्सार	64
8	उत्तरकाशी	3512	पुरोला	663
			मोरी	109
			राजगढ़ी	489
			डुण्डा	1200
			चिन्यालीसौड़	12
			भटवाड़ी	1039
9	चमोली	12260	जोशीमठ	7719
			चमोली	3467
			पोखरी	104
			कर्णप्रयाग	686
			थराली	148
			गैरसैंण	136
10	रूद्रप्रयाग	386	ऊखीमठ	163
			रूद्रप्रयाग	207
			जखोली	16
11	टिहरी गढ़वाल	875	घनसाली	38
			देवप्रयाग	164
			प्रतापनगर	31
			जखणीधार	70
			टिहरी	226
			धनौल्टी	268
			नरेन्द्रनगर	78

1	2	3	4	5
12.	देहरादून	111663	चकराता	24909
			त्यूनी	19568
			कालसी	27463
			विकासनगर	28533
			देहरादून	7537
			ऋषिकेश	3653
13	पौड़ी गढ़वाल	2215	श्रीनगर	145
			पौड़ी	289
			थलीसैण	42
			धुमाकोट	12
			लैंसडाउन	75
			सतपुली	41
			चौबटाखाल	5
			कोटद्वार	1515
			यमकेश्वर	91

अनुसूचित जनजाति अवस्थापन सुविधा विकास उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 से वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत धनराशि का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	वर्षवार स्वीकृत धनराशि						
			2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	देहरादून	चकराता	178.56	24.76	0	0	27.79	19.67	50.49
		कालसी	185.89	17.90	0	0	44.77	12.83	19.22
		विकासनगर	15.67	0	0	0	0	0	0
		सहसपुर	0	0	0	0	0	0	0
		डोईवाला	7.46	0	0	0	0	0	0
		योग	387.78	42.66	0	0	72.57	32.50	69.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0
		डुण्डा	10.48	1.15	0	1.05	0	0	1.05
		नौगाँव	0	0	0	0	0	0	0
		पुरोला	0	0	0	0	0	0	0
		चिन्यालीसौड़	0	0	0	0	0	0	0
		मोरी	0	0	0	0	0	0	0
		योग	10.48	1.15	0	1.05	0	0	0
3.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर	0	0	0	0	0	0	0
		जसपुर	0	0	0	0	0	0	0
		काशीपुर	5.80	0	1.60	1.25	1.25	0	0
		बाजपुर	37.37	0	5.32	4.83	4.84	0	0
		गदरपुर	45.71	0	5.29	4.5	3.66	0	0
		सितारगंज	151.88	0	13.28	12.21	12.17	0	0
		खटीमा	189.56	0	21.95	20.24	21.10	0	0
		योग	430.32	0	47.34	43.03	43.02	0	1.05
4	पौड़ी गढ़वाल	दुगड्डा	6.22	0.68	0	0.62	0.62	0	0
5	पिथौरागढ़	धारचूला	37.63	4.14	0	3.76	3.76	6.72	0
		मुनस्यारी	37.64	4.14	0	3.76	3.76	0	0
		योग	75.27	8.28	0	4.53	7.53	6.72	0
6	चम्पावत	चम्पावत	2.89	0.32	0	0.29	0.29	0	0
7	अल्मोड़ा	हवालबाग	3.43	0.38	0.34	0.34	0	0	0
8	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	0.73	0	0	0.07	0	0	0
9	बागेश्वर	कपकोट	2.59	0	0	0	0	0	0
		गरुड़	0	0	0	0	0	0	0
		बागेश्वर	5.00	0.83	0	0.75	0.76	0	0
		योग	7.59	0.83	0	0.75	0.176	0	0
10	नैनीताल	रामनगर	19.37	2.13	1.94	1.94	0	0	0
11	हरिद्वार	बहादराबाद	12.28	1.35	0	0	1.23	0	0
12	टिहरी	जौनपुर	2.70	0.30	0	0	0	0	0
13	चमोली गढ़वाल	जोशीमठ	33.60	0	4.50	0	0	0	0
		दशोली	7.33	0	0	0	0	0	0
		योग	40.93	0	4.50	0	0	0	0

जनपद देहरादून डाक पत्थर में स्थित सिंचाई विभाग के चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव

19-श्री नवप्रभात-

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 2014 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 08 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून डाक पत्थर में स्थित सिंचाई विभाग के चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत करने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग से स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

जी हाँ।

जनपद देहरादून के डाकपत्थर में सिंचाई विभाग के चिकित्सालय के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उक्त चिकित्सालय में भूमि/भवन एवं उपकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में कार्यरत कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

श्री नवप्रभात-

स्थगित।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अल्मोड़ा जनपद में अनुसूचित जाति की गरीब कन्याओं की शादी के लिए आवेदनों पर विधान सभा वार विवरण एवं आर्थिक सहायता

20-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में अल्मोड़ा जिले में अनुसूचित जाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिए सहायता हेतु विधान सभा वार कितने आवेदन प्राप्त हुए?

क्या सरकार द्वारा आवेदकों को सहायता दी गई है?

यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिये विधान सभा वार कुल प्राप्त/स्वीकृत तथा शेष आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत् है-

विधान सभा क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत आवेदन-पत्र	शेष आवेदन-पत्र
अल्मोड़ा	96	53	19
जागेश्वर	84	53	10
सोमेश्वर	38	23	09
रानीखेत	44	20	10
द्वाराहाट	48	36	11
सल्ट	53	19	09
योग	363	210	65

उपरोक्त के अतिरिक्त 88 आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठा।

नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मालचन्द, श्री मदन कौशिक, श्री संजय गुप्ता, श्री चन्दन राम दास, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री यतीश्वरानन्द, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री आदेश चौहान, श्री ललित फर्स्वाण, श्री महावीर सिंह, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री अरविन्द पाण्डे की कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री संजय गुप्ता, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री हरभजन सिंह चीमा तथा श्री ललित फर्स्वाण की सूचनाओं को नियम-300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र देवायल व देघाट में भवनों के हस्तगत न होने और विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही से जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा के स्वास्थ्य केन्द्र देवायल व देघाट में दोनों ही स्थानों पर सरकार के करोड़ों रूपये व्यय हो जाने के वर्षों बाद भी आज समय तक भवनों को हस्तगत ना होने व लावारिस पड़े रहने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण मूर्त रूप न ले पाने के कारण आज भी जनता को इलाज हेतु 60 से 100 कि0मी0 तक जाना पड़ता है। कोई भी सुविधा जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, लैब टैकनीशियन, फार्मासिस्ट, महिला डाक्टर व किसी भी प्रकार की उचित सुविधा ना होने के कारण अधिकांशतः रोगी रास्ते में ही बुरी अवस्था में पहुँच जाते हैं। इन दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगभग 60 हजार की जनसंख्या निर्भर करती है। जनता स्वास्थ्य केन्द्रों के हस्तगत ना होने और विभाग द्वारा की जा रही घोर लापरवाही से निराश है और यह निराशा कभी भी एक बड़े आन्दोलन का कारण बन सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र लक्सर में पिछले वर्ष आपदा के दौरान बरसात के कारण ग्राम भोगपुर से ग्राम बालावाली तक टूटे गंगा के तटबंध की सुरक्षा के लिए कोई स्टड न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना-

श्री संजय गुप्ता-

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र लक्सर में पिछले वर्ष आपदा के दौरान ग्राम भोगपुर से ग्राम बालावाली गंगा का तटबंध कई स्थानों पर टूट गया था, जिसके कारण कई गांवों में जल-भराव हो गया था तथा किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं। बरसात फिर से होने वाली है। तटबंध अभी तक दुरूस्त नहीं हो पाया है न ही अभी तक तटबंध की सुरक्षा के लिये स्टड बने हैं। ग्रामीण भयभीत हैं।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करता हूँ।

खटीमा शहर एवं उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों मे जल भराव की समस्या के कारण खटीमा शहर तथा ग्रमीण क्षेत्र की जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्कर सिंह धामी-

मान्यवर, प्रदेश के खटीमा शहर एवं उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बरसात में जल भराव हो जाता है, जिससे क्षेत्रीय जनता का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा मेरे माध्यम से शासन/प्रशासन को पूर्व में भी सूचित किया गया है। इस जल भराव की समस्या के कारण खटीमा शहर/ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आक्रोश है

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

जनपद देहरादून विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

मान्यवर, जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र की जनता को आने–जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और यातायात घण्टों बाधित रहता है, जिस कारण क्षेत्र की जनता व मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों को घण्टों जाम में फंसना पड़ता है। क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधियों ने इससे पहले भी कई बार पार्किंग की व्यवस्था करने हेतु धरना व प्रदर्शन किये, आज तक भी इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जिस कारण क्षेत्र की जनता आक्रोशित है तथा परिस्थिति कभी भी उग्र आन्दोलन का रूप धारण कर सकती है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम–300 पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के निरीक्षक के पद पर संविदा पर तैनात कार्मिक पर जांच में लाखों रूपये गबन एवं सरकारी अभिलेखों में कूट रचना की पुष्टि होने के फलस्वरूप शासन द्वारा उक्त कर्मचारी को वक्फ बोर्ड से पदच्युत व विधिक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

हाजी सरवत करीम अंसारी–

[मान्यवर, प्रदेश के वक्फ बोर्ड में निरीक्षक के पद पर संविदा पर तैनात कार्मिक द्वारा लाखों रू० फर्जी तरीके से गबन करने की पुष्टि जांच में हुई है। जांच आख्या पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु वक्फ बोर्ड द्वारा सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन को फरवरी 2014 में प्रेषित की गयी थी। जिस पर न्याय विभाग द्वारा अपनी राय में धारा–420,467,468,471 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करने एवं अभिलेखों को सुरक्षित हाथों में सुपुर्द करने की राय दी गयी है। प्रकरण पर श्री राज्यपाल द्वारा भी शासन को दो बार नोट/पत्राचार किया जा चुका है, किन्तु उपरोक्त प्रकरण पर शासन द्वारा अभी तक आरोपी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही न हो पाने से आरोपी कार्मिक के हौसले बुलन्द हैं और उनके द्वारा लगातार वक्फ बोर्ड को हानि पहुंचायी जा रही है।

इस लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

नोट– यह सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कन्यालीकोट–जगथाना मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृति के बाद लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग कन्यालीकोट-जगथाना में लाखों रूपये खर्च करने के बाद भी अतिथि तक सड़क पर आवागमन नहीं हो पाया है। जबकि विभाग द्वारा उक्त सड़क मानकों में नहीं काटी जा रही है। 02 वर्ष से लगातार निर्माणाधीन पुलों के अपरमैन्ट व सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। महोदय, मोटर मार्गों व पुलों के निर्माण के लिए विभाग की ओर से 05 बार टेण्डर आमंत्रित हो चुके हैं। फिर भी विभाग द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई रूचि नहीं दिखायी जा रही है और विभागीय अधिकारियों द्वारा लाखों रूपये खर्च करने बाद भी क्षेत्रीय जनता को उक्त मोटर मार्ग का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। महोदय, जनहित को देखते हुए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है। जबकि विभाग द्वारा लाखों रूपये खर्च करके भी मोटर मार्ग में पिछले 05 वर्ष से आज तक आवागमन नहीं हो पाया है। जनहित का विषय होने के कारण उक्त मोटर मार्ग की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतः मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली सूचना श्री बंशीधर भगत जी की है, जो उत्तराखण्ड के जंगलों में भीषण आग से सम्बन्धित है। दूसरी सूचना माननीय अजय भट्ट जी, श्री मदन कौशिक जी एवं तमाम अन्य माननीय सदस्यों की है, जो आबकारी नीति के थोक बिक्री के सम्बन्ध में है। और तीसरी सूचना श्री प्रदीप बत्रा जी की है। मैं इन तीन सूचनाओं में से जो दूसरी आबकारी की थोक नीति के सम्बन्ध में है इस सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, यह नियम–310 का मामला है और यह इतना भयंकर मामला है कि इससे पूरा देश उबल रहा है, इसका संदेश पूरे देश में गया है, इसलिए इसको

नियम-310 के अन्तर्गत सुनना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये चीजें जा रही हैं आप ये अखबार देखिये, संडे पोस्ट देख रहे हैं। मान्यवर, आदेश इसके फ्रंट पेज पर छपा हुआ है, जो आदेश गोपनीय था, जिसके बारे में कहा गया था कि कभी हमने कुछ किया ही नहीं।

श्री मनोज तिवारी-

मान्यवर, किसी माननीय सदस्य द्वारा कहे जाने पर अखबार की बातों का संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया जाता।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, यदि इसे दबाया जायेगा तो इसका संदेश गलत जायेगा। मान्यवर, नियम-310 में कोई सरकार गिरने नहीं जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बोलने के लिए तैयार हैं, यदि मुख्यमंत्री जी तैयार हैं तो नियम-310 में उनको बोलने का मौका दें। मान्यवर, बिना कैबिनेट को विश्वास में लिये, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, सभी इसमें मैनेज हो गये हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं सारे सदन में आरोप लगा रहा हूँ। बिना कैबिनेट को विश्वास में लिये दो आदेश ऐसे हो गये हैं, एक मोटो कार कम्पनी का और दूसरा आदेश यह आबकारी का।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको नियम-58 के अन्तर्गत इसमें बोलने का मौका मिलेगा, उस समय अपनी बात रखियेगा।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, आबकारी के आदेश में सारा मंत्रिमण्डल मिला हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-58 में अपनी बात रखिए। (व्यवधान) जो परम्परा है, उसका पालन करिये। आप नियम-58 में बोलिए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, हम बिल्कुल नियमों का पालन करते आये हैं। गैरसैंण में यह सत्र हो रहा है और एक अच्छे पार्लियामेंटी की तरह हर विधायक ने आपको सम्मान दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-58 में बोलिये। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, लेकिन यह मामला नियम–310 से कम में नहीं सुना जा सकता है। (व्यवधान) यह मामला नियम–310 का है और आप इसे नियम–310 के अन्तर्गत ही सुनें। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–04 पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम इस मामले में बैठने वाले नहीं हैं, चूंकि यह प्रदेश को बेचने का प्रबंध कर दिया गया है। यह प्रदेश को माफिया के हाथ देने का प्रबन्ध कर दिया गया है। यह प्रदेश को समाप्त करने का पूरा मौका कर दिया गया है। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है। इस मामले में पूरी सरकार साथ है, हर मंत्री इसमें भागीदार है। हम कह रहे हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी नियम–58 के अन्तर्गत जवाब देने को तैयार हैं तो नियम–310 के अन्तर्गत अपना जवाब क्यों नहीं दे देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि नियम–310 में इसका उत्तर देने के लिए तैयार रहें। हम नियम–310 में इसमें बहस करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला नियम–310 में नहीं लिया जायेगा। मैंने नियम–58 के अन्तर्गत ले लिया है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें बहुत बड़ा खेल हो गया है, इसमें 50 से 100 करोड़ रू0 का खेल हो गया। पूरे प्रदेश की आबकारी की नीति एक महीने में बदल दी गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–58 के अन्तर्गत इस मामले को उठा दीजिए, उसमें सारी बात आ जायेगी। इसका जवाब भी आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह नियम–310 का मामला है। इस मामले में पूरा सदन भाग लेना चाहता है और आपके ऊपर भी गैरसैंण में पूरा पहाड़ देखेगा। अध्यक्ष जी, पूरा पहाड़ पीठ को भी देखेगा, इसमें। इसलिए पीठ को इसमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर उत्तर देना चाहिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, पहाड़ में कोई ढोंग नहीं चलेगा। राजधानी बनाने का ये ढोंग कोई लम्बे समय तक नहीं चलेगा, यह ढोंग और नाटक नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 01:10 बजे तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 01:10 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को पुनः उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की हमने सूचना दी हुई है। हम अपनी सूचना पर बल देते हैं। नियम–310 का मामला ऐसा है, गैरसैंण से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। गैरसैंण से गलत संदेश इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फैसला लिया गया, वह भी आचार संहिता के दौरान।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है, मैं पहले ही विनिश्चय दे चुका हूं कि नियम–310 की सूचना को मैं नियम–58 में ग्राह्य करूंगा और उसकी ग्राह्यता पर सुनूंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह इतनी बड़ी घटना है, यह छोटी घटना नहीं है, इससे पूरे पहाड़ दहल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आखिर इसमें सरकार का क्या उत्तर है, सरकार की क्या मजबूरी थी।

श्री अध्यक्ष–

मैं सत्ता पक्ष से अनुरोध करूंगा कि इसका जवाब दे और पूरी चर्चा नियम–58 में होगी। उसके लिए आप राजी हैं?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने नियम–310 की सूचना दी है। यह तो नहीं चलेगा। हम चाह रहे थे कि गैरसैंण में अच्छा संदेश दिया जाय। इतना बड़ा मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि यहां कम से कम अच्छी चीजें तो आएगी।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उत्तर मिलेगा। नियम–58 में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब ऐसे मसले पर नहीं होता तो गैरसैण में यह नाटक करने का क्या औचित्य है? माननीय अध्यक्ष जी, अगर इतनी गंभीर बातें यहाँ नहीं आती हैं, गोटोकॉर्प कम्पनी का वही हाल है, उसमें 260 करोड़ रूपये का चूना लगा दिया हमारे खजाने पर और इसमें मैं समझता हूँ कि करोड़ों करोड़ रूपये का गोलमाल हो गया है। ऐसी बातों पर यदि हम पर्वतीय क्षेत्र की राजधानी जहाँ बनाने की बात करते हैं, वहाँ पर बात नहीं करते हैं तो क्या औचित्य है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो मामला उठाया है, उसका स्पष्ट उत्तर आपको नियम–58 में मिल जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, कतई नहीं मिलेगा। 58 में उत्तर नहीं मिलता। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छा संदेश दें यहां पर और सरकार की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी अच्छा मैसेज जाना चाहिए।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–4 पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री का नाम पुकारे जाने पर कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत वर्ष 2014 के प्रथम सत्र में प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी याचिका उपस्थित करने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय चन्तोला का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय चन्तोला का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रमेश राम, निवासी–ग्राम चन्तोला, पो0 नरगोली, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के नरगोली हेतु नरगोल गांव के बीच चौरा गधेरा में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के नरगोली हेतु नरगोल गांव के बीच चौरा गधेरा में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल चौतेला निवासी–ग्राम व पो0–नरगोली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद बागेश्वर के ग्राम ठांगा के पड़िगाड़ गधेरे से राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत घर तथा गांव को बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के ग्राम ठांगा के पड़िगाड़ गधेरे से राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत घर तथा गांव को बाढ़ सुरक्षा हेतु तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सतीश चन्द्र उप्रेती, निवासी–ग्राम ठांगा व पो0 नरगोली, तहसील–काण्डा, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 जून, 2014 की बैठक में दिनांक 10 जून, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्न लिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

10 जून 2014

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। (05 मिनट)

2. उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। (05 मिनट)

3. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

4. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

5. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

6. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे–

"राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।" (एक घण्टा)

2. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी–

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।" (एक घण्टा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री माल चन्द, श्री मदन कौशिक, श्री संजय गुप्ता, श्री गणेश जोशी, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री चन्दनराम दास, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री यतीश्वरानन्द, श्री दलीप रावत, श्री बंशीधर भगत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महावीर सिंह तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री मदन कौशिक, श्री चन्दन राम दास, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री बंशीधर भगत की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री चन्दन राम दास, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री बंशीधर भगत का नाम पुकारा गया किन्तु कोई भी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014–2015 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान,

अनुदान संख्या–01 विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रू0 258500 हजार (पच्चीस करोड़ पचासी लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रू0 258500 हजार (पच्चीस करोड़ पचासी लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत रू0 24821 हजार (दो करोड़ अड़तालीस लाख इक्कीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत रू0 24821 हजार (दो करोड़ अड़तालिस लाख इक्कीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 14905 हजार (एक करोड़ उन्चास लाख पांच हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 14905 हजार (एक करोड़ उन्चास लाख पांच हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–05, निर्वाचन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत रू0 32235 हजार (तीन करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन के अन्तर्गत रू0 32235 हजार (तीन करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन,

राजस्व एवं सिंचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रूपये 378110 हजार (सैंतीस करोड़ इक्यासी लाख दस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रूपये 378110 हजार (सैंतीस करोड़ इक्यासी लाख दस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 175411 हजार (सत्रह करोड़ चौवन लाख ग्यारह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 175411 हजार (सत्रह करोड़ चौवन लाख ग्यारह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल

पुलिस एवं जेल प्रशासन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 282500 हजार (अट्ठाईस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 282500 हजार (अट्ठाईस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–11, शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

शिक्षा एवं खेल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 4782912 हजार (चार सौ अठहत्तर करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 4782912 हजार (चार सौ अठहत्तर करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत 3439255 हजार (तीन सौ तैंतालीस करोड़ बानबे लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत 3439255 हजार (तीन सौ तैंतालीस करोड़ बयानवे लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 2009000 हजार (दो सौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 2009000 हजार (दो सौ करोड नब्बे लाख) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-14 सूचना

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 7663 हजार (छिहत्तर लाख तिरसठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 7663 हजार (छिहत्तर लाख तिरसठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें

संसदीय एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रू0 1163596 हजार (एक सौ सोलह करोड़ पैंतीस लाख छियानब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रू0 1163596 हजार (एक सौ सोलह करोड़ पैंतीस लाख छियानब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–16, श्रम रोजगार

दुग्ध विकास एवं श्रम मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम रोजगार के अन्तर्गत रू0 535230 हजार (तिरपन करोड़ बावन लाख तीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम रोजगार के अन्तर्गत रू0 535230 हजार (तिरपन करोड़ बावन लाख तीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान

कृषि एवं उद्यान मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 412674 हजार (इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 412674 हजार (इकतालीस करोड़ छब्बीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रूपये 10178086 हजार (एक हजार सत्रह करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रूपये 10178086 हजार (एक हजार सत्रह करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़

राजस्व, आपदा एवं सिंचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 202592 हजार (बीस करोड़ पच्चीस लाख बयानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 202592 हजार (बीस करोड़ पच्चीस लाख बयानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–21 ऊर्जा

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 4 हजार (चार हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 4 हजार (चार हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण के अन्तर्गत रू0 4150002 हजार (चार सौ पन्द्रह करोड़ दो हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण के अन्तर्गत रू0 4150002 हजार (चार सौ पन्द्रह करोड़ दो हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–23 उद्योग

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 260598 हजार (छब्बीस करोड़ पांच लाख अट्ठानबे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 260598 हजार (छब्बीस करोड़ पांच लाख अट्ठानवे हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–24 परिवहन

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 253815 हजार (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 253815 हजार (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–25 खाद्य

ग्राम्य विकास एवं खाद्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 2010705 हजार (दो सौ एक करोड़ सात लाख पांच हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 2010705 हजार (दो सौ एक करोड़ सात लाख पांच हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–26 पर्यटन

पर्यटन मंत्री (श्री दिनेश धनै)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 1918107 हजार (एक सौ इक्यानवे करोड़ इक्यासी लाख सात हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 1918107 हजार (एक सौ इक्यानवे करोड़ इक्यासी लाख सात हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–27 वन

वन मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0 949820 हजार (चौरानवे करोड़ अठ्ठानवे लाख बीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर-व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0 949820 हजार (चौरानवे करोड़ अठ्ठानवे लाख बीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–28, पशुपालन

पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 214433 हजार (इक्कीस करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 214433 हजार (इक्कीस करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत रू0 535450 हजार (तिरपन करोड़ चौवन लाख पचास हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत रू0 535450 हजार (तिरपन करोड़ चौवन लाख पचास हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 3094834 हजार (तीन सौ नौ करोड़ अड़तालीस लाख चौंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 3094834 हजार (तीन सौ नौ करोड़ अड़तालीस लाख चौंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 904030 हजार (नब्बे करोड़ चालीस लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 904030 हजार (नब्बे करोड़ चालीस लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014

(विधेयक संख्या ....वर्ष 2014)

31 मार्च, 2015 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम 1– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2014 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2014–15 के लिये रू० 38189288000 का दिया जाना–

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों, जिनका कुल योग रू० 38189288000 (रूपया तीन हजार आठ सौ अठ्‌ठारह करोड़ बयानवे लाख अठ्‌ठासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुपूरक आय–व्ययक 2014–2015

(धनराशि हजार ₹ में)

अनुदान	विभाग का नाम	श्रेणी	अनुपूरक आय–व्ययक 2014–2015		
			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
1	2	3	4	5	6
01–	विधान सभा	राजस्व	8500	0	8500
		पूँजी	0	250000	250000
03–	मंत्रि परिषद्	राजस्व	24821	0	24821
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	14905	0	14905
		पूँजी	0	0	0
05–	निर्वाचन	राजस्व	32235	0	32235
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	13525	364585	378110
		पूँजी	0	0	0

1	2	3	4	5	6
07–	वित्त, कर, नियोजन,	राजस्व	175411	0	175411
	सचिवालय एवं अन्य सेवायें	पूँजी	0	0	0
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	72500	0	72500
		पूँजी	0	210000	210000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण	राजस्व	489540	2220635	2710175
	तथा संस्कृति	पूँजी	0	2072737	2072737
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	34385	3393270	3427655
		पूँजी	0	11600	11600
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर	राजस्व	0	1959000	1959000
	विकास	पूँजी	0	50000	50000
14–	सूचना	राजस्व	5799	1864	7663
		पूँजी	0	0	0
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	123371	1028765	1152136
		पूँजी	0	11460	11460
16–	श्रम एवं रोजगार	राजस्व	0	35230	35230
		पूँजी	0	500000	500000
17–	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	210232	172442	382674
		पूँजी	0	30000	30000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	182081	4361005	4543086
		पूँजी	0	5635000	5635000
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2092	500	2592
		पूँजी	0	200000	200000
21–	ऊर्जा	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	0	4	4
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	50002	20000	70002
		पूँजी	0	4080000	4080000

1	2	3	4	5	6
23–	उद्योग	राजस्व	9598	10000	19598
		पूँजी	0	241000	241000
24–	परिवहन	राजस्व	0	1000	1000
		पूँजी	250000	2815	252815
25–	खाद्य	राजस्व	2000705	0	2000705
		पूँजी	0	10000	10000
26–	पर्यटन	राजस्व	0	50000	50000
		पूँजी	0	1868107	1868107
27–	वन	राजस्व	345800	354018	699818
		पूँजी	0	250002	250002
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	0	207082	207082
		पूँजी	0	7351	7351
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	0	535450	535450
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	0	2707258	2707258
		पूँजी	0	387576	387576
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	353	783677	784030
		पूँजी	0	120000	120000
	योग	राजस्व	3795855	18205781	22001636
		पूँजी	250000	15937652	16187652
	महायोग		4045855	34143433	38189288

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2014–15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2014)

(भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (न) में–

(क) क्रमांक (41) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(ख) पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात–

"(63) राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिषद,

(64) पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद एवं पिछड़ा वर्ग निधि अनुश्रवण,

(65) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद,

(66) राज्य खनिज विकास परिषद,

(67) उत्तराखण्ड समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति,

(68) एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 अधिनियम अनुपालन व अनुश्रवण समिति,

(69) समाज कल्याण व राज्य सम्पत्ति विभाग के सलाहकार,

(70) उत्तराखण्ड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड,

(71) हरिद्वार/रूड़की विकास प्राधिकरण,

(72) तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला परिषद,

(73) राज्य स्तरीय जिला योजना अनुश्रवण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति,

(74) आपदा पुनर्निर्माण क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।"

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन और अपवाद

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश 2014 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2014 तथा अध्यादेश संख्या 03 वर्ष 2014) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–वर्ष 2014

(भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 1 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 4 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (3) निम्नवत् कर दी जायेगी, अर्थात–

"अध्यक्ष सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति, प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख–रखाव के लिए यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति को रूपये चौंतीस हजार मात्र तथा उपाध्यक्ष या उपसभापति को बत्तीस हजार रूपये प्रतिमास के रूप में पाने का अधिकार होगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–24 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2014)

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना और उससे सम्बद्ध और अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 है।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

लागू होना

2. इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह ग के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य निकाय के समूह ग के पदों को भी आयोग की परिधि में रख सकती है अथवा हटा सकती है।

अपवाद

3. इस अधिनियम की कोई बात–

(क) राज्य विधान सभा के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त के अधीन

(ङ) उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम द्वारा शासित, किसी पद भर्ती के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

परिभाषायें 4. जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हों, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ख) "आयोग" से धारा 5 के अधीन गठित उत्तराखण्ड सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "अध्यक्ष" से, आयोग के अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "समूह ग के पद" से, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है,

(ङ) "सदस्य" से आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है,

(च) "सचिव" से आयोग के सचिव अभिप्रेत है,

(छ) "भर्ती का वर्ष" से, किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय-दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना 5. (1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा।

आयोग की संरचना 6. (1) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे।

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्त्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

7. अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे:

परन्तु यह कि आयोग के आधे सदस्य यथासाध्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

8. (1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी,

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का गठन करना,

(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस विधेयक या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो।

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना।

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यार्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस विधेयक या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीनस्थ अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

9\. (1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष के लिये पद धारण करेगा,

परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या छः वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

10\. अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाये,

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो।

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11\. आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12\. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग का सचिव 13. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जायें।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण 14. आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य 15. (1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात–

(क) भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्ग–दर्शक सिद्धान्त तैयार करना,

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना।

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना।

(घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जाये।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य 16. आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा,

परन्तु यह कि राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियाँ

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना 17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियाँ ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेंगी जैसी विहित की जाये।

आयोग द्वारा चयन 18. (1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यार्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियाँ करेगा।

अध्याय–पाँच

आयोग के समस्त कार्य

बैठक में निर्णय 19. आयोग की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति — 20. आयोग की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट — 21. आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति — 22. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति — 23. (1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत इस विधेयक के अधीन चयन करने के लिये परीक्षायें आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिये फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम का अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण — 24. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–24 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग विधेयक 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री दिनेश धनै)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–53, अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.........सन् 2014)

यह इष्टकर है कि उत्तराखण्ड में प्रारम्भिक और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा के एकीकृत रूप के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और विभागीय प्रशिक्षणों की संरचना एवं प्रक्रिया के विनियमन, पर्यवेक्षण और उनके लिये पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक संस्कृत परिषद की स्थापना करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियम बनाया जाता है।

भाग–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

1. (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 है।
   (ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
   (ग) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
   (क) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।
   (ख) 'परिषद' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद अभिप्रेत है।
   (ग) 'निदेशक' से संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड का निदेशक अभिप्रेत है।
   (घ) 'सभापति' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का सभापति अभिप्रेत है।
   (ड) 'निदेशालय' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय अभिप्रेत है।
   (च) 'संयुक्त निदेशक' से संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड का संयुक्त निदेशक अभिप्रेत है।
   (छ) 'उपनिदेशक' से संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड का उप निदेशक अभिप्रेत है।

(ज) 'सचिव' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का सचिव, अभिप्रेत है।

(झ) 'उपसचिव' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का उप सचिव, अभिप्रेत है।

(ञ) 'सहायक निदेशक' से संस्कृत शिक्षा का सहायक निदेशक अभिप्रेत है।

(ट) 'परिषद का सदस्य' से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का सदस्य अभिप्रेत है।

(ठ) 'संस्था' से मान्यता प्राप्त उत्तरमध्यमा स्तर समकक्ष इण्टरमीडिएट पूर्वमध्यमा स्तर समकक्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर, प्रथमा समकक्ष पूर्वमाध्यमिक स्तर तथा संस्कृत प्राथमिक विद्यालय कक्षा प्रथम से पंचम कक्षा तक अभिप्रेरित है।

(ड) 'सहायता प्राप्त संस्था' से राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है।

(ढ) 'विद्यालय' से परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय एवं वित्तविहीन या स्ववित्त पोषित विद्यालय अभिप्रेत है।

(ण) 'उत्तरमध्यमा' से कक्षा 11–12 'पूर्वमध्यमा' से कक्षा 09–10 'प्रथमा' से कक्षा 06–08 एवं 'प्राथमिक' से कक्षा 01–05 अभिप्रेत है।

(त) 'संस्था का प्रधान' से परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य अभिप्रेत है और 'प्रधानाध्यापक' से मान्यता प्राप्त प्रवेशिका, प्रथमा, पूर्वमध्यमा विद्यालयों के प्रधान तथा 'प्रधानाचार्य' से उत्तरमध्यमा विद्यालयों के प्रधान अभिप्रेत है।

(थ) 'अध्यापक' से परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक, शिक्षिका अभिप्रेत है। जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है, जो संस्था की मान्यता या उनकी किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप नियमित रूप से सेवायोजित हो।

(द) किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के 'कर्मचारी' से किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो।

(ध) 'प्रबन्धाधिकरण' से मान्यता प्राप्त संस्था के सम्बन्ध में प्रशासन योजना के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो,

(न) 'स्थानीय निकाय' एवं पंचायती राज से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद अभिप्रेत है।

(प) 'केन्द्र' से परिषद द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिये नियत की गयी संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि भी सम्मिलित है।

(फ) 'केन्द्र अधीक्षक' से परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है।

(ब) 'अन्तरीक्षक' से परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र अधीक्षक की सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया अन्तरीक्षक अभिप्रेत है।

(भ) 'अनुरक्षण अनुदान' से संस्था का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे।

(म) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक/अध्यापिका एवं कर्मचारी के 'वेतन' से अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय संदत्त उपलब्धियों का योग अभिप्रेत है, और इसमें मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी सम्मिलित हैं।

(य) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में 'सम्पत्ति के अन्तर्गत संस्था की, पूर्णतः या अन्य रूप से संस्था के लाभार्थ न्यासित सभी स्थावर सम्पत्तियाँ हैं, जो प्रबन्ध तंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो तथा इसमें उद्भूत होने वाले अन्य अधिकार और हित भी हैं।

(र) 'मान्यता' से परिषद द्वारा विहित पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यार्थियों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रदान की गयी मान्यता अभिप्रेत है।

(ल) 'माध्यम भाषा' से संस्कृत निदेशालय एवं परिषद द्वारा संस्थाओं के साथ शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यों में संस्कृत/हिन्दी भाषा का प्रयोग अभिप्रेत है।

(व) 'विनियम' से इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है।

(स) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

भाग दो

संस्कृत शिक्षा की विभागीय संरचना कृत्य और शक्तियां

संस्कृत शिक्षा की विभागीय संरचना, कृत्य और शक्तियाँ

3\. (1) राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, अनुश्रवण तथा वित्तीय प्रबन्ध हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जनपदीय सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, सचिव, उपसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, के अतिरिक्त राज्य, जनपद विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत अथवा समुचित स्तर पर क्रमशः संस्कृत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन संस्कृत कला तथा संस्कृत विज्ञान केन्द्र एवं संस्कृत विद्यालय संकुल की स्थापना कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में वर्णित संस्थाओं में ऐसे नये अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जो राज्य सरकार उचित समझे।

(3) उपधारा (2) में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसे विनियम में विहित किया जाय।

राज्य में संस्कृत शिक्षा परिषद के कृत्य

4\. (1) संस्कृत शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत संस्कृत के उत्थान परिपोषण के लिये संस्कृत अकादमी से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेगी।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कार्यों का निर्वहन करेंगे–

(क) विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करने के लिये वार्षिक अनुमान तथा लेखों को तैयार करना।

(ख) राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित की जा रही केन्द्रपोषित एवं राज्य सरकार की परियोजनाओं तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी के लिए सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं को संस्कृत शिक्षा में लागू करने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति लेना।

(ग) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्ययोजनाओं में सहयोग लेना।

(घ) संस्कृत शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ङ) सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण का संचालन करना।

(च) शैक्षिक उन्नयन हेतु संस्कृत शिक्षा परिषद/राज्य सरकार को सुझाव प्रेषित करना।

(3) धारा की उपधारा (1) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कार्यों का निर्वहन करेंगे अर्थात्–

(क) संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की संरचना संशोधन एवं परिष्कार करना।

(ख) पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री एवं अन्य शिक्षण सामग्री की संरचना करना।

(ग) शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री की संरचना, संशोधन एवं परिष्कार करना।

(घ) विभागीय परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम एवं सामग्री की संरचना करना।

(ङ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्री परिषद के विचारार्थ प्रेषित करना।

(च) संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना।

(छ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री एवं अन्य शोध कार्यों का प्रकाशन करना।

(ज) संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षक-शिक्षा संबंधी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना।

(झ) संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा विभागीय परीक्षाओं हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना।

(ञ) शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना।

(ट) सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन शैक्षिक प्रविधियों का समावेश करना।

(ठ) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन शैक्षिक प्रविधियों का समावेश करना।

(ड) संस्कृत/हिन्दी को माध्यमभाषा के रूप में शासकीय, प्रशासकीय कार्यों हेतु प्रयोग में लाना।

(ढ) उपधारा 3 के खण्ड (क) से (ड) में वर्णित कार्यों के संचालन के लिए वार्षिक अनुमानों तथा लेखों को तैयार करना।

भाग-तीन

परिषद की स्थापना, उसके सदस्यों की पदावधि, अन्य शर्तें एवं उनकी शक्तियां

परिषद की स्थापना 5. उस दिनांक से जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद की स्थापना कर सकेगी।

परिषद का संगठन 6. (1) परिषद में एक सभापति और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात-

(क) निदेशक, संस्कृत शिक्षा पदेन सभापति।

(ख) निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तरमध्यमा संस्थाओं के तीन प्रधानाचार्य जिनमें एक राजकीय संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के प्रधान हो।

(ग) संस्कृत के प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन प्रधानाध्यापक जिनमें एक प्राथमिक संस्था, एक अशासकीय पूर्वमध्यमा संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के प्रधानाध्यापक हो।

(घ) संस्कृत माध्यमिक संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन शिक्षक जिनमें एक राजकीय संस्कृत संस्था, एक अशासकीय संस्कृत संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के शिक्षक हो तथा प्राथमिक संस्कृत संस्था एवं पूर्व माध्यमिक संस्कृत स्तर की संस्थाओं के निदेशक/सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक जिनमें एक राजकीय संस्कृत प्राथमिक संस्था, एक अशासकीय संस्कृत संस्था और एक महिला संस्कृत संस्था के शिक्षक हो।

(ङ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी संस्कृत महाविद्यालय का निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्राध्यापक

(च) उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।

(छ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों (विशेषतः योग, आयुर्वेद तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्राध्यापक जिनमें उक्त में क्रमशः एक–एक प्राध्यापक हो।

(ज) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संस्कृत विशेषज्ञ।

(झ) मेडिकल कालेज का निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।

(ञ) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड के निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ।

(ट) वित्त विभाग का, निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि।

(ठ) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर का उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।

(ड) निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो वरिष्ठ संस्कृत शिक्षा अधिकारी।

(ढ) नेपाली/पालि भाषाओं से सम्बद्ध निदेशक/सभापति द्वारा संस्तुत, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।

(ण) महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून का प्राचार्य, पदेन।

(त) परिषद का सचिव, पदेन, जो परिषद का सदस्य सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये शिक्षा से सम्बद्ध चार व्यक्तियों से अनधिक को परिषद का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक् रूप से गठन कर लिया गया है।

सदस्य का हटाया जाना

7. (1) राज्य सरकार परिषद से ऐसे किसी सदस्य को हटा सकेगी जो उसकी राय में–

(क) कार्य करने से इन्कार करता है।

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है।

(ग) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है जिसके कारण उसका पद पर बना रहना लोक हित में हानिकारक है या–

(घ) सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अन्यथा अनुपयुक्त है।

(2) ऐसा सदस्य जो लगातार तीन बार परिषद द्वारा आयोजित बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेगा ऐसे सदस्य को हटाया जा सकेगा।

सदस्यों की पदावधि 8. पदेन सदस्यों को छोड़कर प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिये पदधारण करेगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

परन्तु यह कि सदस्य अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना 9. परिषद के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में से सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार प्रक्रिया के द्वारा निदेशक/सभापति के निर्देशानुसार विनियम के अन्तर्गत भरी जायेंगी।

परिषद् की शक्तियां 10. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात–

(क) उत्तरमध्यमा, पूर्वमध्यमा, प्रथमा तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री यदि कोई हो विहित करना।

(ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तक अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सम्पूर्ण या किसी भाग का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करना या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण,

(ग) पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की रचना, परिष्कार अथवा संशोधन करना,

(घ) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना–

(1) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन/प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तथा जिन्होंने ऐसी संस्था से सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसे परिषद द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किये गये हों, या

(2) ऐसे अध्यापक जिन्होंने सेवारत या सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या जिन्होंने विनियम में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की परीक्षायें उत्तीर्ण की हों,

(ङ) अपने द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना,

(च) संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना, शिक्षक प्रशिक्षण विषयक परीक्षाओं एवं विभागीय परीक्षाओं का संचालन करना,

(छ) अपनी परीक्षाओं में अभ्यार्थियों को प्रवेश देना,

(ज) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायें,

(झ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना।

(ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से आख्या मांगना,

(ट) संस्थाओं द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदनों एवं अपीलों पर कार्यवाही करना,

(ठ) राष्ट्रीय स्तर अथवा क्षेत्रीय स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक कार्ययोजनाओं में सहयोग करना,

(ड) संस्कृत, योग, आयुर्वेद एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय सरकारी अथवा गैरसरकारी अभिकरणों से समन्वय स्थापित करना।

(ढ) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस०आई०ई०एम०ए०टी०) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडीज इन एजूकेशन (आई०ए०एस०ई०) सी०टी०ई० तथा एस०सी०ई०आर०टी० से समन्वय स्थापित करना,

(ण) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना अथवा सहयोग प्राप्त करना, जो परिषद् अवधारित करें,

(त) संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना,

(थ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अन्य सामग्री तथा शोध कार्यों का प्रकाशन करना,

(द) संस्कृत शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना,

(ध) संस्कृत शिक्षा, शिक्षक शिक्षा विभागीय परीक्षा हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना,

(न) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बन्धित हो,

(प) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना,

(फ) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना, जो उत्तरमध्यमा, पूर्वमध्यमा, प्रथमा, प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिये एक निकाय के रूप मे संगठित किये गये परिषद् के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हो।

(ब) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य शक्ति का प्रयोग।

भाग–चार

नये विषयों अथवा उच्चतर कक्षाओं के लिए मान्यता

किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिये संस्था को मान्यता

11 धारा 10 के खण्ड (ढ) में किसी बात के होते हुये भी–

(क) उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दे सकती है।

(ख) सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।

भाग–पाँच

डिप्लोमा प्रमाण–पत्रों का अनधिकृत प्रयोग, दान और शास्ति

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र को अनधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

12. कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिये हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसने यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके धारक या गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और संस्कृत प्राथमिक, प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा जिसके वर्णन में उसके संस्कृत प्राथमिक, प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा एवं शिक्षा प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति–युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिये किसी दान आदि के आदान पर रोक

13. किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक/अध्यापिका या कोई अन्य कर्मचारी ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र/छात्रा से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहें, वह नगद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 12 अथवा 13 का उल्लंघन करने के लिये शास्ति

14. धारा–12 अथवा 13 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसायटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दण्डित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग

15. जहाँ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नगद हो या वस्तु के रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए

किया जाएगा, जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था की दशा में नगद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जावेगा। जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जावेगा।

भाग—छ:

राज्य सरकार की शक्तियाँ

राज्य सरकार की शक्तियां

16\. (1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित किये गये किसी भी कार्य के सम्बन्ध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सूचित करने की शक्ति होगी।

(2) परिषद् राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की यदि कोई हो, सूचना देगी।

(3) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(4) जब कभी सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद् को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है। और तदनुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

भाग–सात

परिषद् के समापति की शक्तियाँ, सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कृत्य तथा परिषद की समितियों का गठन तथा समितियों को शक्तियां प्रतिनिहित किया जाना

परिषद् के पदाधिकारी 17. परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–

(1) समापति

(2) सचिव

(3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा परिषद का पदाधिकारी घोषित किया जाये।

समापति की शक्तियाँ और कृत्य 18. (1) समापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) समापति को परिषद् की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।

(3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपत्तिक स्थिति में, जिसमें समापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो समापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात परिषद् को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) समापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ और कृत्य 19. (1) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी नियमों में विहित की जाये।

(2) परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुये सचिव परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) वह यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये व्यय की जाती हैं जिसके लिये वे स्वीकृत या प्रविष्ट की गयी हों।

(4) वह परिषद का कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(5) वह परीक्षाओं के संचालन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो।

(6) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

समितियों का गठन 20. (1) परिषद विनियमों में विहित रीति से निम्नलिखित समितियों को गठित कर सकेगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न भिन्न समितियां गठित की जा सकेंगी।

(2) परिषद की निम्नलिखित समितियां होंगी।

(क) पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति और

(ङ) वित्त समिति

(3) पूर्वोक्त समितियों में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक–एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

(क) धारा–6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान।

(ख) धारा–6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित शिक्षक।

(ग) धारा–6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) तथा (छ) में उल्लिखित प्रध्यापक।

(घ) धारा–6 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), तथा (ड) और धारा–6 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति।

(ङ) धारा–6 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ) तथा (ण) में उल्लिखित व्यक्ति।

परन्तु यह कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक समितियों का सदस्य नियुक्त नहीं हो सकेगा और समितियों के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद् की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(4) उपधारा–2 में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद् की अन्य समितियाँ यदि कोई हों जो विहित की जायं गठित कर सकेंगे और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न–भिन्न समितियाँ गठित की जा सकेंगी।

(5) पूर्वोक्त समितियों का गठन ऐसी रीति तथा ऐसी अवधि के लिये किया जा सकेगा जो विहित किया जाये।

परिषद् द्वारा समितियों को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग

21. इस अधिनियम द्वारा परिषद् को प्रदान किये गये ऐसे अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें परिषद् ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किये गये समझे जायेंगे और परिषद् ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

विनियम बनाने की परिषद् की शक्ति

22. (1) परिषद् निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकेगी अर्थात–

(क) समितियों का गठन उनके अधिकार और कर्तव्य।

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्र का प्रदान करना।

(ग) परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें।

(घ) समस्त प्रमाण–पत्रों तथा डिप्लोमा के लिये निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम।

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे।

(च) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क।

(छ) परीक्षाओं का संचालन।

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य और अधिकार।

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना।

(ञ) संस्थाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा मान्यता के सम्बन्ध में ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खण्ड, जिला, मण्डल स्तर पर समितियों का गठन तथा उनको अधिकारों का प्रतिनिधायन।

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

(ठ) वे शर्तें जिनके अधीन परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे।

(ड) अभिभावक-अध्यापक ऐसोशिएसन का गठन।

(2) उपधारा-1 के अधीन कोई विनियम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाया जायेगा। अन्यथा नहीं।

परिषद् की उपविधियाँ बनाने की शक्ति।

23. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबन्ध करने के लिये उपविधियाँ बना सकती है, अर्थात्-

(क) परिषद् तथा उनकी समितियों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली, प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या का अवधारण।

(ख) ऐसे विषय जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) राज्य सरकार परिषद् या उसकी समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकेगी।

रिक्तियों आदि से परिषद् और उसकी समितियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

24. परिषद् की कोई भी कार्य कार्यवाही परिषद् में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

परिषद् या उसकी समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द का लोक सेवक होना

25. परिषद् या उसकी समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द (भारतीय दण्ड संहिता, 1860) (1860 का 45) की उपधारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध

26. (1) परिषद् की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान अध्यापक/प्रधानाध्यापिका या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहा है तो वह परिषद् की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पति का अधियान करना और उसे कब्जे में लेना भी है।) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है तो उसे उसके लिय आवश्यक प्रतीत हो।

भाग–आठ

प्रशासन योजना, प्रबन्ध समिति का कार्यकाल प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

प्रशासन योजना

27. (1) किसी विधि, लेख या किसी न्यायालय के डिग्री या आदेश अथवा अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिये एक प्रशासन योजना होगी, (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) जिसे मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ

निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्धन समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायेगी। जिससे संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे प्रबन्धन समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो, तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथा स्थिति प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिये उस समय तथा अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी, जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिये अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसके अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 29 और 30 के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा।

(7) जब भी किसी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा ऐसी जाँच करने पर जिसे उचित समझा जाय उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन को तब तक मान्यता दी जा सकती है, जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेशन दे, परन्तु यह कि संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण– इस प्रश्न का अवधारण करने में, कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

प्रशासन योजना का अनुसूची से असंगत न होना

28. किसी ऐसी संस्था, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना अनुसूची एक में निर्धारित सिद्धान्तों के असंगत नहीं होगी।

प्रशासन योजना का निदेशक के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाना

29. जहाँ किसी संस्था के समबन्ध में, प्रशासन योजना इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी समय धारा–27 के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गयी हो और ऐसी प्रशासन योजना अनुसूची एक के उपबन्धों से असंगत हो, वहाँ संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः महीने के भीतर प्रशासन योजना का प्रारूप प्रथम अनुसूची में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तैयार कर निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रशासन योजना संशोधन या परिवर्तन की अपेक्षा और प्रशासन योजना का स्वीकार किया जाना

30. (1) धारा 27 अथवा धारा 29 के अधीन प्रस्तुत प्रशासन योजना में निदेशक किसी परिवर्तन या उपान्तरण का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिये अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसे अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ, जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तरण का प्रस्ताव करता है वहाँ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, या तो धारा 27 अथवा धारा 29 के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा, या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा। निदेशक प्रशासन योजना प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा।

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल

31. इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाई गयी प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक प्राविधानित नहीं होगा।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना

32. (1) निदेशक स्वयं अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों से किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण कर अथवा करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिये प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि–

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसे अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है, अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है, या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है, व्यवस्था करने में तीन वर्ष लगातार विफल रही है, या

(पाँच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरूपयोग, दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के उपबन्ध का उल्लंघन करके अंतरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 29 के अधीन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अनुमोदित की गयी हो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 32 के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तरण करने में असफल रही है, तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिए परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा निदेशक समय-समय पर अनुमति के कारण बताने में विफल रहे, या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रण कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है,

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे,

इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, किन्तु जिसमें उपधारा 8 में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पाँच वर्ष से अधिक न हों

परन्तु यह और कि यदि उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में हो तो प्राधिकृत नियंत्रण उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड तीन या खण्ड पाँच में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बताये कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

(6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अनुमति दे कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पाँच) में उल्लिखित कोई कारण अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत, नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने की तारीख को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील की तारीख को अन्तिम रूप से निरस्तारित न की जा चुकी हो उक्त तारीख से स्थगित समझी जायेगी.

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित की जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक की उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पाँच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिये बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे;

परन्तु यह कि निलम्बन उस तारीख से, जब वह प्रभावी हो, छः माह से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– (एक) सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा 8 में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को उपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके निलम्बित किया गया हो।

(दो) उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहत करने में प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सराकर या भारत सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा,

परन्तु यह कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण में परिषद् के द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निर्देश पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेंगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

33. (1) जहाँ धारा 32 की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहाँ–

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा

राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते, यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा और नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 32 की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज हैं, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिये उत्तरदायी होगा और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिये जाने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण— इस धारा और धारा 32, में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामीत्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि भवन, (छात्रावास सहित), निर्माण कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन–सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियाँ, यदि कोई हो, सम्मिलित है। और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुयें हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हों, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

भाग–नौ

अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन समिति का गठन

संस्था के प्रधान, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति

34. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक का पद सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक, संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा को रिक्ति की सूचना देने तथा संयुक्त निदेशक, प्रबन्ध समिति समिति को यह निर्देश देंगे कि वे रिक्ति को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञप्ति करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक की विनियमों में विहित अर्हता उसके पास न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका संदाय ऐसी रीति से किया जायेगा जो विहित की जाय, सहायक शिक्षा निदेशक संस्कृत को दिया जायेगा।

(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सहायक शिक्षा निदेशक संस्कृत ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन–पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

(दो) आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी,

(6) चयन समिति की सूची तैयार करेगी जिसमें पद हेतु नियुक्ति के लिए उपर्युक्त पाये गये यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होगा और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति कर उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी ।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक, संस्कृत को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में सहायक शिक्षा निदेशक, संस्कृत को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर भी चयन किया जायेगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर देगा और ऐसे परिणामी आदेश देगा, जो आवश्यक हों।

(11) कोई पुरूष अभ्यर्थी बालिका संस्था में किसी प्रधान अथवा अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी–

(क) किसी बालिका संस्था में पहले से स्थाई अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या

(ख) संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति

(12) संस्था में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये चयन प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विनियमों में विहित की जाय।

चयन समिति का गठन

35. (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी–

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट करें।– सभापति,

(दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, सदस्य,

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है,

(2) 'संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धन समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जो सभापति, होगा।

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान,

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से संयुक्त शिक्षा निदेशक संस्कृत द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों जिसमें संस्था स्थित है।

(3) संस्थान में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन निम्न प्रकार से होगा–

(एक) स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित चयन।

(1) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जो सभापति, होगा,

(2) ऐसी संस्था का प्रधान,

(3) संयुक्त शिक्षा निदेशक संस्कृत द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रान्तीय शिक्षक सेवा संवर्ग से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी.

(दो) निदेशक/सभापति की संस्तुति के आधारपर आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सराकर द्वारा अनुमोदन के माध्यम से चयन।

(4) संस्था में समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।

संस्थाओं के प्रधान अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

36. (1) मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्थायें की जा सकती हैं–

(क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें (जिसके अन्तर्गत जाँच या अपेक्षित जाँच होने तक या नैतिक पतन सम्बन्धित किसी अपराध के लिये किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जाँच या विचार किये जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियाँ और नोटिस देकर सेवा समाप्ति किया जाना सम्मिलित है।

(ख) वेतन–क्रम तथा वेतनों का संदाय,

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(3) (क) कोई भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक सहायक निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी

उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। संयुक्त निदेशक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त की नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि दण्ड के मामलों में संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा आदेश जारी करने के पूर्व प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर कारण बताये कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी संयुक्त निदेशक के आदेश के विरूद्ध आदेश की सूचना पाने की तारीख से एक माह के भीतर निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और निदेशक ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझें आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द या परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निर्णय पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिये गये निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय निष्पादित करने के लिये बाध्य होंगे।

(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में--

(क) उसके विरूद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उसे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय, या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, या

(ग) उसके विरूद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये दण्ड विषयक मामला अन्वेषण जाँच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर संयुक्त निदेशक को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे,

(7) निलम्बन का कोई आदेश,जब तक कि संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उस आदेश की तारीख से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिये प्रवृत्त न रहेगा और संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(8) यदि किसी समय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना निलम्बन किया जा रहा है तो संयुक्त निदेशक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिये गये निलम्बन के आदेश प्रतिसंहृत कर सकता है।

(9) कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा यदि वह सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा यदि–

(क) यदि वे हिन्दी अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या

(ख) वे पति या पत्नी हों, या

(ग) द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक दूसरे से सम्बन्धित हों

भाग–दस

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

37\. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से किया जायेगा।

समय के भीतर और अनधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का संदाय

38\. (1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों का जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, आगामी माह के दसवें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, कि समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(2) उपधारा (3) के उपबन्धों के रहते हुए वेतन का संदाय बिना किसी काट कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायेगा।

(3) यदि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाये तो सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उसका संदाय इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 45 में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उस उपधारा में उल्लिखित तारीख से दस दिन के भीतर, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे संदाय के सम्बन्ध में समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

39\. (1) सहायक निदेशक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है या उसके

अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी है) माँग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसी वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा आवश्यक व्यय को रोकने के लिए निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(3) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और निदेशक किसी भी समय सामान्य अथवा विशेषत्र आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उनमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट दिन या समय तक अपने काम पर उपस्थित हो,

(ख) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रबन्धाधिकरण के साथ अध्यापक सेवायोजन की संविदा, अध्यापक द्वारा काम पर उपस्थित होने में चूक करने पर उपर्युक्त निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी,

(ग) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन कोई संविदा शून्य हो जाती है, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और वह अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और न ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की अपेक्षा की जायेगी, भले ही अधिनियम में यथास्थिति उसकी सेवा की शर्तों में अन्यथा कुछ क्यों न हो.

(घ) विशेषतया, और एतदार्थ विनिर्दिष्ट परिणामों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निर्देश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् राज्य सरकार किसी अध्यापक के वेतन के संदाय के लिए धारा 50 में किसी बात के होते हुए भी उत्तरदायी नहीं होगी।

कतिपय राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं की दशा में वेतन का संदाय करने की प्रक्रिया

40. (1) प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा, जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और सहायक निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो सहायक निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा।

परन्तु यह कि लेखा खोले जाने के पश्चात् सहायक निदेशक, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाये कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है।

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट लेखा में अथवा जब वेतन के वितरण के प्रबन्धाधिकरण की किसी एक चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो, तो सहायक निदेशक, संबद्ध शिक्षा बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष अनुदेशों के अनुसार, और जब तक ऐसे आदेश न दिये जायें, सहायक निदेशक के अनुसार, अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में

रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिए निर्देश दें, तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निर्देश दे उक्त लेखा में, ऐसे तारीख तक जो सहायक निदेशक द्वारा सामान्य, या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, जमा करेगा।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश्य रियायतों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान से अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी।

(4) उक्त लेखों में जमा की गयी धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात्–

(क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का संदाय,

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना,

(ग) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाये और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन का संदाय के दायित्व को पूरा करने के बाद उसके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था पर व्यय के लिए दे दिया जायेगा।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का संदाय उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका बैंक में कोई लेखा न हो तो चैक द्वारा किया जायेगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहाँ कोई अनुसूचित बैंक, या सहकारी बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिए अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिए अभिदेश समझे जायेंगे।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

41. (1) यदि सहायक निदेशक का किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार यह समाधान हो जाये कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 32 के अधीन दिये गये किसी निदेशक या धारा 33 अथवा धारा 40 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरूद्ध उपधारा (2) अधीन कार्यवाही की जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जायेगा।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबंधाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्रबन्ध संचालक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि उपनिदेशक जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे–

(i) समय–समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक न हो, या

(ii) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है,

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ii) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के सम्बन्ध में कोई रूकावट न होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्रबन्ध संचालन प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल उपनिदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा और विशेष रूप से धारा 40 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा,

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्रबन्ध संचालन को किसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार के संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियम या कारण में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

अपील

42. धारा 41 के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के उपनिदेशक के आदेश के विरूद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

पुनरीक्षण 43. राज्य सरकार धारा 42 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मँग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे,

परन्तु यह कि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अधिक्रमण करने या उसके अधिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाये।

पदों के लिए अनुमोदन 44. राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नहीं करेगी।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व 45. (1) राज्य सरकार प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी होगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिए उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो, उस राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था द्वारा देय मालगुजारी का कोई बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

शास्ति तथा प्रक्रिया 46. (1) यदि धारा 38 के अधीन किसी निदेश अथवा धारा 39 या धारा 40 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाये तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह सिद्ध न कर

दे कि चूक की जाने को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा 39 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो छः माह तक हो सकता है, या अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) सक्षम न्यायालय को छोड़कर कोई भी न्यायालय निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी, जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी करेगा।

(4) सक्षम न्यायालय को छोड़कर कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

भाग–ग्यारह

प्रकीर्ण

संस्थाओं के कतिपय वर्गों को कुछ धाराओं के प्रवर्तन से मुक्ति

47. धारा 27, 28, 29 धारा 32 की उपधारा (2) से उपधारा (14) तक के तथा धारा 33 से धारा 46 के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं स्व वित्त पोषित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

निदेशक द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन

48. राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किये गये समस्त या किन्हीं अधिकारों को, सिवाय उन अधिकारों के जिनका प्रयोग वह परिषद् के सभापति के रूप में करता है, संस्कृत शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

49. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या विद्यमान समिति या परिषद् के या राज्य सरकार के या समिति या परिषद् के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या राज्य सरकार या समिति या परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक

50. इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर सक्षम न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

51. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी,

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा,

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाओं का लागू होना

52. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाएँ, जहाँ तक वे शिक्षा के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं, लागू होंगी।

निरसन एवं व्यावृत्ति

53. उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा अधिनियम और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1–क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियम 1978 को संशोधित करने की दृष्टि से, जो उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2014 निर्मित करते हैं, के पश्चात् इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

अनुसूची एक

(धारा 28 देखिए)

सिद्धान्त जिस पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायेगा

प्रत्येक प्रशासन योजना में–

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी,

(2) नियतकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी; प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।

(4) बैठक बुलाने और ऐसे बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों;

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जाँच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

अनुसूची दो

(धारा 36 देखिए)

सम्बन्धियों की सूची

1. पिता
2. माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)
3. पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)
4. पुत्र–वधू
5. पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)
6. दादा
7. दादी
8. नानी
9. नाना
10. पौत्र
11. पौत्र–वधू
12. पौत्री
13. पौत्री का पति
14. दामाद
15. नाती
16. नाती की पत्नी
17. नातिन
18. नातिन का पति
19. भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)
20. भाई की पत्नी
21. बहिन (जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है)
22. बहनोई
23. पत्नी (या पति) का भाई
24. ससुर
25. साली या ननद
26. भतीजा
27. भतीजी

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–53, अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दिनेश धनै–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या सन् 2014)

उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृति के सम्बन्ध में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अग्रेत्तर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 5-क का निकाला जाना 2. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5-क निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विपक्ष द्वारा बार-बार नियम-310 के अन्तर्गत किये जा रहे चर्चा के प्रयास पर मा0 मुख्यमंत्री जी की मांग

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री हरीश रावत-

मान्यवर, मैं सारे सदन से यह कहना चाहूँगा क्योंकि बार-बार माननीय नेता प्रतिपक्ष गैरसैंण भावना की बात कर रहे हैं। हमारे नियम-310 के तहत विधिवत यह मामला

नहीं उठाया जा सकता था इसलिए हमने प्रतिपक्ष के नेता से यह अनुरोध किया था कि प्रतिपक्ष इस मामले को नियम–58 के तहत उठायें और जो विधिसंगत था, जो व्यवहारिक था, जो नियमों की प्रक्रिया के तहत था, मगर बार–बार नेता प्रतिपक्ष द्वारा गैरसैंण भावना की बात कही जा रही है। मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा भले ही नियम–310 के तहत इस बात को ला करके नियम संगत तरीके से बात न की जा रही हो फिर भी मेरा आग्रह है इस सदन से, यदि नेता प्रतिपक्ष नियम–310 के तहत भी इस मामले को उठाना चाहते हैं तो मामले को उठायें हम उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम चाहते हैं गैरसैंण का सम्मान रहे। इसके बाद एजेण्डे में जो दो महत्वपूर्ण विषय हैं। जिनमें पर्वतीय खेती और पलायन और उसके साथ शिक्षा के उन्नयन पर यह सदन विचार करने जा रहा है जो महत्वपूर्ण है, इससे उन विषयों के साथ न्याय हो सके, गैरसैंण भावना के साथ न्याय हो सके और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि नियम–310 के तहत भी ...... (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान पर खड़े हो कर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे कि यह न्याय नहीं है। वे जोर–जोर से बात कहते हुए 'वेल' में आ गये जहाँ विपक्ष के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 4:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षाधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 04:15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 04:15 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिए ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने विषयक संकल्प पर चर्चा जारी

कृषि तथा उद्यान मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके, जिससे प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके, अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का मजबूत आधार

बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बन सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने आज इस ऐतिहासिक क्षण में, इस ऐतिहासिक नगर में मुझे कृषि और उद्यान जैसे विषय पर संकल्प रखने की अनुमति दी है मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से जब हम गैरसैंण में बैठे हैं और गैरसैंण में बैठकर पर्वतीय कृषि और पर्वतीय उद्यान की बात न हो तो मैं सोचता हूँ कि इस महा पंचायत को सार्थक नही कहा जा सकता है और मुझे खुशी है कि हमारा प्रदेश जब उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलन के लिए लड़ रहा था, हम नारा लगा रहे थे, बद्री-केदार से आवाज आई उत्तराखण्ड दे सरकार, धौलुटिया ने पुकारा उत्तराखण्ड हमारा है, गैरसैंण ने पुकारा उत्तराखण्ड हमारा है, बहुत सारे लोगों के मन और मस्तिष्क में और पूरे देश और दुनिया के मस्तिष्क में एक सवाल उठता था कि अगर उत्तराखण्ड राज्य अलग हो जायेगा तो उत्तराखण्डवासी क्या खायेंगे, दूसरे प्रदेश के अनाजों पर, दूसरे प्रदेश की सब्जियों पर उत्तराखण्ड की निर्भरता बढ़ जायेगी। लेकिन आज मैं इस सदन के सम्मुख यह कहते हुये गर्व महसूस कर रहा हूँ कि राज्य बनने के बाद इस प्रदेश ने अनाज के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है और यह निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है और इसके बधाई के पात्र में पिछले 13 साल में प्रदेश सरकार की नीतियों और केन्द्र सरकार के कार्यक्रम हैं, इससे अधिक बधाई के पात्र इस उत्तराखण्ड के लघु कृषक, सीमांत कृषक और बड़ा कृषक है और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ उन तमाम 60 प्रतिशत उत्तराखण्ड के किसानों को कि जिनके बलबूते पर आज हम यह लक्ष्य प्राप्त कर पाये हैं कि उत्तराखण्ड जैसे राज्य को अनाज के मामले में स्वावलम्बी बनाने में हमने कामयाबी हासिल की है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखण्ड के जो उत्पादन की आवश्यकता है, जो उत्पादन हम कर रहे हैं, वह 17.53 लाख मीट्रिक टन है और इसी उत्पादन के आधार पर अभी पिछले वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने कृषि कर्मा पुरस्कार से उत्तराखण्ड राज्य को ₹ 25 लाख की नगद धनराशि से सम्मानित किया है और मुझे और मेरे प्रमुख सचिव और निदेशक को राष्ट्रपति भवन में उस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला था, हमारे उत्तराखण्ड के लिए ये ऐतिहासिक क्षण थे, हमसे पहले हिमाचल राज्य, छत्तीसगढ़, झारखण्ड राज्य और बहुत सारे राज्य जो हमसे पहले बने थे जो आज भी अनाज के क्षेत्र में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं जो लक्ष्य पिछले 13-14 वर्षों में उत्तराखण्ड के किसानों के बलबूते पर, उनके खून के बलबूते पर हमने हासिल किया है और इसलिए आज हमारी आवश्यकता 15.23 लाख मीट्रिक टन है और उत्पादन 17.53 लाख मीट्रिक टन है, लगभग 2 लाख मीट्रिक टन उत्तराखण्ड अनाज अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहा है। यह हम सब के लिए एक गर्व का विषय है और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं सदन की ओर से, सरकार की ओर से उन उत्तराखण्ड के लाखों किसानों के परिश्रम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ हमने उत्पादन बढ़ाया है, लगभग 2 लाख मीट्रिक टन पिछले 13-14 साल

में हमने बढ़ाया है, वहीं हम सब के लिए चिन्ता की बात भी है और चिन्ता की बात यह है कि जब इस राज्य की स्थापना हुई थी उस समय 7.70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि और उद्यान की भूमि इस उत्तराखण्ड में थी, औद्योगिक विकास के कारण, आवासों के निर्माण के कारण, पर्वतीय क्षेत्र में बारिश न होने के कारण, पलायन के कारण, पिछले 13–14 सालों में 56 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि घटी है, यह निश्चित रूप से हम सब के लिए चिन्ता का विषय है और इस ऐतिहासिक क्षण पर, इस ऐतिहासिक नगर में हम, सरकार, यह सदन इस चिन्ता से निश्चित रूप से अपने आप को जोड़ती है और आज से हमको भागीरथी प्रयास करने होंगे और इस संकल्प को लाने के पीछे भी हमारा मकसद यही है कि जो 56 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि घटी है, हमने भले ही उत्पादन बढ़ाया हो, लेकिन निश्चित रूप से यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, एक चिन्ता का विषय और है कि दाल, दलहन और तिलहन की जो हमारी मांग है 3.48 लाख हेक्टेयर मीट्रिक टन है दलहन में और 3.33 लाख हेक्टेयर मीट्रिक टन है तिलहन में और इसके विरुद्ध जो उत्पादन है वह बहुत कम है, यह 0.42 और 0.43 लाख मीट्रिक टन है, दाल और तेल की कीमत आप महसूस कर सकते हैं। प्रदेश की जनता की जेब से जिसकी खरीदारी में सबसे अधिक पैसा निकलता है वह तिलहन और दलहन है, लेकिन उसका उत्पादन बहुत कम है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं आपके सम्मुख, इस सदन के सम्मुख तमाम ऐसी योजनाओं को प्रदेश सरकार की ओर से रखूँगा। मान्यवर जिससे कि हमारा यह संकल्प कि तिलहन और दलहन के क्षेत्र में कैसे तरक्की हो, कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जैसे कि हमने खाद्यान्न के क्षेत्र में खाद्यान्न के लक्ष्य को प्राप्त किया है, वैसे ही इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकें, इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। इस दिशा में हम निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शुभारम्भ इस गैरसैंण की ऐतिहासिक नगरी से करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक चिंता का विषय भी निश्चित रूप से हम सब के लिए भी है कि फल और सब्जी के क्षेत्र में निश्चित रूप से जितनी हमारी मांग है, उसके अनुरूप उसकी पूर्ति या उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, हमारा 7.1 मैट्रिक टन फलों का उत्पादन है, जबकि मांग इससे चार गुना अधिक प्रदेश में है। सब्जी का 10 लाख मैट्रिक टन उत्पादन प्रदेश में है, जबकि मांग 5 गुना से भी अधिक प्रदेश की जनता की है, यह निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता की बात है।

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में हमारी जो कृषि भूमि घटी है, इससे हम सब लोग भिज्ञ हैं। राज्य बनने के बाद मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से औद्योगिक विकास हुआ है वह चाहे देहरादून के सेलाकुई में हो, हरिद्वार के रोशनाबाद में हो या रुद्रपुर में हो या अन्य दूसरे क्षेत्र में हो। मान्यवर, जन दबाव के कारण जो आवासीय कॉलोनियां बनी हैं, इनके कारण जो लगातार कृषि क्षेत्र घटा है और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का न होना, भूमि का कटाव होना, बाढ़ों का आना, मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, रोजगार की संभावना क्षीण होना, उत्पादन का घटना ये तमाम ऐसे कारण हैं, जिनके

कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के प्रति लोगों का लगाव कम हुआ है। मान्यवर, अब इस लगाव को कैसे प्राप्त किया जाय। मान्यवर, पिछले दो वर्ष से लगातार कृषि मंत्री के रूप में जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने कृषि मंत्री की बागडोर मुझे सौंपी है, इस दिशा में मैंने लगातार प्रयास किया है। मान्यवर, यह सच्चाई इस प्रदेश को स्वीकार करनी होगी कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम अच्छी सड़कें बना सकते हैं, अच्छे स्कूल खोल सकते हैं, हम सारी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा, सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, उनके पास रोजगार नहीं होगा तो इस प्रदेश की कल्पना, उत्तराखण्ड राज्य की कल्पना शायद अधूरी रह जायेगी। हम पहाड़ों में उद्योग लगा नहीं सकते हैं, पहाड़ों में बड़ा व्यापार नहीं हो सकता, सरकारी नौकरी हम किसी को दे नहीं सकते हैं तो आखिर हम क्या करेंगे। मान्यवर, हमारे पास एकमात्र रास्ता इस कडुवी सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा।

मान्यवर, मुझे आज भी याद है, जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 25 अगस्त, 1994 को अपना सम्बोधन दिया था और मैंने अपने सम्बोधन में कहा था कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के 10 वर्षों में देश का सबसे सम्पन्न राज्य बनेगा। लेकिन आज हम इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाये हैं और इसलिए नहीं बढ़ा पाये, हमारे पास तीन रास्ते थे, पहला रास्ता पर्यटन का था। चाहे यह पर्यटन सैलानी हो, धार्मिक हो, दुर्भाग्य से पिछले वर्ष 15–16 जून को जो भीषण आपदा आयी, विशेषकर केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में, इससे हमारा धार्मिक, सैलानी और साहसिक पर्यटक को कहीं न कहीं इस आपदा से धक्का लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जब आपदा के मुद्दे पर बहस हो रही थी तो दृढ़ इच्छाशक्ति बतायी और हमारी सरकार की कोशिश है कि हम इस पर्यटन उद्योग को तेजी के साथ बढ़ायेंगे, लेकिन केवल पर्यटन उद्योग पर निर्भरता एवं चार धाम यात्रा पर निर्भरता प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए उचित न्याय नहीं है। मान्यवर, दूसरा रास्ता हमारे पास जल विद्युत परियोजनाएं ऊर्जा का क्षेत्र था। मान्यवर, मैंने गंगा–यमुना का तमाम इंटरनेशनल जो जनरल हैं, जिन्होंने सर्वे किया है। अकेले गंगा–यमुना की सहयोगी नदियों पर 40 हजार मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्य से पर्यावरण के कारण एवं दूसरे तमाम कारणों से, पिछले 13–14 सालों में जो हमारी बिजली की आवश्यकता है, हम उसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कह रहे थे, हमारी पेयजल योजनाओं के लिए पम्प चलाने हेतु, किसानों के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए, किसी भी कीमत पर बिजली खरीदी जाय, लेकिन बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, दुर्भाग्य से आज हम महंगी बिजली दूसरे प्रदेशों से खरीद रहे हैं, नेशनल ग्रिड से खरीद रहे हैं। तो उत्तराखण्ड को स्वावलम्बी बनाने का दूसरा रास्ता था, फिलहाल हमें यह रास्ता भी दूर–दूर तक बहुत अच्छा रास्ता दिखायी नहीं दे रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड को स्वावलम्बी बनाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है और चाहे–अनचाहे हमें उसी रास्ते पर चलना होगा, तभी यह उत्तराखण्ड स्वावलम्बी बन सकता है, तभी उत्तराखण्ड के पहाड़ी गांवों में लोगों के

पलायन को रोका जा सकता है और वह रास्ता है, कृषि और औद्यानिकीकरण का। इस रास्ते के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, पिछले लगातार दो वर्षों के प्रयास के बाद आज हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पहाड़ पर हम चकबंदी शुरू करेंगे। मान्यवर, जब मैं राजस्व मंत्री था तो तब भी मैंने इस अभियान की शुरूआत की थी, तब मैं सफल नहीं हो पाया था। पिछले दो सालों से भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ की कृषि और बागवानी को आपको बचाना है, तो पहाड़ में चकबंदी करनी पड़ेगी। जंगली जानवरों के नुकसान से तभी आप कृषि को बचा सकते हैं, जब चकबंदी होगी। चूंकि जब एक खेत किसी का होगा और दूसरा खेत किसी अन्य का होगा तो आप न पहाड़ की खेती को बचा सकते हैं और न ही पहाड़ के उद्यान को बचा सकते हैं, इसलिए इस सरकार ने पहाड़ की चकबंदी का एक अलग से मंत्रालय बनाया है और इसके पीछे सरकार का एक संकल्प है और वह संकल्प है पहाड़ की कृषि और पहाड़ के उद्यानों को बचाने का, पहाड़ के पलायन को रोकने का, पहाड़ के लोगों की आर्थिक स्थिति कृषि से जुड़े, उद्यानों से जुड़े, सब्जियों से जुड़े, यह संकल्प हमारी सरकार का है।

मान्यवर, आज हम कहीं भी चले जाएं, अभी चुनाव के समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी सम्बोधित कर रहे थे, तो लोग सभी माननीय मंत्रियों और माननीय विधायकों से एक ही बात कहते थे कि इन जंगली जानवरों से बचा लीजिए। लोग कहते थे हम खेती तो तब करें, जब जंगली जानवरों से हमारी खेती बचे। यह बात सत्य है इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो प्रकृति ने हमें मार दिया, वर्षा समय पर नहीं हो रही है और यदि वर्षा होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि पूरा खेत बह जाता है। इस तरह से तीन तरह की मार हो रही है। वर्षा हो रही है तो अधिक हो रही है, जिसके कारण खेत और खलियान बह जाता है, हमारे लहलहाते खेत बह जाते हैं या तो इतनी कम वर्षा होती है, जिसके कारण हमारे खेत सूख जाते हैं और जो फसल इससे बच जाती है, उसको जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमने यह निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह दृढ़ इच्छाशक्ति है कि जिन गांवों में चकबंदी होगी और जो गांव भी चकबंदी के लिए आगे आएगा और हमने निर्णय लिया है, मैंने अपने सारे अधिकारियों से कहा है, कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है, जलागम और राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा है, उद्यान विभाग के अधिकारियों से कहा है कि हर विकास खण्ड में एक गांव को स्वैच्छिक चकबंदी अपनाने के लिए तैयार करें। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि अगले एक साल के अन्दर हम हर विकास खण्ड के एक गांव को इसके लिए तैयार करेंगे और जो गांव चकबन्दी अपनाएगा, उस गांव को हम 01 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक तमाम कृषि विभाग की, उद्यान विभाग की, प्रदेश सरकार की, केन्द्र सरकार की लघु सिंचाई की, मत्स्य पालन की, पशुपालन की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उस चकबन्दी करने वाले गांव में हम लागू करेंगे, जिससे कि वह गांव पूरे विकास खण्ड में प्रेरणा स्रोत बन सके अन्य गांवों के विकास के लिए। हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस गांव

ने चकबन्दी अपनाई है, उस गांव में प्रति परिवार की आय बढ़ी है और इस तरह की कोशिश हमारी निश्चित रूप से होगी। इसके साथ-साथ जो गांव चकबन्दी नहीं अपना रहे हैं, उन गांवों के लिए हमने एक निर्णय लिया है। वह निर्णय है कि यदि 200 नाली से अधिक कहीं खेती हो रही है, भले ही चकबन्दी नहीं हो रही है, कोई खेत किसी का है, कोई खेत किसी का है लेकिन अगर 200 नाली जमीन पर एक साथ खेती हो रही है, तो अगले 3 वर्षों में ऐसे तमाम गांव, जो उसके नजदीक रहते हैं, उन गांवों की चारदीवारी का काम प्रदेश सरकार करेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय आज इस गैरसैंण की धरती पर हमारी सरकार ने लिया है।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, हमने निर्णय लिया है कि जो भूमि का कटाव हो रहा है, हम आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो भूमि कटाव होता है, उसका 1200 रुपये प्रति नाली दिया जाता है लेकिन जिस दिन उत्तराखण्ड में हमारी सरकार बनी थी, 225 रुपया प्रति नाली, अगर बाढ़ में आपकी खेती की जमीन बह गयी है, तो 225 रुपया प्रति नाली के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाता था। जब माननीय खण्डूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, मैं विपक्ष का नेता था, मैं पोखरा, एकेश्वर विकास खण्ड के तमाम उन किसानों की पर्चियां लेकर आया था सदन में कि उनकी जमीन जो बह गयी, भूस्खलन की चपेट में आ गयी। 30 रुपया, 40 रुपया, 80 रुपया मुआवजा देने के लिए उनको विकास खण्ड के 4-4 चक्कर काटने पड़े, उनको नहीं मालूम था, उस दिन तक कि मुआवजा 40 रुपया या 30 रुपया बना है, उनके पास पत्र आया कि आपकी कृषि भूमि बह गयी है, उसका मुआवजा आप विकास खण्ड से प्राप्त कर लें। कभी बाबू नहीं मिला, कभी एफडी0ओ0 नहीं मिला और जब 4 चक्कर काट कर 400 रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, तब 40 रुपया उनको मुआवजा दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उस समय इस सम्मानित सदन के समक्ष कहा कि यह घोर मजाक इस प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है कि 400 रुपये खर्च करने के बाद किसान को केवल 25 रुपया, 40 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया, पहले तो निर्णय लिया कि 5000 रुपये प्रति नाली के हिसाब से, अगर किसी भी किसान की भूमि कट जाएगी, बह जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो 5000 रुपया दिया जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब 8000 रुपया यदि किसी भी किसान की भूमि बहेगी, तो 8000 रुपया प्रति नाली के हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हम केवल मुआवजा देने तक ही सीमित नहीं हैं, खेती बह गयी, खेत बह गया और हम अपने कर्तव्य की केवल इतने में इतिश्री कर दें कि मुआवजा बांट देंगे, खेत बहते रहेंगे, हम मुआवजा बांटते रहेंगे और एक दिन उत्तराखण्ड खेतविहीन हो जाएगा। हम मुआवजा तो देंगे ही लेकिन उन खेतों को बनाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से, प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से, जिला योजना, राज्य योजना में, केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत भूमि संरक्षण का कार्य एक अभियान के रूप में करेगी, एक आन्दोलन के रूप में करेगी, जिससे कि प्रदेश

की कृषि भूमि को बहने से बचाया जा सके। पुश्ते लगेंगे, उसका संरक्षण होगा, तो कटाव भी कम होगा, भू स्खलन भी कम होगा और इससे प्रदेश में जल संवर्धन भी बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया है, जो बीज है, जैव रसायन है, जैव उर्वरक है, कृषि रसायन है, कृषि यंत्रों पर बीच में सब्सिडी खत्म हो गयी थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब सब्सिडी समाप्त हो गयी थी, हमने निर्णय लिया है कि 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और आज हम ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं कि ऐसे तमाम यंत्रों पर, जो कृषि यंत्र हैं, बीज हैं, रासायनिक खादें हैं, इन सब पर 75 परसेंट सब्सिडी प्रदेश सरकार किसान और खेती को बचाने के लिए देगी, यह ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश बीज और जैविक प्रदेश है। पंतनगर का बीज बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम पहाड़ियों से उड़ीसा तक जाता है। अगर किसी बिहार के किसान को जो उत्तराखण्ड के बारे में नहीं जानता हो, पश्चिम बंगाल का किसान, जो उत्तराखण्ड के बारे में न जानता हो, बद्रीनाथ-केदारनाथ जानता हो, यमुनोत्री-गंगोत्री जानता हो, जागेश्वर जानता हो, नैनीताल जानता हो, लेकिन उसके बाद अगर वह किसी को जानता है, तो वह उत्तराखण्ड के बीज को जानता है, पंतनगर के बीज को जानता है। माननीय अध्यक्ष जी, हर वर्ष 22 लाख से लेकर 30 लाख तक बीजों का निर्यात, वितरण, उत्तराखण्ड से होता है, जिसमें अकेले 4 लाख कुन्टल बीज का वितरण हमारा तराई बीज विकास निगम करता है। हम इस बीज की क्वालिटी को, इसकी गुणवत्ता को और मजबूत कर रहे हैं। लोगों का विश्वास उत्तराखण्ड के बीज पर, पंतनगर के बीज पर और कायम हो सके, इस तरह की प्रयोगशालाएं, इस तरह का तंत्र हम प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं।

दूसरी ख्याति जो प्रदेश के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण है, बीज और जैविक प्रदेश, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था, मुझे जापान भी जाने का मौका मिला था और हमने निर्णय लिया है कि उत्तराखण्ड में पहले हमने रुद्रप्रयाग के दो विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि और जखोली विकास खण्ड, अल्मोड़ा का सल्ट विकास खण्ड, चमोली का देवाल विकास खण्ड, इन 4 विकास खण्डों को हमने शत-प्रतिशत जैविक ब्लॉक के रूप में, विकास खण्ड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण पर एक और निर्णय लेने जा रहे हैं कि नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के एक-एक विकास खण्ड को हम आज जैविक विकास खण्ड के रूप में, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक प्रदेश कहते हैं, उसके रूप में विकसित करने का निर्णय हमारा है। हमने चार विकास खण्डों को जैविक विकास खण्ड बनाने का निर्णय लिया है, उस पर 12 करोड़ से अधिक धनराशि हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, किसानों को समय पर बीज मिले, कृषि यंत्र मिले, उसके लिये भी हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है, टेण्डर प्रक्रिया के लिये मैंने जैसे कल प्रश्नकाल में कहा था, समय लग सकता है। हमने निर्णय लिया है कोई भी किसान जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के हैं, रजिस्टर्ड संस्थायें, उद्योग विभाग और लघु उद्योग विभाग की रजिस्टर्ड संस्थायें, यदि उनसे कृषि यन्त्र खरीदेगा और बिल हमारे अधिकारियों को

देगा तो सीधे सब्सिडी प्रदेश सरकार उसे उपलब्ध करायेगी। इसी तरह हाईब्रिड के क्षेत्र में भी हमने इसी तरह का निर्णय लिया है। मान्यवर, उद्यानीकरण के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, फल, सब्जी, मसाले, पुष्प उत्पादन उद्यान लगाये जाने हेतु वाह्य सहायता, पौध बीज लगाना, खद्दे खोदना, खाद, गुड़ाई, निराई, घेर बाढ़ इस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी थी, इस ऐतिहासिक क्षण में हम इसको 25 प्रतिशत सब्सिडी और बढ़ा रहे हैं और इसको 75 प्रतिशत कर रहे हैं। वर्मी कम्पोस्ट हेतु राज्य सहायता 50 प्रतिशत थी, इसे भी बढ़ाकर हम 75 प्रतिशत कर रहे हैं। औद्यानिक हेतु सहायता, अनुसूचित जाति, जनजाति लघु सीमान्त एवं महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी थी, इसे भी बढ़ाकर हम 75 प्रतिशत कर रहे हैं। जो सामान्य परिवार है, उनके लिये 40 प्रतिशत सब्सिडी थी, इसको 10 प्रतिशत और बढ़ाकर हम 50 प्रतिशत कर रहे हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे पाली हाउसों का निर्माण होता है, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, पौध का उत्पादन किया जा सकता है, फूलों का उत्पादन किया जा सकता है, इसमें भारत सरकार से 50 प्रतिशत सब्सिडी थी, 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान योजना से थी, यह सिर्फ 200 वर्ग मीटर के पालीहाउसों पर ही यह लागू थी, उस सीमा को हमने 1000 वर्ग मीटर तक का विस्तार किया है। अब कोई भी किसान 1000 वर्ग मीटर तक के पालीहाउस लगायेगा, तो उसे 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मान्यवर, हमने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि पालीहाउसों के निर्माण को जब पांच साल हो जाता था, वह जीर्ण-शीर्ण हो जाते थे, कोई किसान अपने संसाधनों के बलबूते पर इनका जीर्णोद्धार नहीं करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की और निर्णय लिया और आज इस ऐतिहासिक क्षण पर मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि हमने निर्णय लिया है कि कोई भी पालीहाउस चाहे वह मैदान का हो या पहाड़ का हो, अगर पांच साल उसको हो जायेंगे तो उसके जीर्णोद्धार के लिये, उसके पुनरोत्थान के लिये 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से देगी। पानी के टैंक बनाने के लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी, इसे भी बढ़ाकर हम 75 प्रतिशत कर रहे हैं। इसी प्रकार से एण्टी हैलनेट बनाने के लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी, इसे भी बढ़ाकर हम 75 प्रतिशत कर रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और सीमान्त कृषकों हेतु राज्य सहायता 50 और 10 प्रतिशत दी जाती थी, इसे भी हमने बढ़ाया है। कीटनाशक दवाईयों पर राज्य सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी, इसे भी बढ़ाकर हमने 60 प्रतिशत किया है।

मान्यवर, हार्टिकल्चर मिशन से मसाला उगाने हेतु 30 हजार रु0 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से राज्य सहायता दी जा रही थी, इसको भी बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे मसाले, जिनको जंगली जानवर विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते, अदरक, हल्दी आदि मसालों को भी प्रोत्साहित हम प्रदेश में करने जा रहे हैं। बेमौसमी सब्जियां, फूलों की खेती को बढ़ाने के लिये भी हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो बेमौसमी सब्जियां है, वह 12.02 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर हो रही है,

हमारा लक्ष्य है कि इसे 14 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर किया जाय। इसी प्रकार जो फलों का उत्पादन है, वह चार लाख मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर है, हमारा लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर पांच लाख मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर किया जाय। प्रदेश में फलों के रोपण और उसके उत्पादन के लिये भी हमने योजना बनाई है, हमारे प्रदेश में 219 पौधालय हैं, जिसमें 75 राजकीय पौधालय हैं और 144 व्यक्तिगत पौधालय हैं। हम 8 से 10 लाख फलों के पौधे प्रतिवर्ष लगा रहे हैं, इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है, भले ही इस वर्ष हम अपने पौधालयों से यह मांग पूरी नहीं कर पायेंगे, लेकिन हमने लक्ष्य रखा है कि 25 लाख फलों के पौधों का हम रोपण करेंगे। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चाहे हिमाचल से हो या उत्तर प्रदेश से हो, अभी से आर्डर कर दें, हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि छोटी से छोटी जगह पर हर आदमी को, चाहे वह गांव में रहता हो, चाहे वह शहर में रहता हो, पांच पौधे हम हर व्यक्ति, हर परिवार को देंगे, इसे हम एक आन्दोलन के रूप में ले रहे हैं।

मान्यवर, हम एक योजना भी शिक्षा विभाग के साथ मिलकर चलायेंगे और यह कोई नई योजना नहीं है, हम लोग जब बच्चे थे और गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा कृषि विषय होता था, हम पौधा लगाते थे और हमारी जिम्मेदारी होती थी कि फलों के पौधे, आम के पौधे, अमरूद के पौधे, माल्टे-नींबू के पौधे को बड़ा करने की हमारी जिम्मेदारी होती थी और हम उसे बच्चे की तरह पालते थे, यह रिवाज, यह पद्धति कुछ दिनों से समाप्त हो गई है, यह केवल स्कूलों में ही नहीं था। आपके दादा जी, हमारी दादी, जब हम स्कूल के गांव में जाते थे, लोग कहते थे कि यह हरक सिंह के दादा जी का लगाया हुआ आम का पौधा है। मेरे दादाजी जानते थे, मेरी दादी जानती थी कि जो पौधा मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि उस समय कलमी पौधा नहीं होता था, वह जानते थे कि जो पौधा मैं लगा रहा हूँ, उसके फल मैं नहीं खा पाऊँगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यह छाया और फल देगा। जब हम स्कूल से आते थे तो भूख लगी होती थी तो कच्चे फल तोड़कर खा लेते थे। अगर हमें इस पहाड़ को बचाना है तो इस परम्परा, संस्कृति और पद्धति को फिर से लागू करना होगा। अभी मैं गोपेश्वर में मंडल गया था, जहां हमारा जड़ी-बूटी शोध संस्थान है, मान्यवर, मैंने वहां लोगों से कहा, अधिकारियों से कहा कि जो भी आये हैं हमारे साथ, जो भी अधिकारी आये हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब से एक पौधा लगाओ, इनके नाम की प्लेट लगाओ। हमको यह अभियान के रूप में लेना होगा और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से यह घोषणा कर रहा हूँ कि हम हर प्राईमरी स्कूल, हर इंटर कालेज, हर हाई स्कूल में फलदार पौधों का रोपण करेंगे। अभियान के रूप में हमारी सरकार इसको लेगी। इस तरह का अभियान हम चलाना चाहते हैं। मान्यवर, जो मैंने दिनेश भाई का पाली हाउस देखा, इसीलिए तो मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह चिंता व्यक्त की थी कि जो हम प्रति हैक्टेयर बगीचे, जो बगीचे पुराने हो गये, फल का उत्पादन कम हो गया है, लेकिन उसमें

सब्सिडी अगर कोई किसान बगीचों को, नवप्रभात जी, पुराने आपके क्षेत्र में बहुत बगीचे हैं आम के, उन बगीचों को अगर कोई जीर्णोद्धार करना चाहता था तो अब तक केवल 15 हजार प्रति हैक्टेयर के हिसाब से उसको सब्सिडी दी जाती थी। हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 50 हजार रुपया प्रति हैक्टेयर उन बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए, जो बगीचे जीर्ण-शीर्ण हो गये, जिनमें पेड़ कम उत्पादन दे रहे हैं चाहे आम के हों, लीची के हों या कोई भी नाशपाती का हो, सेब का हो, ऐसे बगीचों को निश्चित रूप से हम प्रोत्साहित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो सब्सिडी थी, पिछले 3-4 साल से प्रदेश के अंदर सब्सिडी वो समाप्त कर दी गयी थी। हमने फिर निर्णय लिया है कि कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको 90 हजार की सब्सिडी उद्यान विभाग उसको उपलब्ध करायेगा, यह भी हमने निर्णय लिया है। ट्यूबवेल के क्षेत्र में भी हमने निर्णय लिया है। पहले यह हो रहा था कि एक लक्ष्य दिया जाता था कि एक विकास खण्ड में इतने ट्यूबवेल पर सब्सिडी दी जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जो भी किसान ट्यूबवेल लगाना चाहता है, कोई लक्ष्य नहीं है, अगर एक विकास खण्ड में 10 लोग भी ट्यूबवेल के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 के 10 लोगों को ट्यूबवेल लगाने के लिए सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा दी जायेगी, ये हमने निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये जो सब कुछ काम हम कर रहे हैं बिना शोध के, बिना पढ़ाई के, अध्ययन के, यह काम अधूरा रहेगा। जिस तरह पंतनगर का बीज उत्तराखण्ड का पूरे देश में प्रचलित है, उसी तरह पंतनगर विश्वविद्यालय, जो केवल हिन्दुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए हरियाली के क्षेत्र में उन्नत बीजों के शोध के लिए, वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए, ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए कि आज अगर अमरीका के राष्ट्रपति के जो कृषि सलाहकार हैं, वो पंतनगर विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि पंतनगर जैसा दुनिया का सबसे कृषि के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ऐसे सेमीनार, ऐसे कार्यक्रम, किसानों में अवेयरनेस के कार्यक्रम, हमने चलाने का अभियान लिया है और 100 परसेंट सब्सिडी ऐसे तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हम दे रहे हैं। मैं अभी पंतनगर विश्वविद्यालय गया था और मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से और वहां के जो डीन हैं, उन सब से निवेदन किया। मैं भरसार विश्वविद्यालय के कैम्पस रानीचौरी, भरसार गया था। मैंने वहां के वैज्ञानिकों से, वहां के प्रोफेसरों से, शिक्षकों से निवेदन किया है। हम शोध कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथ के विद्यार्थी आज वहां प्रोफेसर हैं। मैं उनसे पूछता हूं, बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मैंने 385 जरनल, 300 पेपर, 385 जरनल, इंटरनेशनल जरनलों में 385 पेपर मेरे प्रकाशित हुए हैं। मैंने वैज्ञानिकों से बहुत साफ कहा कि आपके 385 पेपर पब्लिश हुए हों, 400 हुए हों, 500 हुए हों, ये तो आपकी एकेडमिक उपलब्धि है ही, लेकिन आपकी उपलब्धि यह होगी कि जब मैं रानीचौरी में गया था। मैंने लंच के समय वहां के वाईस चांसलर से पूछा कि ये सब्जी कहां से आयी है, कहने लगे ऋषिकेश से आयी है। मैंने

कहा जो विश्वविद्यालय के पास जमीन है, जो विश्वविद्यालय अपने कृषि मंत्री को, कृषि शिक्षा मंत्री को अपने विश्वविद्यालय में पैदा हुई सब्जी नहीं खिला सकता है, ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे रिसर्च को, ऐसे रिसर्च, ऐसे शोध ग्रंथ, लाईब्रेरी में शोध के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश की तरक्की में महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। तरक्की ऐसी होनी चाहिए, शोध ऐसा होना चाहिए जो खेत और खलिहान में, अगर किसी किसान के खेत में कोई बीमारी लग जाय, हमारे भरसार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वहां जाकर कहें कि तुम्हारे खेत को यह बीमारी लगी है। अभी मैंने देखा है, उसका असर हुआ माननीय अध्यक्ष जी, जब अभी मैं रानीचौरी फिर दुबारा गया था तो वहां के प्रोफेसर्स को, वहां के डीन को मालूम था कि मंत्री जी आएंगे फिर पूछेंगे तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यह 56 कद्दू है, जिसमें 56 कद्दू लगते हैं और दिखाया उन्होंने। मैंने कहा केवल दिखाओ नहीं 5, 7 कद्दू मेरी गाड़ी में भी रख दो और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम इस दिशा में भी, कैसी रिसर्च हो, कैसा शोध हो, ऐसी पढ़ाई हो। अब माननीय अध्यक्ष जी, 71 कद्दू वाला भी उगाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो उद्यान मंत्री रहे हैं तब आपके पास यमुना कालोनी में जो आवास था, तब उसमें फल भी थे, सब्जियाँ भी थीं, लेकिन हरक सिंह रावत जब विपक्ष का नेता था, मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय का, मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा आज भी मेरे घर में जाओ पूरे साल भर के लिए लहसुन, वो भी 100 परसेंट ऑर्गेनिक, 04 कुंतल प्याज उसी यमुना कालोनी में मैंने पैदा किया है। अभी कल जब मैं देहरादून से चला हूँ तो श्रीनगर अपनी माँ जी के लिए पूरा करेला, टमाटर अपने खेत यमुना कालोनी के आर-2 के निवास से निकाल कर लाया हूँ। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमको यह तरक्की अपने यहाँ से करनी है।

मैं जब गढ़वाल विश्वविद्यालय के आवास में गया था श्रीनगर में, मुझे रेजीडेंस मिला उबड़-खाबड़ था, कंक्रीट बिछा हुआ था, मैंने सफाई करवाकर अपने घर के लिए सब्जी उगाने का काम किया है। अगर हममें से हर माननीय सदस्य, आप तो करते ही हैं माननीय अध्यक्ष जी, आप और हम, इस सदन के सदस्य चाहे अधिकारी दीर्घा में हों, चाहे पत्रकार दीर्घा में बैठे हों आज से हम एक संकल्प ले लें कि 4-4 टमाटर के पौधे, मिर्च के पौधे, लहसुन कुछ भी हम पैदा करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार इस उत्तराखण्ड राज्य पर हम सब का हो जायेगा और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम केवल खेत और खलिहान की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को निकालने का काम भी हमारी सरकार ने युद्धस्तर पर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी गैरसैंण में जब हमने गैरसैंण राजधानी का शिलान्यास किया था, उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि हिल एग्रीकल्चर का एक महाविद्यालय परिसर, भरसार विश्वविद्यालय का गैरसैंण में स्थापित किया जायेगा और हमने वहां क्लासेज भी शुरू कर दी हैं। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, चिरबिटिया में हमने उद्यान विभाग का जो बगीचा था, बंजर था उसे हमने हिल एग्रीकल्चर की स्टडी करने के लिए एक महाविद्यालय हमने चिरबिटिया में शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वयं पिछले साल शिलान्यास

किया है। फूड प्रोसेसिंग हमारे प्रदेश के अंदर फल होते हैं माल्टा होता है सड़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब की चिंता है, सदन की चिंता है कि प्रदेश के जो फल हैं, जो सड़ जाता है, उसका उपयोग हो और उससे ऐसी स्टडी हो, ऐसी पढ़ाई हो और यह पहला उत्तराखण्ड राज्य है केन्द्र सरकार के पूना पूसा में कुछ फूड प्रोसेसिंग के सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश सरकार का अपना इंस्टीट्यूट नहीं है।

मान्यवर, डोईवाला के अन्दर हमारी सरकार ने ऐसा इन्स्टीट्यूट निर्माण का संकल्प लिया है। जो फूड प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में केवल पढ़ाई ही नहीं करायेगा बल्कि ऐसा शोध और ऐसा काम जो उत्तराखण्ड के फल और सब्जियों का संरक्षण करने का काम वह सेन्टर करेगा। मान्यवर, उस पर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हम उस फूड एवं टैक्नोलॉजी स्टडी सेन्टर के माध्यम से हमारी सरकार यह कार्य कर पायेगी। मान्यवर, हर्बल के क्षेत्र में भी हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, तेज पत्ता, आंवला, रीठा, बड़ी इलायची, रखनगंधा, सतावर, कूट, कुटकी, अति, छिपी, जम्बू जो हमारी हर्बल औषधियाँ हैं इनके उत्पादन पर भी हमने सैलाकुई में सघन पौधालय केन्द्र स्थापित किया है। स्वयं मैंने और हमारे प्रमुख सचिव ने उसका निरीक्षण किया था और बहुत खुशी हमको हुई है कि जिस पौधे को घास समझ करके हम बरबाद कर देते थे आज शोध के शोधार्थियों ने हमारे शोध के बलबूते पर हम आज यह दिखाने में कामयाब हैं कि हमारी पहाड़ की झाड़ियाँ दवाईयों के काम, स्प्रे के काम, सुगंध के काम तमाम ऐसी झाड़ियाँ और पौध हैं जिनका हमने शोध के माध्यम से व्यवसायीकरण उत्पादन शुरू कर दिया तो हमारी आमदनी बढ़ने की सम्भावना कई गुना बढ़ जायेगी। इसी तरह जो गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान है उस शोध संस्थान को, जो चमोली जिले के लोगों का एक सपना था कि यह शोध संस्थान केवल चमोली जिले का नहीं, गढ़वाल मण्डल का नहीं, उत्तराखण्ड का नहीं, हिन्दुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक ऐसा शोध संस्थान बनेगा जो जड़ी बूटियों के मामले में ऐसा रिसर्च और ऐसा काम करके दिखायेगा कि दुनिया में इस शोध संस्थान को हमेशा याद किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 20–25 वर्षों में ये शोध संस्थान जो कल्पना थी जो सोच थी उसके निर्माण के साथ हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि चाहे ढांचा हो, चाहे पढ़ाई हो, इसमें शोध हो हम उसमें तकनीकी में तमाम ऐसे काम जो शोध संस्थान को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्थान बनाने में जो कुछ भी किया जाना होगा हमारे प्रदेश की सरकार उसको करेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, कहना तो बहुत कुछ था क्योंकि आपने एक घंटे की चर्चा इस पर रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले एक दो वर्षों

के अन्दर हम ऐसी योजना, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश की कृषि के लिए प्रदेश के औद्यानीकरण के लिए, जड़ी बूटियों के लिए, सघन पौधों के लिए ऐसे कार्यक्रम और नीतियाँ लायेंगे, जिससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की माँ बहिनों की, ऐसे कार्यक्रम हम चाहे एन0जी0ओ0 हों उनके माध्यम से ऐसे कार्यक्रम चलायेंगे जिससे गाँव में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़े, माता, बहिनों की आमदनी बढ़े, इस तरह का हम प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी,आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस सदन के माध्यम से फिर एक बार प्रदेश के किसानों का आह्‌वान करना चाहता हूँ आइये, आप दो कदम आगे बढ़ें और दो कदम प्रदेश की सरकार आपके साथ आगे बढ़ेगी एक और एक ग्यारह होगा और इस प्रदेश की तरक्की होगी, जो उत्तराखण्ड के शहीदों का सपना था एक ऐसा उत्तराखण्ड स्वावलम्बी उत्तराखण्ड उस कल्पना को हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द जय उत्तराखण्ड।

दुग्ध विकास एवं श्रम मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)-

माननीय अध्यक्ष जी ने आज मुझे ऐसे संकल्प पर बोलने का मौका दिया है जिसमें निश्चित रूप से इस उत्तराखण्ड के किसानों की, छोटे उद्योगों की और विशेष रूप से हजारों हजार लाखों की संख्या में जो महिलायें हैं उनकी नजरें इस संकल्प पर टिकी हुई हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी बहुत सी बातें कही हैं और बहुत सी बातें अभी मेरे संज्ञान में आई हैं, मैं उनको आपके संज्ञान में भी लाऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह पर्वतीय राज्य जिसे हम उत्तराखण्ड राज्य कहते हैं। जिसमें हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनकी अपने आप में बहुत विशेषता है। उनका बहुत भारी महत्व है, अभी माननीय मंत्री जी ने जिन समस्याओं पर जिन बातों पर और सरकार की जिन उपलब्धियों का खुलासा किया है, मैं क्योंकि इस संकल्प में पर्वतीय जनपदों में कृषि के साथ उद्योग की भी चर्चा है, हार्टिकल्चर के साथ उद्योगों की भी चर्चा है। मैं देख रहा हूँ आपने दूध की भी चर्चा की है। ये सब चीजें इस चर्चा में इसलिए शामिल हैं कि पर्वतीय जनपद के युवाओं को, महिलाओं को स्वरोजगार मिले और जो पलायन की स्थिति है वह हम रोक पायें। बहुत कुछ है कोई हताशा का प्रश्न नहीं है। हमको देखने को मिलता है जब हम दिल्ली जाते हैं और प्रगति मैदान में देखते हैं तो जोशीमठ और उत्तरकाशी की महिलायें वहाँ के किसान इस तरह मडुवे के उत्पाद का बिस्कुट बनाकरके और जो कुछ मुनस्यारी में हो रहा है चाहे ऊन हो, चाहे अन्य उत्पादन हैं उनको लाकर के दिखाते हैं। मुझे याद है अल्मोड़ा की बाल मिठाई गत वर्ष एक दुकान लगी थी इस साल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को उस समय उन्होंने सारा पैसा खर्च किया और सारे उद्यमियों का आह्‌वान किया। छोटे उद्यमियों को कहा कि आप आईये और आप यहाँ पर अपनी स्टाल लगाईये और जो कुछ उत्पाद इस पर्वतीय जनपदों में हैं उनको आप लाईये। वहाँ पर

देखने को मिला कि 140 स्टाल हमारे उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों के लगे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन उद्यमियों को जो पर्वतीय जनपदों में अपने व्यवसाय के प्रति चिन्तित हैं और मैं इसमें नेता सदन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको भी बड़ी भारी चिन्ता है और सारी चिन्ताओं को संकलित करते हुए अथक प्रयास भी किया है कि किस प्रकार से हम इन पर्वतीय जनपदों में छोटे उद्यमियों को छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर के पलायन को रोक सकते हैं। मुझे भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से काम करने को मिली है। जहाँ तक कृषि के साथ जुड़े उद्योगों का सवाल है, हार्टिकल्चर के साथ जुड़े हुए उद्योगों का सवाल है और उन उद्योगों में सरकार की ओर से मदद करने को हमने तीन श्रेणियों में छोटे उद्योगों को बांटा है ए, बी और सी। ए में वह पर्वतीय जनपद, बी में मध्यमी जनपद और सी में अन्य क्षेत्र हैं जिनको सरकार लाभ देना चाहती है तो इस प्रकार इसका बहुत भारी लाभ इस पर्वतीय क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को मिलेगा। मैं अभी चार पाँच दिन पहले अभी माननीय मंत्री जी उद्यान की बात कह रहे थे। मैं रामगढ़, मुक्तेश्वर और बागेश्वर होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ तक किसानों की बात यहाँ पर आयी है मैंने कहा इस साल तो बहुत बर्फबारी हुई है, बहुत अच्छी वर्षा हुई बहुत फल आना चाहिए। लेकिन फल न पुलम है न आड़ू है न सेब है, कारण क्या है सबसे महत्वपूर्ण कारण जो जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर विषय हम लोगों के सामने है, माननीय नेता सदन हमारे सामने हैं।

जलवायु परिवर्तन होने के कारण इन पर्वतीय जनपदों में जो हमारे उत्पाद हैं चाहे सेब है, चाहे खुमानी है, चाहे पुलम है, चाहे आड़ू है और मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे उत्पाद हैं, चाहे आम है उतना उत्पाद हम नहीं दे पा रहे हैं जितना हमको मिलना चाहिए। बहुत वर्षा हुई, बहुत बर्फ गिरी लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो उत्पाद होना था वह किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जलवायु परिवर्तन का विषय गम्भीर है और भी गम्भीर विषय है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही साथ हमारे कृषि क्षेत्र के चाहे मैदानी क्षेत्र के हों चाहे पर्वतीय क्षेत्र के उद्यमी हों वहाँ बीमारियाँ विभिन्न प्रकार की, जो विशेषकर खेती से जुड़े हुए किसानों को प्रभावित कर रही हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्राप्त करते हुए काम करने की आवश्यकता है। प्रायः देखने में आया है कि ठीक समय पर जब हमारे खेत खलिहान हमको उत्पाद देने को तैयार होते हैं हमारे उद्यान हमको फल देने को तैयार होते हैं तो उस समय नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि हिमाचल पैटर्न पर जिस प्रकार उद्यानों की रक्षा होती है, हमारे पर्वतीय जनपद के बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं वहाँ जिस प्रकार हमारे उद्यानपति हिमाचल सरकार के पैटर्न से लाभ उठा रहे हैं वही लाभ हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए भी उसको उठा करके, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस प्रकार का निर्देश सरकार को जाना चाहिए।

मान्यवर, पर्वतीय जनपद में हम सब लोग मातृ शक्ति को कैसे और ज्यादा रोजगार की ओर ला सकते हैं, यह हम सब के लिए बहुत गम्भीर विषय है और सरकार के लिए भी है। मैं नेता सदन को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दूध के क्षेत्र में हमने कुछ काम करने का प्रयास किया, खोया, पनीर, घी, मठ्ठा और इस प्रकार के उत्पाद बनाकर के आँचल के नाम से उसे मार्केट में लाने का प्रयास किया, इसमें बहुत भारी योगदान इस उत्तराखण्ड की महिला समितियों का है, 20 हजार लीटर दूध हमको महिला समितियों के माध्यम से हमको दुग्ध उत्पादन में मिलता है। हमने माननीय नेता सदन से निवेदन किया कि हमारे दुग्ध उत्पादक बहुत ही विषम परिस्थिति में काम करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की महिलायें हम सबको रोजगार के लिए प्रेरित करती हैं उनको प्रोत्साहन मूल्य मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय नेता सदन को कि आपने कहा कि 3 रू0 लीटर प्रोत्साहन मूल्य पर्वतीय जनपदों में महिला दुग्ध समितियों को मिलना चाहिए। हमने गंगा गाय महिला योजना बनाई, हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, उत्तराखण्ड में तीन साल की योजना विशेषकर महिलाओं के लिए तैयार की गई है, मैं इसके लिए भी माननीय नेता सदन को धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस योजना को स्वीकृत करके एक नया आयाम देने का काम दुग्ध के क्षेत्र में किया है। मान्यवर, पर्वतीय जनपदों में सबसे गम्भीर समस्या चारे की है, चारा हमारी समितियों के माध्यम से हो, फॉरेस्ट पंचायत के माध्यम से हो, ग्राम सभाओं के माध्यम से हो, इस प्रकार की प्रजातियाँ हों, जो प्रजातियाँ पर्वतीय जनपदों में होती हैं, भीमल सहित कई प्रजातियाँ हैं तो मैं उसके लिए भी माननीय नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चारा बैंक बनाने के साथ ही साथ चारे की प्रजातियाँ, जो विभिन्न प्रकार की पर्वतीय जनपदों में उगाई जा सकती हैं उनके बारे में आपने सरकार की ओर से मदद करने का निर्णय लिया।

श्री हरीश रावत--

मान्यवर, मैं सभी सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमने जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो चारा हम कालसी में तैयार कर रहे हैं, उसको उपलब्ध करवायेंगे और उसमें ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी हम बियर करेंगे ताकि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो चारे की कमी है उसको दूर किया जा सके और हमने कहा है कि हम स्थानीय चारे को भी उसके साथ किस तरीके से जोड़ सकते हैं और उसमें हम जो इनपुट हम वहाँ चारे में मिला रहे हैं उसको स्थानीय आधार पर किस तरीके से मिला सकते हैं, जिले में भी इस योजना पर काम करेंगे, इधर हमने वन विभाग से कहा है कि वे चारा प्रजाति के वृक्ष बांटे और बड़े पैमाने पर बांटे, जिसमें खड़क, तुन, तिमला, भीमल, गेंभी, पुल्यार आदि ये सब सम्मिलित हैं और यदि कोई किसान अपने खेत में खेत की मेड़ में, बंजर भूमि में पेड़ लगाता है और जब चार साल का पेड़ होगा तो दो सौ रूपया प्रति पेड़ के हिसाब

से राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम करेगी और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ छोटे–बड़े किसान ऐसे 5–7 सौ पेड़ लगाने की स्थिति में हैं, भीमल, खड़ग आदि तो बहुत कम जगह घेरते हैं, तो हमको इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें मैं माननीय सदस्यों की भी भागीदारी चाहता हूँ कि इस स्कीम को पॉपुलेराईज करें, तो यह हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पशुधन के विकास में बहुत बड़ी सहायक योजना साबित होगी।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैंने जो चारा उत्पाद के बारे में जो जिक्र किया था उसमें माननीय नेता सदन ने निर्देश दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ के पर्वतीय जनपदों में सबसे बड़ी समस्या चारे की ही है, यहाँ पर दुग्ध व्यवसाय में बहुत सारे काम हो सकते हैं और हमने सतत् प्रयास किया है और जो पिछले साल पाँच जनपदों में जो दिक्कतें आई हैं उसके बावजूद भी सरकार ने डेरी उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सतत् प्रयास किया है और इस विकास के माध्यम से हम विशेषकर जो महिला दुग्ध समितियाँ हैं उनको और ज्यादा आगे लाकरके इस उत्तराखण्ड में स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, जब हम देहरादून या दिल्ली के प्रगति मैदान में जाते हैं तो हमारे पर्वतीय जनपदों के छोटे–छोटे जो एन0जी0ओ0 हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, वह किस तरीके से अपने घरों में 2–4 लोगों को बुला करके काम करते हैं और अपने काम को मार्केट में उजागर करते हैं और उत्तराखण्ड की पहचान बनाते हैं तो उनको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके माध्यम से जो सरकार के उद्देश्य हैं उनको आगे बढ़ा सकें। इस पर्वतीय जनपद में जैसा कि सरकार ने भी एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से मुझे याद है कि इसी गैरसैंण में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो यहाँ पर एकल खिड़की का निर्णय हुआ था, सिंगल विन्डो के माध्यम से हम अपने छोटे–बड़े उद्यमियों को सारी सुविधायें एक समय पर प्रदत्त करेंगे और ये 78 जो छोटे उद्योग हथकरघा, लघु उद्योग, हस्त शिल्प के उद्योगों को एक प्रकार से भारत सरकार ने जो नया एम0एस0एम0ई0 का नाम दिया है और यह मंत्रालय भारत सरकार में है और इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित करके एक निर्णय लिया कि एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से हम छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम और क्या–क्या कर सकते हैं, वैसे पाँच प्रकार के छोटे उद्यमियों को हम देते हैं, जिसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी भी है, ब्याज उपादान भी है, ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी भी है, वैट में छूट भी है, बिजली में छूट भी है तो ये सारी सुविधायें जन–जन तक पहुँचाने की आवश्यकता भी है, उत्तराखण्ड में 43 हजार छोटे उद्योग हैं, पहले 42 हजार थी अब 43 हजार हो गई है।

मान्यवर, जिनमें 2 से 5 लोग तक स्वरोजगार का कार्य करते हैं। मैंने कई छोटे उद्योगों को नजदीक से देखा है, देहरादून के सहसपुर में मैं गया हूँ। मान्यवर, मैं अभी

मनाण एक जगह है वहाँ गया था। वहाँ पर पिरूल की एक फैक्ट्री लगायी गयी है। पिरूल से वे फाईल बना रहे हैं। मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस तरह के छोटे उद्योग लगायेंगे तो पहाड़ों में चारों तरफ जो धुँआ दिखायी दे रहा है, वह नहीं दिखायी देगा। पिरूल में बहुत जल्दी आग लग जाती है और यह आग तुरन्त ही फैल जाती है। पिरूल पर आधारित उद्योग वहाँ पर और भी लग सकते हैं, इसके लिए प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है, इसको हमारी सरकार कर रही है। मान्यवर, मैंने कहा कि एम0एस0एम0ई0 की तीन श्रेणियां ए0, बी0 और सी0 हम लोगों ने बनायी हैं। सी श्रेणी के अन्तर्गत छोटे उद्योगों को जो लाभ पहले नहीं मिल पाता था, वह अब मिलेगा। मान्यवर, सरकार का, हमारा और इस सदन का उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर के, हम पलायन को रोकें और पहाड़ में जो हमारे उत्पाद हैं, जिनकी चर्चा अभी हुई है, उन उत्पादों की पहचान करने की आज आवश्यकता है, उनको जानने की आवश्यकता है और उनकी जो विशेषता है, उसको जन–जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं अभी रामगढ़ के आगे सतखोल में रूका, वहाँ पर चार विदेशी आये हैं, ये लगभग एक हजार बोतल लाये हैं और खुमानी का जूस कलेक्ट करके उसको पैक कर रहे हैं। विदेशी खुमानी का जूस कलेक्ट करके अपने यहाँ ले जा रहे हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारे खुमानी, चुआरू के बीज जो बच जाते हैं, उसका भी तेल निकाल रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके अपने देश को भेज रहे हैं। मान्यवर, इस तरह से उत्तराखण्ड में छोटे उद्योगों को लगाने की बहुत आवश्यकता है, इस दिशा में हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है, इस दिशा में हमारी कई लाभकारी योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए हैं। मान्यवर, उद्यान से जुड़े उद्योग, कृषि पर आधारित छोटे उद्योगों की आवश्यकता है, चूंकि जब हम उद्यान और कृषि की बात करते हैं तो वह क्षेत्र चाहे हरिद्वार का हो, अल्मोड़े का हो या भाबर का क्षेत्र हो, सभी इसमें सम्मिलित हैं। मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में गन्ने का अनोखा प्रयोग करते हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में मडुवा, बाजरा, धान आदि का पुआल तैयार कर पशुओं को दिया जाता है, यह भी उद्योग से जुड़ा हुआ एक विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो भी किया है, उसे आगे और गति दिये जाने की आवश्यकता है और छोटे उद्यमियों का उत्साहवर्धन की आवश्यकता है, यदि छोटे उद्योग पनप जायेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रूक जायेगा, यह मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया। संसदीय परम्पराओं में बहुत कम अवसर आते हैं, जब कोई सरकार, सदन में जनता के समक्ष कोई संकल्प लेती है और आज एक ऐसा ही दिन है। हम उत्तराखण्ड

के हृदयस्थल में एकत्रित हुए हैं तो कोई न कोई संदेश की अपेक्षा इस प्रदेश की जनता हम से करती है कि हमारी सरकार यहाँ क्या करना चाहती है। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, वह उसे पूरा कर सकें, मेरी शुभकामनाएं उन्हें हैं। संसदीय परम्पराओं में दीर्घाओं की तरफ हम इंगित नहीं करते, इसका मान्यवर, आप स्वयं संज्ञान ले लीजिएगा कि जब उत्तराखण्ड का यह सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है तो क्या सम्बन्धित विभागों के सर्वोच्च अधिकारी उपस्थित हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्यों की बात सुनने लिए या नहीं हैं। माननीय कृषि मंत्री जी व्यक्तिगत अनुभव से बात करें, आप 2002 और 2003 के अखबार उठाईये और उसके बाद 2008 और 2009 के अखबार उठा दीजिए और इसके बाद 2012 और 2013 के अखबार उठा दीजिए। हमारी योजनाएं वहीं की वहीं स्थिर हैं, हम उन्हीं योजनाओं की बात हर बार करते हैं और कभी–कभी एकाध कोई नयी स्कीम आ जाती है जो हम उसकी बात करने लगते हैं। यह तो एक वास्तविकता है, हमारा जो राज्य है, वैसे भारत गणराज्य का हर राज्य, केन्द्र की घोषित योजनाओं पर मुख्यतः आधारित है, पर केन्द्र से किसी क्षेत्र के लिए हमें कोई योजना मिलती है तो यह किसी की जिम्मेदारी है कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उस योजना का परिवर्तन करेगा। यह आप की ही परिकल्पना पर निर्भर करेगा, जब मैं इस संकल्प को लेने की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ तो मेरी यह भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप उन नयी परिकल्पनाओं तक जा सकें। उन बंधनों में बंधे न रह जायं, जिनका कुछ जिक्र मैं अपने आने वाले शब्दों में करूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमें इस बात के महत्व को भी स्वीकार करना होगा कि केवल भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की राजनैतिक परिस्थितियों में भी एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन है, कभी हम कहते थे कि भारत गाँव में बसता है, कभी हम उस गाँव की अर्थ व्यवस्था की बात करते थे और कभी उस ग्रामीण अंचल में रहने वाला व्यक्ति भारत के राजनैतिक भविष्य को तय करता था, आज परिस्थिति वह नहीं है। आज हमारी इस अर्थव्यवस्था पर और हमारे इस राजनैतिक परिदृश्य के ऊपर शहर में बसने वाला मध्यम वर्ग, पूरी तरह से उसको प्रेरित भी कर रहा है और उसको संचालित भी कर रहा है और उसकी दशा भी निर्धारित कर रहा है। ऐसे समय में आपके द्वारा लिया गया संकल्प जो पर्वतीय क्षेत्र के सुदूर अंचलों के लिए है एक बहुत बड़ी चुनौती भी है आप इस चुनौती को पूरा कर सकें, मैं यह शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ। मान्यवर, कृषि का जो परिदृश्य है, वह केवल हमारे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एक गम्भीर चुनौती से गुजर रहा है। मान्यवर, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट, मुझे अपने बचपन की याद आती है। तब हम पी०एल०–418 का गेहूं खाया करते थे। भारत में खाने के लिए गेहूं तक की पैदाईश पूरी नहीं थी। ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट और ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद आज हमारा कोई भी कृषि मंत्री फक्र से कह सकता है कि कृषि भूमि कम हुई है, कृषि जोत कम हुई है, पर हमारा उत्पादन बढ़ा है। यह ग्रीन रेवोल्यूशन अब अपने अंतिम चरण में है और इसके बहुत सारे खराब प्रभाव भी अब हमारे सामने आने लग गये हैं।

हम ऐसे समय पर किस चीज की ओर सोचें। आज आपने थोड़ा सा जिक्र किया है, जो आपका व्यक्तित्व हमें मिला, जो सबसे मुख्य समस्याएं हैं, उनमें से मैं दो विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, पहला है, जोत का विभाजन होना। एक परिवार के पास जो भूमि थी, वह परिवार की भूमि किस तरीके से विभाजित हुई है, वे लोग जो वास्तव में कृषि भूमि पर कृषि नहीं कर रहे हैं, आज परिवार के नाम जमीन होने के कारण उस कृषि उपज के साझीदार हैं, इसके कारण लोगों ने खेती करना छोड़ा है। देहरादून के गाँवों का बदलता हुआ परिदृश्य मैंने देखा है। 1980 से लगातार मैं इस क्षेत्र में घूमता रहा हूँ। लोगों ने पूरे-पूरे खेत इसलिए नहीं बेच दिए कि वह वहाँ पर मकान बनाना चाहते थे, या वे स्वयं कोई बहुत बड़े बिल्डर बन गए, या उनको बिल्डरों से कोई बहुत बड़े लाभ हो गये। वह मकान इसलिए बिके कि जिस घर में 10 नाली जमीन थी, जब उस घर के सदस्यों की संख्या 20 और 25 तक हो गयी, तो वह जमीन उनके लिए एक तरह से व्यर्थ हो गयी।

मान्यवर, ऐसी ही एक जमीन, हमारा एक मितरली करके गाँव है, जो देहरादून का प्रथम गाँव है, जिसको महाराजा टिहरी ने बसाया था। मितरली और सिखौली, दो गाँव हमारे यहाँ के मूलभूत गाँव हैं, उस गाँव में मुझे 20 बीघा जमीन खरीदने का मौका मिला, जिस दिन वह 20 बीघा जमीन खरीदने की बात मैंने उनसे की, तो उस जमीन के 42 खातेदार थे और जो लड़के उस जमीन को मेरे पास बेचने के लिए एक तरह से जबरदस्ती कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, इस जमीन को बेचने की, बहुत खूबसूरत जमीन है, खेती की अच्छी जमीन हो सकती है, नालीदार है। उन्होंने कहा कि अगर इन 42 आदमियों में से एक आदमी का भी स्वर्गवास हो गया तो इस जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आपको 350 लोगों को यहाँ एकत्रित करना पड़ेगा। ये हमारी मूलभूत समस्या पैदा हुई है। जोत के विभाजन को हम किस तरह से रोकेंगे, यह भारत की कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने एक समय पर निर्णय लिया, हमने कृषि भूमि के ऊपर सीलिंग लगाई, आज बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गयी हैं, अगर कृषि में निवेश को बढ़ाना है तो केवल उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि भारत की कृषि नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होगी और हमें इस कृषि की सीलिंग को समाप्त करना पड़ेगा, तब हम कुछ आगे की बात सोच सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हम अभी तक स्वेज इरीगेशन के द्वारा अपनी सिंचाई की बात सोच रहे हैं, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे नीचे का मैदानी क्षेत्र, हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। इस फ्लड इरिगेशन के कितने नुकसान और कितने फायदे हैं, इसका आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं और कृषि में आधुनिक सिंचाई प्रणाली या आधुनिक खाद का प्रयोग या माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग, आज भी हमारा किसान नहीं कर पा रहा है। छोटा राज्य बनने का जो सीधा लाभ है, वह वास्तविक धरातल की चीज का आंकलन है। 3-4 साल पहले मान्यवर, हम सुना करते थे, वन मंत्री के रूप में मैंने भी बहुत सुना कि ओजोन में छेद

हो रहा है। अब 4–5 साल से ओजोन का छेद गायब हो गया है, उसकी चर्चा खत्म हो गयी। अभी जलवायु परिवर्तन की बात है। पूरी पृथ्वी के अन्दर जिस तरह से जीवन का विकास हुआ है, जिस तरह से अफ्रीका से आदमी निकल कर एशिया सबकॉन्टीनेंट तक आया है या और दूसरी जगह तक गया है, यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जलवायु पर न कोई चीज पहले निश्चित थी और न आज निश्चित है। हमने तो जो सफलता प्राप्त की, वह सफलता तकनीक के आधार पर अपनी कठिनाईयों को कम करके प्राप्त की। हमारे पास सफल उदाहरण हैं अपने देश में भी और विदेशों में भी और परिस्थितियाँ भी करीब–करीब एक सी दिखाई देती हैं। मान्यवर, खुशी होती है, जब राजस्थान का दौरा होता है और वहाँ पर आदमी स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करता हुआ दिखाई देता है। मान्यवर, खुशी होती है, जब हिमाचल में घूमने का मौका मिलता है और वहाँ हमें विश्व का हर फल दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया है, हम उनसे कुछ सीख लें। इज़राइल जैसे देश से हम कुछ सीखें, जिस देश की भूमि करीब–करीब ऐसी है, जैसी हमारी है। उनके यहाँ भी सिंचाई की इतनी बड़ी समस्या है। उन्होंने भी कुछ प्रयोग किये हैं, उन्होंने भी खादों में कुछ परिवर्तन किये हैं। कुछ न कुछ सीखने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए।

मान्यवर, एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि एक छोटा राज्य बनने का जो फायदा है, उसको लीजिए। आप एरिया डेवलपमेंट या क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करिए, जैसी आपने जैविक योजना में इंगित किया है। होता क्या है कि जब हम किसी सब्सिडी को लागू करते हैं, पहले हम उसको 13 जिलों में विभाजित करते हैं, फिर 13 जिलों के अन्दर 6 से लेकर 16 विकास खण्डों तक विभाजित कर देते हैं और फिर उस रकम को हम विभाजित करते हैं, ग्राम सभाओं में। जब वह सब्सिडी पहुँचती है किसान के पास तो वह सब्सिडी इतनी नेग्लीजेबिल, इतनी न्यून हो जाती है कि वह उसके किसी काम की नहीं रहती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, नाबार्ड ने हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाए और स्प्रिंकलर की योजना को उसके साथ जोड़ दिया और स्प्रिंकलर उन्होंने गाँव के लिए, ट्यूबवेल के क्षेत्र के लिए पूरे नहीं दिये, बल्कि दो–चार खेतों का स्प्रिंकलर देकर छोड़ दिया। अब न उस योजना से किसान सिंचाई कर पा रहा है, न उस योजना से स्प्रिंकलर चल रहा है और अगर हम किसी को कहें तो वह कह देता है कि साहब नाबार्ड ने योजना दी थी। उस योजना का द्वितीय चरण क्यों गायब हो गया? जिसमें हमें किसानों को, व्यवहारिकता को देखते हुए आगे की चीज पहले समझानी चाहिए थी। उनका डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट पहले बना देना चाहिए था। एक ट्यूबवेल ऐसा बना देना चाहिए था।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यह केवल विकास नगर तक सीमित है, जरा आप इसकी जाँच करवा लीजिएगा, क्योंकि नाबार्ड से हमने जगह–जगह बहुत सारे ट्यूबवेल्स के लिए मदद ली

है। माननीय सिंचाई मंत्री जी, जरा उसकी जाँच करवा लीजिए। यदि वहाँ पर स्प्रिंकलर सब जगह नहीं लगाए गए हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से योजना पूर्ण होगी। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि योजना पूर्ण होनी चाहिए।

श्री नवप्रभात–

धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी। अब मान्यवर, मैं आपको सब्सिडी के बारे में भी थोड़ा सा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह भी निवेदन कर दूँ कि मैंने अपनी जिन्दगी के 14 वर्ष इसी क्षेत्र में गुजारे हैं क्योंकि बैंक के अधिकारी के रूप में मुझे यही करना होता था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका आंकलन दे रहा हूँ। मान्यवर, अब सब्सिडी के बारे में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री जी बुरा नहीं मानेंगे। 56 कद्दू की बेल थीं, माननीय मंत्री जी, और आपने केवल 5 ही गाड़ी में रखवाए, ये 56 और 5 का जो रेशियो है, यह सब्सिडी का सबसे खतरनाक रेशियो है। मैं खुद एक बार अपने खेत के लिए बीज के जो बड़े डिब्बे आते हैं, वह लेने के लिए कृषि अधिकारी, देहरादून के यहाँ चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, यह तो आपको रायपुर विकास खण्ड में मिलेंगे। मैं रायपुर विकास खण्ड गया तो उन्होंने बताया कि यह तो सेलाकुई में जो हमारा गोदाम है, वहाँ मिलेंगे। जब मैं उस गोदाम में गया तो उन्होंने बताया कि जो डोईवाला में हमारी सहकारी समिति है, जो इसको बनाती है, उसके यहाँ मिलेंगे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मारखमग्राण्ट के जो हमारे ग्राम प्रधान थे, वह सहकारी समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप काहे को बेवकूफ बने घूम रहे हैं, वहीं चले जाईए, सहारनपुर रोड पर, जो 250 रुपये का डिब्बा हमारे यहाँ है, वहाँ पर आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। हम तो इसको 50 परसेंट सब्सिडी पर 250 रुपये में देते हैं और इसकी चद्दर भी खराब है। आप यह भी तो देखिए कि जो उपकरण आप कृषक को देने की बात कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बाजार मूल्य में और सब्सिडाईज मूल्य में फर्क कितना है? हम वास्तविक धरातल पर नहीं सोच रहे हैं, इसलिए आप जब भी सब्सिडी बढ़ाकर देंगे, सावधान रहिएगा, सब्सिडी के अनुभव इस भारतवर्ष में अच्छे नहीं आए हैं।

विश्व बैंक की जलागम योजना का भी जिक्र है, मेरे को भी देखने का मौका मिला और एक योजना मैंने बहुत पास से सहस्त्रधारा में बहुत पास से देखी और केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्री जी भी साथ में थे और वहाँ पर जिन महिलाओं की, डेरी की हम बात कर रहे हैं, उन महिलाओं की डेरी में भी हम गए। हमारे वन विभाग के विद्वान अधिकारियों ने सारे के सारे जलागम में जितने पेड़ लगाए हैं सहस्त्रधारा के इलाके में, उनमें से एक भी चारा पत्ती का नहीं है। कांटेदार पेड़ या कांटेदार फूल वाले पेड़ लगा दिये। उनकी भी वास्तविक समस्या को समझिए। उन्हें तो दिखाना है कि 100 पेड़ में से सर्वाइव कितने किए अगर उनका सरवाईवल रेट खत्म हो जाता है, तो वह अच्छी वैरायटी के पेड़ नहीं लगाते हैं। आपको फारेस्ट की किसी नर्सरी में फलों के पेड़ नहीं मिलेंगे, चारा पत्ती के पेड़ नहीं मिलेंगे, अरे, वनों के ऊपर हमारा

मौलिक अधिकार क्या था, वनों के ऊपर हमारा मौलिक अधिकार था कन्द, मूल और फल और आज हम उत्तराखण्ड के किसी वन से इन तीन मौलिक अधिकारों को लेने में सक्षम नहीं हैं। क्योंकि हमारे पास तो चीड़ के वन हैं, जिनसे हमें कुछ नहीं मिल सकता है, सिवाय लीसे के। हमने अपनी नीति में यह परिवर्तन नहीं किया तो वन्य जीवों का यह नुकसान आप कैसे रोकेंगे, जब उसे चीड़ के जंगल में खाने को मिलेगा नहीं, देखिये हम कहते हैं कि शेर है तो ईको सिस्टम अपने आप में वाईबल है। यह किस चीज का मानक है, यह उस चीज का मानक है, जहां पर ईकोलाजी बैलेन्स्ड होगी, वहां पर आदमी के साथ जानवर भी सरवाईव करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और जानवर शहर की तरफ आ रहा है तो ईको सिस्टम के अन्दर गड़बड़ है, इसका आकलन हमें जरूर करना चाहिये।

हमने शोध संस्थानों का भी जिक्र कर लिया, आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से मैं भी एक विश्वविद्यालय में पिछले दो-ढाई साल से हूँ और आपकी तरफ से एक नामित सदस्य हूँ। शर्म आती है, पूरे हिन्दुस्तान भर के लोग फोन करते हैं कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर का क्या हुआ, मैं पिछले दो साल से जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ कि हम दुनिया के इतने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का क्या करने जा रहे हैं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जिसको हमने चयनित करके भेजा था, जिससे मंत्री जी भी परिचित हैं, उसे एक दूसरे विश्वविद्यालय ने अपने यहां वाइस चांसलर बना लिया और हम उसी तरीके से शोध संस्थानों की बात करते रहेंगे, यह देखना जरूरी है। मान्यवर, सिर्फ सरकार का निर्णय और सरकार का संकल्प ही काफी नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत है, जिसे हम लक्ष्य कर रहे हैं, उसकी सहभागिता की, अगर हमने उसकी सहभागिता सुनिश्चित कर दी तो यह सारी की सारी परिकल्पनायें, जो हमारे सम्मानित मंत्री जी ने कही और मेरे बाद आने वाले सदस्य भी कहेंगे, तो यह सारी की सारी चीजें धरातल पर उतारी जा सकती हैं। राजस्थान में गेहूँ की खेती हो सकती है, यह भारत की भूमि पर ही करके दिखाया है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, वहां आवश्यकता थी, तब लोगों ने किया, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी, दो-तीन बिन्दुओं पर संक्षेप में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कृषि क्षेत्र को आप सस्ती बिजली देने की बात करके देखिये, कैसा जबरदस्त विरोध होता है, हमारा प्रदेश है, जिसमें कृषि ट्यूबवेल पर मिनिमम कंजम्शन गारन्टी लगी हुई है। हो नहीं सकता, मैं भी खेती ट्यूबवेल से ही करता हूँ, उसका अनुभव मुझे है, यह नहीं हो सकता है मैं 24 घण्टे, 365 दिन अपना ट्यूबवेल चला दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लिमिटेड पानी चलाना होगा, वरना खेती खराब हो जायेगी, हमारे विद्युत विभाग ने उस पर मिनिमम कंजम्शन गारन्टी लगा रखी है कि बेटा इतना पैसा तो हम तेरे से लेंगे ही लेंगे, तू इस ट्यूबवेल को चला या न चला। ऐसे तो कृषि का विकास हमारे यहां होने का नहीं, अगर हम आधुनिक सिंचाई की बात पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे तो ......।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय नवप्रभात जी, अभी हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जो ट्यूबवैल है, उसका मीटर आधारित भुगतान किया जायेगा। जितना बिल मीटर पर आयेगा, उसे सब्सिडी रेट पर लिया जायेगा। यहाँ तक कि जो मत्स्य पालन है या दस जानवर की छोटी डेयरी है, उसमें कामर्शियल बिल के बजाय एग्रीकल्चर बिल उससे लिया जायेगा।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं इसके लिये आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और व्यवहारिक रूप से, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ट्यूबवैल बहुत हैं। हमारा जो विकासनगर–सहसपुर का इलाका है, यह छोटे सिंचाई ट्यूबवैलों का इलाका है, आप मिनिमम कंजम्शन गारन्टी माफ कर देंगे तो मुझे स्वयं 60–70 हजार रूपये का फायदा हो जायेगा और सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बिल आप पूरा ले लीजिये। ऐसे ही एक बात और है, हम आपदा की बहुत चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में मैं विपक्ष के विद्वान साथियों की बात भी सुनता रहा। एक बिन्दु उसमें भी सही है कि हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था थी, उन सिंचाई नहरों की मरम्मत की बात इस पूरी आपदा की चर्चा में गायब है। यह कम खतरनाक चीज नहीं है, इसके बिना हम किसी नई दिशा की तरफ नहीं बढ़ पायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान अपने पछवादून क्षेत्र की ओर आकृष्ट करूं तो कम से कम 50 हजार एकड़ जमीन हमारी यमुना और आसन में चली गई। जब आप मुआवजे की बात करते हैं, पर नाली के हिसाब से तो हमारे दिल में धड़कन होती है। मेरी तीन बीघा जमीन प्रतिवर्ष यमुना में जा रही है और मुझे पिछले वर्ष दो बीघा जमीन के मुआवजे के रूप में 20 हजार रूपये का चैक भी भेजा गया, सरकार की ओर से। चलिये मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, दूसरे किसानों की स्थिति को देखते हुये, लेकिन यह कृषि की समस्या 2013 में पैदा हो गई। कुछ आपने हमारी सहायता की है, कुछ जिलाधिकारी ने भी योजना बनाई है और इसकी जरूरत भी हमें बहुत ज्यादा है, इसलिये मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो एक किसान का प्रोजेक्ट किया, यह बहुत स्वागत योग्य प्रोजेक्ट है और अपनी बात के अंतिम बिन्दु पर आपका ध्यान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की ओर आकर्षित करूँ, जब उत्तर प्रदेश के जमाने में लोगों ने बागों की कटाई बहुत जोरों से शुरू कर दी, उसके समय यह एक्ट लागू हुआ, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, उस एक्ट के तहत, यदि मेरा अपना बगीचा भी लगा है तो मैं उसे काट नहीं सकता हूँ, मैं यह भी नहीं कहता कि जिन लोगों ने एग्रीकल्चर लैण्ड में सीलिंग कर बगीचों का फायदा ले लिया, उनको ट्री प्रोटेक्शन एक्ट हटाकर बगीचों को काटने का फायदा भी दे दें। यह बगीचे जहाँ पर हैं, उसे सीलिंग की जमीन नहीं माना गया, सीलिंग से वह बाहर रहे हैं, लेकिन कम से कम ट्री प्रोटेक्शन

एक्ट में हम यह व्यवस्था तो कर सकते हैं कि यदि आप आज कोई फलदार वृक्ष अपनी कृषि भूमि पर लगायेंगे तो उस वृक्ष को काटने का अधिकार आपको होगा। जब तक हम यह व्यवस्था नहीं करते, मेरी बात को कोई अन्यथा न ले, तो कोई कृषक अपनी कृषि की जमीन पर कोई भी फलदार पेड़ नहीं लगायेगा। जो अपनी मेड़ के ऊपर भी पेड़ लगा देता है, उस पेड़ को भी क्यों काटकर बेच रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिकशन कर दी हैं कि वह अपने लगाये हुये पेड़ को अपनी घरेलू जरूरत के लिये भी नहीं काट सकता। इसलिये ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में यह संशोधन करें कि यदि मैं आज भीमल का पेड़ या किसी जलावनी लकड़ी का पेड़ अपनी जमीन में लगा लेता हूँ तो उसका मालिकाना हक मेरा होगा।

श्री हरीश रावत–

हमने दो परिवर्तन इस स्थिति में किये हैं, पहला परिवर्तन तो इस बात का किया है कि अब बगीचों के पेड़ों को काटने की इजाजत आपको फारेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं लेनी पड़ेगी। बल्कि आपको इजाजत हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, आपको केवल यह लिखकर भरना होगा रेवन्यू अथारिटी को कि हम जिन पेड़ों को काट रहे हैं, उसको हम उतने ही पेड़ों से रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसलिये हमने जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान हैं, उसको पहले ही निर्णय लेकर बाईपास कर दिया है। मैं इसको फिर से एक बार क्लेरिफाई करूँगा, हो सकता है रेवन्यू डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फारेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय की कमी के कारण हमारे फार्मर्स और हार्टिकल्चर्स के सामने कोई दिक्कत आ रही है और जो हमने पुराने बागों को रिप्लेस करके बाग लगाने की योजना प्रारम्भ की है, उसके रास्ते में यह सबसे बड़ी रूकावट हो सकती है। इसलिये मैं आपके सुझाव पर व्यक्तिगत तौर पर भी नजर रखूँगा और कृषि मंत्री से भी कहूँगा, राजस्व मंत्री और दूसरे लोग भी यहाँ पर हैं, वह भी अपने-अपने विभागों से इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी इस विषय में न रहे। क्योंकि हमें बीजू पेड़ों की बजाय कलमी पेड़ों को रिप्लेस करना है। और इसको अभियान के रूप में रिप्लेस करना है और मैंने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कहा है कि आप 03 साल की कार्ययोजना बनाईये ताकि राज्य के अंदर जितने भी बीजू पेड़ हैं, उनका स्थान कलमी पेड़ ले सकें।

श्री नवप्रभात–

माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि आप ही इस संकल्प के पीछे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात का तो बहुत सम्मान करता हूँ, पर आपको यह जरूर एक निवेदन

कर दूँ, ये मैंने अपनी बात में भी कहा था छोटा सा कि जिस तरीके से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की परमीशन्स के द्वारा प्लॉटिंग करने वाले लोग पेड़ काट रहे हैं, वो उचित नहीं है। फायदा किसान को दीजिए तो किसान उसका स्वागत करेगा अगर वो फायदा किसान की जगह दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो शायद किसान उसका स्वागत नहीं करेगा, और किसान प्रोत्साहित नहीं होगा। ये परिवर्तन आपने किया, उसमें आगे अभी आप परिवर्तन करेंगे, जब आपने संकल्प लिया है तो आपकी इच्छा शक्ति और सरकार की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करेगा कि इस संकल्प की प्रतिपूर्ति कैसे होगी। मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं मान्यवर, इस अवसर पर हैं कि आज जब हम 2014 में इकट्ठे हुए हैं और 2016 में जब आप हमें सत्र के लिए यहाँ लाएं तो इस क्षेत्र की जनता आपके इस लिए हुए संकल्प के पीछे विश्वास के साथ खड़ी हो और उसको यह विश्वास हो कि आपके इस संकल्प ने उसको फायदा पहुँचाया है। मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएं आपको हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय नवप्रभात जी ने एक बिन्दु जो कृषि संयंत्रों के उपकरणों पर क्वालिटी का उठाया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय नवप्रभात जी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी कृषि उपकरण जो पहले टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से खरीदे जाते थे, हमने एक निर्णय लिया है कि किसान जो रजिस्टर्ड हमारे चाहे खादी ग्रामोद्योग, लघु उद्योग या जो रजिस्टर्ड हमारी संस्थाएं हैं, उनसे किसान कृषि यंत्र खरीद सकता है बिल हमारे यहाँ देगा और सीधे सब्सिडी उसके खाते में आयेगी जिससे कि ये उपकरण की क्वालिटी भी और सब्सिडी का सीधा–सीधा उसको फायदा मिलेगा। ये जो क्वालिटी की दिक्कत है, उपकरण की दिक्कत है, अगर किसान खुद ही घटिया उपकरण खरीदेगा तो उसमें कोई क्या कर सकता है। जिस किसान को उपकरण खरीदने हैं वो बाजार से स्वयं खरीद कर लायेगा और सब्सिडी सीधे उसके खाते में जायेगी तो उससे ये जो आशंका थी कि उपकरण हम जो सप्लाई करते थे, कृषि विभाग या उद्यान विभाग कृषि यंत्रों को सप्लाई करता था, उसकी क्वालिटी घटिया होती थी और वो इसलिए भी होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जब हम टेंडर करते थे, कम्पटीशन में जो ठेकेदार टेंडर डालता था, जो लोएस्ट आता था तो उससे फिर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाती थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है।

श्रीमती शैला रानी रावत–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। इससे पहले मैं और बड़ा धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि गैरसैण

में ग्रीष्मकालीन सत्र जो आयोजित आपके दृढ़ संकल्प से और हमारी लोकप्रिय सरकार के सहयोग से शासन और प्रशासन के द्वारा हुआ, इसके लिए बहुत–बहुत बधाई। आज उत्तराखण्ड के उन अमर शहीदों की आत्मा को बहुत शांति स्वर्ग में मिल रही होगी और यह सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मुद्दे अलग–अलग हो सकते हैं जनता के हर समय, लेकिन हमारी लोकप्रिय सरकार ने यह सराहनीय प्रयास, ये ऐतिहासिक पहल जो की, उसके लिए बहुत–बहुत बधाई और धन्यवाद। इसके साथ ही दूसरा जो कृषि के क्षेत्र में जो हमारी लोकप्रिय सरकार ने और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जो संकल्प लिया, अभी हमारे भाई नवप्रभात जी ने सहभागिता की बात की। हम बहुत बड़ी–बड़ी योजनाएं बनाएं, बहुत बड़े–बड़े प्रयास करें, बहुत बड़े–बड़े संकल्प करें, लेकिन सहभागिता कैसे होगी तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए हम कैसे जागरूकता लाएं लोगों में ताकि जो हमारी जो रोजी–रोटी है, ताकि खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। आज हम देख रहे हैं बगल के ही हमारे राज्य हिमाचल में, वहाँ का नवयुवक डिग्री लेकर घर की तरफ लौट आता है, लेकिन हमारा नवयुवक डिग्री के बड़े–बड़े बोझों को लेकर उस बोझे को ढो रहा है तो कहीं न कहीं इस संकल्प में जागरूकता की जरूरत है और खेती को जोड़ना होगा। इससे एक तो पलायन रूकेगा, दूसरा रोजगार भी हमको मिलेगा, तीसरा जो आज हम महसूस करते हैं, मैं चाहे महिला प्रतिनिधि हूँ, चाहे गाँव की मैं किसी ग्रहणी को देखती हूँ, हम केवल एक ही रूप में, वैसे तो कहते हैं कि पहाड़ की रीढ़ हैं महिलाएं, लेकिन हम आर्थिक आधार पर बहुत कमजोर होती हैं और उस आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए खेती, कृषि और पशुपालन ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हो सकती है और तीसरा बहुत बड़ा बिन्दु है, अदृश्य है, स्वास्थ्य का। आज हम बहुत बड़े योगा करते हैं, मार्निंग वाक के लिए जाते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तमाम बीमारियों के शिकार हैं, अगर हम कृषि की ओर अग्रसर हों तो ये सब बीमारियाँ जो हैं, दूर भाग जाएंगी। तो एक सहभागिता के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा और मैं यह कहूँगी कि जो हमने यह संकल्प लिया है, जैसे यहाँ पर हमारा विधान सभा सत्र का संकल्प था, उसको आपने पूरा किया, इसी तरह यह संकल्प भी बहुत जनमहत्व का है। सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। मैं जरूर कहूँगी कि भई बहुत अच्छा यह विषय है, जनमहत्व का है। मैं तो अपने आपदा के क्षेत्र में देखती हूँ कि जो हमारे केदारनाथ क्षेत्र से जुड़े हुए गाँव हैं, आज भी वहाँ का नवयुवक शहर की ओर नहीं जाता है। मैं कई बार कहती हूँ कि तुम छोटी–मोटी नौकरी के लिए क्यों नहीं जाते हो, वो कहते हैं हमारे खच्चर हैं, छोटी सी खेती है, थोड़ा–बहुत जड़ी–बूटी है, थोड़ा सा हमारा दूध का व्यवसाय है और अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमारा मात्र 02 हजार रूपये भी नहीं बचता है और यहाँ पर हम पूरे साल भर में, महँगाई की मार भी गाँवों को नहीं मारती है, उनको किराया नहीं देना पड़ता है, उनको दूध खरीदना नहीं पड़ता है और अपनी खेती और अपने सगे–सम्बन्धियों से जुड़े होते हैं तो गाँव का महत्व

बढ़ जाता है और वो वहीं अपनी रोजी–रोटी ढूंढते हैं तो उसमें और अच्छा होगा कि महिला मंगल दल की भूमिका और नवयुवक मंगल दल को हम जागरूक करें। हम केवल एक ही पक्ष को देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में मैं देखती हूं कि केवल महिलाएं खेती में रहती हैं, पुरूष जो हैं कहीं दूर–दूर तक नहीं होते तो नवयुवक मंगल दल का अगर रजिस्ट्रेशन होता है और उनको भी हम इस ओर ले जाएं। किस तरह से जागरूकता अभियान हो वो भी इसका एक महत्वपूर्ण बिन्दु होना चाहिए ताकि हम उनको भी जोड़ें और जब हिमाचल के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और मिट्टी का परीक्षण बहुत जरूरी है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहूँगी कि भई, आपने जो ये सपना देखा है, हमारी लोकप्रिय सरकार ने जो यह प्रयास करने का संकल्प लिया है, उसके लिए सपने केवल नींद में आते हैं। सपना यह होना चाहिए कि हमें इसके लिए नींद ही नहीं आनी चाहिए माननीय कृषि मंत्री जी, और कल से ही यह शुरू होना चाहिए और इसमें मृदा परीक्षण हो, क्योंकि मैं देखती हूं कहीं आलू होता है तो लोग वहाँ कुछ और खेती कर लेते हैं, चाय का भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर देखा है गैरसैंण में, उसके निकटवर्ती क्षेत्र में चाय के पेड़ भी लोगों ने लगाये हैं, चौलाई है, मंडुवा है, झंगोरा है, जड़ी–बूटी है, अदरक है, लहसुन है इस तरह से कई चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी का परीक्षण बहुत जरूर है। बहुत जल्दी हो ये नहीं कि हमने मिट्टी दी तो एक साल तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती है। दूसरा मैं इस बात से भी सहमत हूँ माननीय नवप्रभात जी से सिंचाई के क्षेत्र में करोड़ों की नहर बन गयी है, अगर वो नहरों का आप आकलन करेंगे तो करोड़ों क्या अरबों में जाएंगी, लेकिन गूल में पानी नहीं है। इस आपदा वाले क्षेत्र में कच्ची गूलों का निर्माण होना चाहिए।

वर्षा के संचित जल का भी प्रयास किया जाना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नलकूप की बात आई, हमारे यहाँ पर भी नलकूप लगे हैं लेकिन बिजली नहीं आती है। दो–दो दिन बिजली गुल रहती है हमें केवल आधुनिक सिंचाई पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा जो पुराने जमाने में चलता था कच्ची गूल होती थी अगर पहाड़ गिर गया तो दूसरी तरफ से गूल निकाल लेते थे, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसका पैसा जो इसमें भारी भरकम रकम खर्च होती है कुछ की जेब तक केवल सीमित रह जाती है, उसका कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा जब जंगली जानवरों की जब बात आती है मेरे विधान सभा में जब मैं पहली बार आयी थी तो मैंने बंदरों की बात की थी, मैंने उन महिलाओं से वायदा किया था अगर विधायक बनाओगे तो सबसे पहले हम बंदरों को भगायेंगे, आज ढाई साल हो गया अभी तक हम बंदरों की बात केवल कागजों में ही कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आपने जो कैम्पा के अन्तर्गत प्रयास किया है कि उनको पकड़ा जाये। कोई भी बजट है अगर हम कुछ गाँवों से शुरूआत करेंगे तो यह भी कृषि संकल्प में सराहनीय प्रयास होगा और मैं

इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करती हूँ कि जल्दी जंगली जानवरों के सम्बन्ध में जो है सरकार प्रयास करे। इसके अलावा मैं यह भी कहूँगी कि पशुपालन में एक साल से प्रतिकारत् हूँ। माननीय मंत्री जी हमें नीदरलैण्ड ले गये थे। हमने वहाँ पर देखा केवल डेरी विकास है, केवल आलू की खेती होती है, उसी पर सारा आज सम्पन्न है। डेरी विकास में अधिकारियों की नीरसता, अधिकारियों को बहुत बड़े–बड़े पद दिये जाते हैं वह उनके रूचि के अनुकूल नहीं होते। श्रीनगर में अधिकारी बैठता है, मैं कई बार प्रयास कर चुकी हूँ तो वह कहते हैं कि हमें समय ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो हमारी महिलायें प्रभावित हैं वह इच्छुक हैं डेरी विकास हो ताकि हम दूध का रोजगार करें। इसके अलावा मैं यह भी कहूँगी कि जैव पंचायत का भी गठन होना चाहिए। आप जैविक खेती की बात करते हैं तो जैव पंचायत का गठन होना चाहिए। जो यहाँ पर घास होती है उसमें जड़ी बूटी होती है जैसे गाय उस जड़ी बूटी को खाती है तो वह गौ मूत्र अमृत का काम करता है, उसका भी संग्रह होना चाहिए यह भी हमारा कृषि से जुड़ा हुआ बिन्दु है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जब हिमाचल में शराब फलों से बनती है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती। यहाँ भी फलों की शराब होनी चाहिए। हम गाँवों में देखते हैं कि कच्ची शराब बहुत ज्यादा, चाहे सरकार कुछ करे, चाहे इंस्पेक्टर कितने छापे मारे यह बिकती ही बिकती है। तो कम से कम फलों की शराब होगी तो उससे तो स्वास्थ्य तो खराब नहीं होगा।

इसके अलावा मैं एक बिन्दु और कहूँगी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, हमारी आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर हैं। इनमें भी हम प्रसाद के रूप में तुलसी है, ब्रह्म कमल है, कड़वी है और जो हमारे औषधीय वाले पौधे हैं, उसको प्रसाद के रूप में करें। अभी तक हम उसको सोच ही नहीं पाये, मैं एक पैकेट यहाँ पर लाई हूँ, मैं इसे मन्दिर समिति के अध्यक्ष को दूँगी कि देखिये इसमें क्या है, इसको कह रहे हैं कि यह यूगान्डा से आया,जर्मनी से आया, भाई राजकुमार ने मुझको दिया, हम भी क्यों नहीं ऐसा ही प्रसाद बना सकते हैं। दूसरी चीज में बनायें और उसको लोग बहुत मन से खरीदते हैं, अपने सगे सम्बन्धियों के लिए ले जाते हैं। इसमें हमारा बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है। हमारी गरीब महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। हमारे बेरोजगार नवयुवकों को उसमें रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा नदी के किनारे हमारे घर नहीं बन सकते हैं तो बागवानी के लिए यह जमीन सबसे उपयुक्त हो सकती है। आज मैं देखती हूँ नेपाली मूल के लोग आते हैं उनके पास सिंचाई के साधन भी नहीं होते हैं उनके पास अपनी जमीन भी नहीं होती है, उनको जंगली जानवरों का डर भी नहीं होता वह बहुत बड़ी मात्रा में सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसी दृढ इच्छा शक्ति हमारे अन्दर होगी, हमें वह प्रयास करने पड़ेंगे कि किस तरह हम गाँव के लोगों की सहभागिता करवायें, इस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं चाहती हूँ कि किसानों को ग्रीन कार्ड दिया जाये, माना एक गाँव में सौ परिवार रहते हैं तो 10 ही लोग बहुत अच्छी खेती करते हैं और 10 ही लोग बहुत अच्छी बागवानी करते हैं। एक तो उनकी जोत

अलग–अलग होती है, दूसरा गाँव का सहयोग नहीं मिलता, तीसरा सिंचाई नहीं होती, चौथा जंगली जानवरों से नुकसान होता है। लेकिन तब भी वह दस लोग बहुत आगे होते हैं। मैं अपने यहाँ नारायण कोटी का उदाहरण दूँ कई गाँव ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छी सब्जी उत्पादन होता है। हमारा एक किसान बंगलौर गया वह वहाँ भी फर्स्ट आया, लेकिन इतना सरकारीकरण हो गया कि वह मेरे पास शिकायत लेकर आया कि मैं वहाँ प्रथम आया और मेरा प्रमाण पत्र किसी और को दे दिया। वह कह रहा है कि मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। वह वहाँ से सब्जी लेकर आया था कि यह हमारा प्याज है, कद्दू है, टमाटर है, बहुत अच्छी सब्जी थी, उसमें उसका एक शिकायती पत्र भी था। तो ऐसे किसानों को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। हमारे हाउस में पूर्व मैम्बर रहे भाई रणजीत सिंह जी, मैंने उनका फार्म देखा बहुत बड़े–बड़े कद्दू, टमाटर, लौकी जो हमने गाँव में देखी, जो परिश्रम उन्होंने किया मैं तो उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करती हूँ, मैं तो केवल उनको नेता ही मानती थी मैंने उनका विधायक का ही रूप देखा था। मैंने जब उनका कृषक का रूप देखा, जैसे अभी कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चार टन प्याज हुआ तो बहुत बड़ी बात है। अगर कृषि मंत्री अपने घर में उगा रहे हैं तो यह सराहनीय प्रयास है। हम चाहते हैं ऐसा सब लोग करें। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करती हूँ कि उस फार्म हाउस पर जायें, उससे हम प्रेरणा लें कि एक आदमी ने कितनी मशक्कत करी इसमें 10 साल लगे होंगे, 20 साल लगे होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा सब लोग करें।

इसके अलावा हम रोजगार की बात करते हैं महिलाओं के आर्थिक आधार की बात करते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की बात करते हैं तो यह एक बहुत अच्छा संकल्प है। तो आने वाले समय में यह हमारे उत्तराखण्ड के लिए सम्पन्नता का प्रतीक होगा, समृद्धि का प्रतीक होगा और खास कर हमारे पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी सुख और समृद्धि इन खेत और खलिहानों में ही ढूंढनी होगी। मैं चाहती हूँ कि सरकार इसमें दिन रात करके बहुत आगे बढ़े, बहुत जल्दी इसमें प्रयास करे, क्योंकि आज हम जिस बात को सोचेंगे तो वह एक साल बाद इम्पलीमेंट होता है। इसलिए हमें आज ही सोचना है आने वाली कौन सी फसल है उस फसल के लिए बात करनी है और उसके लिए सराहनीय प्रयास करने हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने समय दिया और इसके साथ ही शुभकामनायें देती हूँ आने वाला समय बहुत अच्छा हो। एक छोटा सा प्रस्ताव भी है आप लोग सोचेंगे ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे यह भी पता नहीं है कि वह यहाँ पर बोलना है या नहीं, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं बी0टी0सी0 में रही जिला पंचायत में रही, असंसदीय भाषा की बातें ट्रेनिंग में मिली, लेकिन असंसदीय भाषा जितनी मैंने यहाँ पर देखी उतनी कहीं नहीं देखी। मुझे अभी तीन चार महिलायें मिली कहने लगी, मैंने कहा कि अभी मैं अपनी रिश्तेदार के यहाँ से खाना खाकर आयी उसने कहा दीदी रोटी भी घर की है और सब्जी भी हमारे बगीचे की है, दाल भी अपनी है, खीर बनायी

थी दूध भी अपने गाय का था। तो बहुत अच्छा लगा। वह चार महिलायें जा रही थी कह रही थी हमें पास तो नहीं मिला और पूछने लगी वहाँ क्या होता है तो मैंने कहा वहाँ बहुत कुछ होता है अच्छा हुआ तुमको पास नहीं मिला, वह बड़ी मायूस हो रही थीं कह रही थीं कि वहाँ अन्दर तो बहुत झगड़ा हुआ मैंने कहा झगड़ा नहीं हुआ वाद विवाद हुआ। मैं यह चाहती हूँ कि अंग्रेज लोग गये उन्होंने हिल स्टेशन मसूरी की स्थापना की, नैनीताल की भी। मैं चाह रही हूँ कि गैरसैंण को भी हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाये तो यह एक शुरूआत हो, आज सोचेंगे तो कल कुछ न कुछ होगा, जैसे हमने सत्र के लिए सोचा आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

डा0 जीतराम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तराखण्ड के हृदयस्थल गैरसैंण में आज जो कृषि और उद्यान के विकास के लिए संकल्प यहाँ पर लाये हैं उसके लिए मैं बहुत–बहुत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि पूरे भारत देश का एक महत्वपूर्ण अंग है और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में कृषि, जो हमारे कार्यकलाप हैं या मानव के जो कार्यकलाप हैं उनका एक केन्द्र बिन्दु है, उसी कृषि के चारों ओर हमारा पशुपालन, चारा, लकड़ी जो खेती के चारों ओर विकसित होते हैं, पहाड़ में जो हमारा भू उपयोग है उसमें मात्र जो हमारा क्षेत्रफल है वह 14 प्रतिशत के आस–पास कृषि उपयोग के लिए है और उस 14 प्रतिशत में हम अपने उत्तराखण्ड में खेती करते हैं और यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे उत्तराखण्ड का 80 प्रतिशत भू–भाग पर्वतीय क्षेत्र है और 20 प्रतिशत से भी कम भाग मैदानी क्षेत्र है और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हमारा 65 प्रतिशत जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में है और 35 प्रतिशत जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है, इस जनसंख्या और कृषि के जो आपसी सम्बन्ध हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखण्ड की सरकार उसके चिन्ता और मनन के लिए लाए हैं तो निश्चित रूप से एक नया अध्याय यहाँ से शुरू होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में हम भू–उपयोग को किस तरह से यूज करें, किस तरह से हम अपनी कृषि और जो अपनी सम्पूर्ण भूमि है चाहे वह बंजर है, चाहे वन है, उन सबका कैसे उपयोग हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में हमारे पास जो खेती योग्य भूमि है या हमारे किसानों के पास जो भूमि है वह लगभग एक हेक्टेयर से भी कम है और एक हेक्टेयर कृषि हम पर्वतीय क्षेत्र में करते हैं तो हमको 12 हेक्टेयर वन की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता हमको पशुओं, चारे, पशुओं के बिछौने, जलौनी लकड़ी, कास्ट और खेती के लिए जो औजार होते हैं उनके उपयोग के लिए वन का दोहन किया जाता है, तो इस तरह से जो हमारे पहाड़ की खेती होती है वह जंगलों पर आधारित है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हमारा जो पैदावार प्रति हेक्टेयर है वह एक टन से भी कम है जबकि वही पैदावार यदि हम तराई और भाबर में जाते हैं

तो हमारे 20–25 टन पर हेक्टेयर होता है जो कि हमारा तराई–भाबर का एरिया दुनिया में सबसे उत्पादन क्षेत्रों में से एक है जहाँ 20–25 टन पर हेक्टेयर उत्पादन अनाज का होता है, तो इस तरह से उत्तराखण्ड एक महत्वपूर्ण भू भाग है जहाँ हमारे पास एक ओर तराई और भाबर का क्षेत्र है और दूसरी ओर हमारे पास हिमालय पर बर्फ आच्छादित एरिया है, उसके बीच में एक लम्बा चौड़ा पर्वतीय भू भाग है जिसमें यहाँ की 35 प्रतिशत जनसंख्या पहाड़ में निवास करती है उनकी आर्थिक स्थिति उन पर निर्भर करती है, यहाँ की खेती, वनों, यहाँ के भू–भाग पर निर्भर करती है। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी कई तरह की खेतियाँ होती हैं, पर्वतीय क्षेत्र में 80 प्रतिशत जमीन केवल बरसात पर आधारित है, जिसको हम सूखा कहते हैं, रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं वह 80 प्रतिशत से ऊपर है और केवल 20 प्रतिशत से कम एरिया उत्तराखण्ड में सिंचित क्षेत्र है, उसमें चौखुटिया गिवार, गरूड़ वैली, सम्भावत की वैली को छोड़ दिया जाये तो बाकी खेती बरसात पर आधारित खेती है, तो इस तरह से आज हिसाब से सरकार को प्लानिंग करनी होगी। हमारे विद्वान साथियों ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी चाहिए कि कैसी हमारी मृदा है, कैसी हमारी भूमि की संरचना है, कितना भू–भाग हमारा कृषि योग्य है, कितना भू–भाग हमारा वन उपयोग है, कितना भू–भाग हमारा चारा उपयोग के लिए है।

आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि वानिकी हो, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर 80 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है वर्षा पर आधारित क्षेत्र है और अभी श्री दुर्गापाल जी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण अंग है, आज जो हमारे पूरे विश्व की जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कई तरह की हमारी फसलें, उत्पाद में बदलाव आ रहा है। मान्यवर, आज सेब के उद्यान की बात कर रहे हैं तो मैं जब चौखुटिया गार्डन रानीखेत में गया वहाँ के जो निदेशक थे उन्होंने कहा कि आज से 10–20 साल पहले चौखुटिया के सेब एशिया में सबसे महत्वपूर्ण सेब होते थे, लेकिन जब हम 2010–11 की बात करते हैं तो यहाँ पर सेब का उत्पादन मात्र 100 किलो के आसपास होगा, तो इसके लिए भी हमें सोचना होगा, क्योंकि सेब की खेती के लिए लगातार 90 दिन का चीलिंग एफेक्ट चाहिए, यानी पाल तुसार की आवश्यकता होती है तब सेब के वृक्ष अच्छी फसल उत्पाद करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन के साथ हमारी जो योजनायें बननी चाहिए तो उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के साथ हमारी फसल किस तरीके से होगी। हमारे पहाड़ में जो उत्पाद हैं चाहे वह आलू, झगोरा, मंडुवा, चौलाई, गहद हो तो उस तरह की फसलों को हमको बढ़ावा देना चाहिए और उसके साथ–साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो चारे के वृक्ष हैं चाहे भेमल, खरीफ, कौराल हो या अन्य प्रजातियाँ जो पहाड़ी क्षेत्र में उगती हैं उनको हम खेतों के चारों ओर ग्रो करायें जैसे हम कृषि वानिकी का विकास करते हैं, पहाड़ में कृषि वानिकी की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ में कृषि का उत्पादन ज्यादा नहीं है, एक हेक्टेयर में एक टन से भी कम की पैदावार होती

है और उसमें जो किसान की मेहनत लगती है वह बहुत अधिक लगती है। जब हम 6 महीने मेहनत करते हैं तो मात्र हमको 2–3 महीने का राशन मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में और हमारे किसान का इसीलिए आज 2.3 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से पहाड़ से प्लेन की ओर पलायन हो रहा है, जो मैदानी क्षेत्र में 65 प्रतिशत की जनसंख्या मैंने बताया तो वह यही है कि पहाड़ से पूरा पलायन हो गया, वह हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर में बस गया और उसका मात्र यही कारण है कि पहाड़ में बेरोजगार लोगों के पलायन को नहीं रोक पाये हैं, हमारी विडम्बना है कि हम साल दर साल आपदा को झेलते हैं। मान्यवर, उस विफलता को रखते हैं, फिर भी वहाँ के मानव का इस पहाड़ से, इस पर्वतीय क्षेत्र से प्रेम है। वह यहाँ पर हजारों–हजार वर्षों से निवास कर रहा है। अभी भी वह उस भूमि को आबाद किए हुए है, लेकिन हमें आज इसको सोचने की जरूरत है कि हम उनको आज किस तरह की योजनाएं दें कि हमारा पलायन रुक सके, हमारा विकास आगे बढ़ सके, आज तमाम चीजों की आवश्यकताएं पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए जरूरी हैं।

पहाड़ में कृषि के विकास की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहाड़ में हमारे फल भी हो रहे हैं, सेब भी हो रहे हैं, नाशपाती भी हो रहे हैं, आड़ू भी हो रहा है, खुमानी भी हो रहा है, इस तरह से तमाम फल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास विपणन की व्यवस्था नहीं है, इसकी वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है। चाहे वह हमारे फलों का उत्पादन हो या फूलों का उत्पादन हो, इसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, जब भवाली के अन्तर्गत कैंची में एक ग्लाईडोरिस का फूल दिल्ली जाता है तो उसकी कॉस्ट 20 से 25 रू0 बैठती है। लेकिन कैंची से दिल्ली ले जाने के लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर विपणन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जो उत्पाद हैं, उनके विपणन की व्यवस्था हो जाय तो निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों की आर्थिक स्थिति का विकास होगा। यदि हम फलों के उत्पाद जैसे जेली, जेम, आदि को बनायें और इन उत्पादों को बेचें तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इसके लिए हमें आज एक विपणन की व्यवस्था की जरूरत है, जो इन उत्पादों को इकट्ठा करे और उसकी मार्केटिंग करे, चूंकि हमारे पहाड़ के ज्यादातर एरिया में जैविक उत्पाद होता है। जैविक उत्पाद पूरे दुनिया में, चाहे वह महानगर हों, इनमें जैविक उत्पाद के सबसे अधिक खरीददार हैं। आज महानगरों की स्थिति यह है कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन उत्पाद नहीं मिल पाता है। यदि हम बुरांस का जूस बेचते हैं तो वह हमें 40 रू0 प्रति लीटर बेचना पड़ता है। इसी तरह से हर उत्पाद के विपणन की व्यवस्था हो जाय तो निश्चित रूप से हमारे पहाड़ के जो किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आयेगा। मान्यवर, पहाड़ में कृषि मण्डियों की आवश्यकता होती है, इनकी स्थापना पहाड़ों में होनी चाहिए, कृषि मेलों का

आयोजन प्रभावी तरीके से पहाड़ों में किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादों का प्रचार–प्रसार एक गाँव से दूसरे गाँव में हो सके। चूंकि अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग तरह के उत्पाद होते हैं। मान्यवर, पलायन का जो मुख्य कारण है, वह पहाड़ों में जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने के कारण होता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र धराली का ज्यादातर क्षेत्र जंगलों से लगा हुआ है। तमाम जंगली जानवर सुअर, हिरन, भालू, बंदर आदि तमाम जानवर फसलों को तहस–नहस कर देते हैं, इसके लिए काश्तकारों को मुआवजे के भी कोई प्रभावी इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किये गये हैं, मैं चाहता हूँ ऐसे प्राविधान किये जाने चाहिए। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि हमारा लाल धान दिल्ली में 100 से 150 रू0 प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। मान्यवर, यदि किसान को इसका उचित मूल्य मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान इसकी खेती करेगा। मान्यवर, इसी तरह से जो हमारी उर्वरा को समाप्त कर रही हैं ये रासायनिक खाद, कीटनाशक पदार्थ का कम उपयोग किया जाना चाहिए, यदि हम जैविक खेती की ओर जाते हैं तो ऐसा करना होगा। मान्यवर, इसी तरह से जब हम उद्यानों की बात करते हैं तो हमारे विशेष कर के कई उद्यान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय में जो कई उद्यान थे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वे उद्यान प्राईवेट को देना पड़ा। लेकिन प्राईवेट में भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया, इनको आज देखने की जरूरत है। मान्यवर, श्रीनगर में हमारा उद्यान है, इस उद्यान की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, जबकि इसकी उत्पाद क्षमता बहुत अच्छी है। हम इसकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह से विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह माल्टा हो, नींबू हो, या खुमानी हो, या कोई अन्य उत्पाद है इनकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। मान्यवर, पैंतोली के अंदर हार्टीकल्चर का एक बहुत बड़ा फार्म है, इसमें दो–तीन सौ नाली जमीन है। इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक फूड एवं वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हो, ताकि हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकें और उनके जो उत्पाद हों, उन उत्पादों को हम विपणन हेतु तैयार कर सकें। उन उत्पादों के लिए बाजार तैयार कर सकें। इसी तरह से हमारे जो बहुउपयोगी तीव्र गति के पौधे हैं उनको पहाड़ में लगाया जाना चाहिए, ताकि हमें जल्दी से चारा और अन्य चीजें मिल सकें। मान्यवर, इसी तरह से हम चाहे मसाला उद्योग की बात करें या हर्बल उद्योग की बात करें, इनमें भी हमें सफलता मिल सकती है, चूँकि पहाड़ों में हर तरह की जलवायु है। प्रदेश में तराई भाबर भी है, हिमालय भी है। टेम्प्रेट भी है, ट्रॉपिकल भी है, तरह–तरह की हमारे पास जलवायु है, यदि इस जलवायु का उपयोग हम सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और हम पलायन रोकने में सक्षम होंगे। अन्त में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण संकल्प पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, जैसा अभी माननीय सदस्य श्री नव प्रभात जी ने कहा कि वर्ष 2002 से 2014 तक हम लगभग जो सरकार की कृषि के और उद्यान के प्रति नीति है, उस नीति में हमने कोई परिवर्तन नहीं देखा और इसका परिणाम आज यह है कि जहाँ हम पहले खड़े थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। मान्यवर, मैं सदन के सामने कुछ सुझाव जरूर रखना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय कृषि मंत्री जी उसका जरूर संज्ञान लेंगे। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि उत्तराखण्ड के अंदर कृषि, उद्यान और जलागम विभाग एक ही मंत्रालय होना चाहिए। यदि इनकी एक नीति बनकर चलेगी तो हम समुचित विकास कर पायेंगे और यदि अलग–अलग मंत्रालय होते हैं तो एक–दूसरे से कोआर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है और फिर प्रोपर वे में हमारी पॉलिसी नहीं बन पाती है। मान्यवर, दूसरा हमारे साथ एक जो प्लस प्वाइंट है कि हमारे पास हाई एल्टीट्यूड है और इसमें जो फसल होगी वह विश्व में और कहीं नहीं होगी। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत यह है कि हमारे पास जो कृषि एवं उद्यान से सम्बन्धित जो उत्पाद हैं, वे विश्व में कहीं और नहीं हो सकते और इनकी मांग पूरे विश्व के अंदर है यह हमारी ताकत है। हमारी ताकत यह है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्वतीय क्षेत्रों में कर सकते हैं, यह हमारी ताकत है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो वह निर्मूल साबित होगी, यह पॉसिबिल नहीं है। यदि हम अपनी इन दो ताकतों को पहचान लें और इसके अनुसार अपनी नीति बनायें तो यह जो हमारी कृषि और बागवानी है, इसको हम लाभप्रद स्थिति में ला सकते हैं। जब तक हम कृषि और उद्यान को व्यावसायिक रूप से लाभप्रद स्थिति में नहीं पहुँचायेंगे, तब तक ना तो हम पलायन रोक पायेंगे और न ही हम जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं उनका कोई भला कर पायेंगे। मैंने उद्यान विभाग से एक सर्वे मांगा कि मुझे यह बतायें कि हमारे पर्वतीय ब्लाकों में किस–किस तरह के फलों की बहुतायत है, ताकि हम उसके कलेक्शन सेंटर बना सकें। दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि एक साल मैं लगातार सचिवों के चक्कर लगाता रहा और मुझे अभी तक वह सर्वे नहीं मिल पाया कि किस ब्लाक के अंदर किस मात्रा में कौन से फल हमारे उपलब्ध हैं तो हम नीति क्या बना सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में सबसे पहले एक सर्वे होना चाहिए और वह प्रकाशित होना चाहिए। मान्यवर, जब हम इस तरह का सर्वे करेंगे तो फिर आगे की नीति बना पायेंगे। अभी एक फ्लडेड इरीगेशन की बात आयी और यह भी कहा गया कि अंतिम रूप से उसका प्रसार नहीं हो पाया, यह बिल्कुल सही बात है। मैं परसों जब गाली–चिकियासैण–चौखुटिया से इधर आ रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि सड़कों के ऊपर से फ्लडिंग हो रही है और फ्लडिंग होकर खेतों की सिंचाई हो रही है, यह तो

आदिवासी जमाने की फ्लशिंग सिस्टम है और हम उसका उपयोग आज भी कर रहे हैं तो इस तरह से हम कृषि का क्या विकास कर पायेंगे। मान्यवर, जब तक हम घाटियों के अंदर स्प्रिंकलर्स और स्लोप के ऊपर ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे, तब तक हम अपना कृषि उत्पाद नहीं बढ़ा पायेंगे। मान्यवर, मैं इसके लिए चाहूँगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हम जो लाभ ले सकते हैं, वह हमारा प्रदेश नहीं ले पा रहा है और जो पैसा मिलता भी है, वह वापिस जाता है या हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए कि हर ग्राम स्तर पर मिनिमम जितना उसका रकबा है कृषि का, उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर हम उसके टैंक्स बनाएं, यह हमारी सरकार की पहली नीति होनी चाहिए। जब हम यह बता देंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 10 लाख लीटर के टैंक इस ग्राम सभा में बनने हैं, 6 लाख के इसमें बनने हैं, 20 लाख के इसमें बनने हैं। तो कम से कम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्दर, क्योंकि यह शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, सबसे पहला कार्य हमें यह करना होगा। उसके बाद उन टैंकों से हमें स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम हमें बनाना होगा। कई जगह यह बात भी आयी कि 2–2, 3–3 दिन तक बिजली नहीं आती। मैं अभी ग्रीस गया, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। उन्होंने क्या करा है कि आधे–आधे किलोमीटर पर छोटे–छोटे एरियाज में सोलर प्लान्ट लगा दिया और उस सोलर प्लान्ट से उस क्षेत्र के जितने भी ड्रिप इरीगेशन होंगे, या स्प्रिंकलर्स चलेंगे या पम्पिंग हाऊस चलेंगे, वह सोलर प्लान्ट से चलते हैं, उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है। अगर हम यह योजना बनाएं कि हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक्स भी हैं, वह चाहे कैनाल से भरें, चाहे किसी और पानी से भरें, उसके लिए हम एक सिस्टम बना लें, उसके बाद इरीगेशन का हम सिस्टम बना लें। उसके बाद उसको विद्युत देने के लिए थोड़ी–थोड़ी दूरी पर सोलर प्लान्ट्स लगा लें, तब हम एक समुचित व्यवस्था बना पाएंगे पर्वतीय क्षेत्र के इरीगेशन की। जब तक हम इरीगेशन नहीं दे पाएंगे, हम पानी अपने किसानों को नहीं दे पाएंगे, तब तक हम सोचें कि कृषि का सही मायने में विकास होगा, यह संभव नहीं है। मान्यवर, इसकी तरफ एक बहुत बड़ी नीति बनाने की आवश्यकता है और इन्हीं सब चीजों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि भारत सरकार की योजना है, उसका हमें भरपूर उपयोग लेना होगा।

मान्यवर, दूसरी बात यह आती है कि हम बात करते हैं कि एक खेत में तो गोभी हो रही है, एक में लोबिया हो रहा है, एक में कुछ हो रहा है, क्या इस तरह से हम एग्रीकल्चर को हम व्यवसायिक कृषि के लिए कर पाएंगे, इस पर भी हमको सोचना होगा। कम से कम जब तक क्लस्टर्स नहीं बनाएंगे, अभी हमारे एक साथी ने क्लस्टर्स की बात

कहीं, 100 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर में अगर हम कुट्टू उगा रहे हैं, तो 150 हेक्टेयर में चौलाई हो गया, मंडुआ हो गया, इस तरह के क्लस्टर्स अगर हम नहीं बनाएंगे तो व्यवसायिक खेती नहीं हो पाएगी। इसमें क्लस्टर्स बनाने की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, किसानों को उपज का सही पैसा मिलना चाहिए। अभी विपणन की बात माननीय प्रीतम राम जी कह रहे थे। हमारे हर ब्लॉक के अन्दर कम से कम एक कलेक्शन सेंटर, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, हर ब्लॉक में एक-एक कलेक्शन सेंटर और जो बड़े ब्लॉक हैं, उनमें दो-दो कलेक्शन सेंटर हों, इस तरह की योजना सरकार बनाए। इसके अन्दर मैं बताना चाहता हूँ कि मणिपुर जैसे छोटे प्रदेश ने पिछले साल राष्ट्रीय कृषि योजना के अन्तर्गत जो योजना भेजी, उसमें 250 कलेक्शन सेंटर लिए। हम यहाँ कोशिश करते रहे, मंडी परिषद् के माध्यम से भी, जिलाधिकारियों को भी लिखा, विधायकों को भी लिखा और क्षेत्र में हम कोशिश करते हैं कि हमें जमीन उपलब्ध हो जाए। बिना कॉस्ट दिये हमें जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार अगर इसके लिए हमें जमीन उपलब्ध कराएगी और अगर हम उसमें कलेक्शन सेंटर खोलेंगे तो कलेक्शन सेंटर के माध्यम से किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर पाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा।

मान्यवर, इसी तरह से अगर हम जहाँ कॉन्टेक्ट फार्म, अभी माननीय नवप्रभात जी ने कहा कि छोटी-छोटी जोत में किसानों के खेत बंट गये, जोत बंट गए और अगर हम इसके लिए कॉन्टेक्ट फार्मिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे और उन कॉन्टेक्ट फार्मिंग का बड़ा समूह बनाकर उन्हीं किसानों को, जो वहाँ रह रहे हैं, उन्हीं को उसका लाभ नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि व्यवसायिक खेती हम पहाड़ में नहीं कर पाएंगे और जब तक व्यवसायिक खेती नहीं करेंगे, तब तक वहाँ से पलायन नहीं रूकेगा। तो हमें कॉन्टेक्ट फार्मिंग में किस तरह से उसको मूलभूत सुविधा देनी है, किस तरह से किनको इम्प्लॉयमेंट देना है, कैसे उसका एक सिस्टम बन सकता है, अभी तक हम कॉन्टेक्ट फार्मिंग का कोई बाईलॉज अपने प्रदेश में नहीं बना पाए हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं लेह गया, वहाँ लेहबेरी नाम से एक फ्रूट है, झाड़ियों में उगता है, वहाँ की पहचान बन गया है। पूरे देश विदेश में लेहबेरी चलती है। इसी तरह से हमारे यहाँ माल्टा होता है और अन्य फल भी होते हैं। अभी विदेशियों की बात आयी कि विदेशी आकर खुमानी का जूस भर रहे हैं। इस तरह की यदि हम नीति नहीं बनाएंगे कि छोटे-छोटे कलैक्शन सैंटर्स और उनके माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट तक उस उत्पाद को हम ले जाएं और उस उत्पाद से फिर उसकी जो विशेषता है, अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र का माल्टा है तो निसंदेह उसके अन्दर गुणवत्ता मैदानी क्षेत्र के माल्टे से कहीं अधिक होगी। उसको प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। अगर हम उसको प्रचारित करेंगे तो उसका सही मूल्य मिलेगा। मान्यवर, इसी तरह मैं चाहूँगा कि स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों की पहचान करें, अभी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री के बारे

में माननीय दुर्गापाल जी बोल रहे थे, कृषि आधारित उद्योगों की पहचान उन क्षेत्रों में करेंगे तो निसंदेह वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग भी आएंगे और स्थानीय उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा, उद्यमियों को फायदा मिलेगा। अगर हम उनको अपनी उद्योग नीति के अन्दर फायदा देंगे, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। मान्यवर, चूँकि अभी हमारे बहुत से साथियों ने बोलना है इसलिए संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हर ब्लॉक में एक से दो कलेक्शन सेंटर्स बनाना बहुत आवश्यक है। सोलर प्लान्ट और ड्रिप इरीगेशन के लिए और स्प्रिंकलर्स के लिए, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर सोलर प्लान्ट्स लगाने बहुत आवश्यक हैं। हर ग्राम सभा के अन्दर जितनी उसमें एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके हिसाब से वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कैनाल से भी फीड हो और रेन वाटर से भी फीड हो, उस पर एक-एक क्लस्टर्स अगर बनाकर हम उससे सब चीजों को लिंक करेंगे तो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और वह कॉमर्शियली वाईबल होगी। कॉन्टेक्ट फार्मिंग के लिए हमें अपने बाईलॉज बनाने पड़ेंगे। अगर कॉन्टेक्ट फार्मिंग के लिए बाईलॉज नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए कॉमर्शियली वाईबल खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और साथ-साथ एक-एक जिन्स की क्लस्टर्स, ब्लॉक में जो जिन्स होती है, उसके क्लस्टर्स बनाकर 100-100, 150-150 हेक्टेयर में अगर हम एक ही उत्पाद नहीं उगाएंगे वहाँ पर न तो व्यवसायी आएगा और न ही कृषकों को सही फायदा दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश गोदियाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सरकार द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं अपनी बात कहूँ, उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रि-मण्डल के सभी सदस्यों को इस मजबूत इच्छा शक्ति के लिए बहुत ही हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर गैरसैंण में विधान सभा का यह सत्र आयोजित कर जो ऐतिहासिक कार्य आप लोगों ने किया है, यह जो इच्छा शक्ति आप लोगों ने दिखाई है, मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश और खासकर कि पहाड़ी अंचल, जो बहुत ही लम्बे समय से, सन् 1952 से जो उम्मीदें पाल कर बैठा था, वह उम्मीदें आज फलती हुई नजर आ रही हैं। इस हेतु मैं सम्पूर्ण मंत्रि-मण्डल को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपने साथी, इस क्षेत्र से विधायक और हमारी विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री मैखुरी जी को, कि उनके विधान सभा क्षेत्र में यह ऐतिहासिक आयोजन हुआ और हम सब लोग उसके साक्षी बने। यह एक बहुत ही गौरव का विषय है और माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि यह जो सोच रही, इसके पीछे कहीं न कहीं आपकी प्रेरणा रही। हमेशा आप इसके पक्षधर रहे हैं। यह सब आपकी प्रेरणा के फलस्वरूप यहाँ पर हो पाया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, सरकार ने यह जो

संकल्प यहाँ पर व्यक्त किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री बड़े भाई हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में यह संकल्प निश्चित रूप से धरातल पर नजर आएगा। इसका फायदा ग्रामीण अंचल के, पहाड़ी अंचल के छोटे किसानों को निश्चित रूप से मिलेगा। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि सरकार आज दो संकल्प ला रही है, एक पटल पर रख दिया है और दूसरा लाने जा रही है और यह पहला संकल्प कृषि और उद्यान के विषय में है और दूसरा शिक्षा के विषय में है। इन दोनों संकल्पों की आवश्यकता क्यों पड़ी, शायद इन दोनों संकल्पों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ भाई श्री नवप्रभात जी ने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है।

आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि सरकार इस रूप में चिन्तित है कि पहाड़ी क्षेत्रों से जो निरन्तर पलायन बढ़ रहा है, इसका आखिर हल क्या है, इसके कारण क्या हैं। सरकार इनकी खोज बीन कर तह तक जाना चाहती है, सरकार इसका हल निकालना चाहती है और इस बात को मैं विधान सभा के रिकार्ड में दर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने जो समझा, पलायन के जो कारण हैं, उसमें निश्चित रूप से रोजगार, जिसका हल आपने औद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा के माध्यम से ढूंढा है और सरकार के माध्यम से यहाँ पर संकल्प प्रस्तुत किया है। रोजगार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो पलायन का कारण है, दूसरा कारण शिक्षा है और तीसरा कारण स्वास्थ्य सुविधायें है और चौथा कारण शहरीकरण की सुविधाओं की चाहत है। इन चार कारणों को सरकार ने संकल्प के माध्यम से आज गैरसैंण से इस विधान सभा में रखे और एक बहुत अच्छी शुरूआत यहाँ पर की है। महोदय, सभी साथियों ने अपने-अपने तरीके से बता दिया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय हरक सिंह रावत जी और सरकार एक बहुत अच्छा संकल्प यहाँ पर लाई, आपने कहा हम इन पर सब्सिडी देंगे, बहुत अच्छी बात है, निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे किसानों को मिलेगा, पर्वतीय अंचल के लोगों को मिलेगा। लेकिन इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि हम 100-200 साल के वक्त को उठाकर देखें तो उस समय भी हमारे पहाड़ी अंचलों में जो कृषि पैदावार थी, उससे सम्पूर्ण जनता का पेट पूरा नहीं भर पाता था, यह हकीकत है और आज भी कृषि उपज और घट गई है और हमारा पूरा पहाड़ी अंचल दुकानों पर निर्भर है। हमारे पहाड़ी अंचलों में जो कृषि उत्पादन होता है, अगर रबी की खेती की हम बात करें तो इस खेती से हम दो महीने का राशन पैदा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से खरीफ की खेती को हम देखें तो इस खेती से भी हम दो महीने का राशन पैदा नहीं कर पाते हैं। तो सरकार क्यों न इस बारे में सोचे, जैसा कि सिंघल साहब ने अभी कहा कि पहाड़ों में अभी आप खेती की बात कर रहे हैं तो स्पेशलाईज्ड

खेती की बात सोचें, जैसे अभी जैविक खेती की बात आई है, एक किलो चावल यदि महानगरों में और दिल्ली में बिक सकता है तो उसकी एवज में सात–आठ किलो चावल दूसरा आ सकता है। पहाड़ों में यह स्थिति है कि लोग खेतों में जानवरों के लिये घास ही उगा रहे हैं, अपने लिये राशन पैदा करें और वह खेती से ही पैदा हो, ऐसा मकसद अब बिल्कुल नहीं है, अब यह है कि जानवर चाहिये तो उसके लिये घास चाहिये और घास चाहिये तो उसके लिये खेती करनी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में सोचे कि पहाड़ी अंचलों में आवश्यक रूप से प्रत्येक गाँव में एक बगीचा लगेगा, 20 नाली, 25 नाली, 50 नाली में बगीचा लगेगा और वहाँ पर सेल्फ हैल्प कापरेटिव के माध्यम से वहाँ पर बगीचा लगेगा। उन युवाओं को जो ऐसे बगीचे लगाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन राशि दीजिये, यदि यह बगीचा पाँच साल में फल देगा तो उसको पाँच साल तक प्रोत्साहन राशि देते रहिये और निश्चित रूप से आपका यह जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा होगा, उसके बाद कुछ न कुछ उत्पादकता बढ़ेगी। भाई नवप्रभात जी ने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्पादकता रोजगार की जननी है। जहाँ उत्पादकता नहीं होगी, वहाँ रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो सकते हैं और यदि रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं तो निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ानी होगी, यही मूल मंत्र है, चाहे औद्योगिकी हो या कृषि हो।

मान्यवर, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात आई, वह यूनिट किस चीज का प्रोसेस करेंगे, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है, वह कोई भी इस प्रकार का उत्पादन नहीं है, जिस पर छः महीने कोई फैक्ट्री चल सके। इसलिये आपको पहले यह श्योर करना होगा कि जो यूनिट लगे, उस यूनिट को कच्चा माल भी नीचे से लाना पड़े, ऐसी नौबत भी न आये और प्रोसेस करके भी नीचे भेजना पड़े। पहले बेसिक काम करना पड़ेगा, पहले हमें बगीचे लगाने होंगे, जब यह बगीचे फल देने लगें, तब प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात हम सोचें। अन्य लोगों को भी बोलना है, जब अन्य लोग बोल रहे थे तो मेरी उकताहट भी बढ़ रही थी, और लोगों की भी उकताहट बढ़ रही होगी। जो आज यह पहल हुई है, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक पहल है, इसमें कुछ नये बिन्दुओं को शामिल करना चाहिये। भाईयों, मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय लूँगा, मैं सतही तौर पर इन बातों को नहीं कह रहा हूँ, मैं सन 2000 के आस–पास बम्बई से आया और मैंने यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का काम किया। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर आगे तिरपालीसैंण में डेयरी फार्मिंग का काम किया, उस डेयरी फार्मिंग में क्या दिक्कतें आई हम ही जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में यदि आप पशुपालन की बात कर रहे हैं तो पशुपालन तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक आपने चारे का बन्दोबस्त नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम वनों में चारा प्रजाति के वृक्षों को लगाने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से चारा प्रजाति के वृक्ष वनों में लगेंगे तो इससे फायदा होगा। आप पशुपालन करें, आप कृषि को बढ़ावा दें, आप जड़ी–बूटी के काम को बढ़ावा करें, इनको यदि आप

कापरेटिव से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा और आपको एक वर्कफोर्स होगी। उस फोर्स को यह लगेगा कि जो काम हम कर रहे हैं, उसका भुगतान हमें मिलेगा, शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि उस पर हमारा नम्बर आये या न आये, मैं पहले ही इस बात को कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, पलायन को रोकना है तो पहाड़ी क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कर, हल चलाकर जो अपना जीवनयापन कर रहा है तो वह भी इच्छा रखता है कि वह भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाये। अधिकांश लोग, चाहे वह खेती कर रहे हों या मजदूरी कर रहे हों, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। जब जनता की इच्छा है कि उन बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया जाय तो सरकार को भी उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये। एक वक्त था जब इस बात की आवश्यकता थी कि सरकारी स्कूल खुलें, लेकिन आज वक्त बदल गया है, सरकार को चाहिये कि इस बदलते वक्त में लोगों की इच्छा को समझते हुये काम करें। यह पलायन का बहुत बड़ा विषय है, इसलिये आदमी नौकरी के लिये नीचे आ रहा है, जब उसकी नौकरी लगती है तो माँ-बाप उसकी शादी कर देते हैं। जब उसके बच्चे होते हैं तो वह सोचता है कि उसके बच्चों का भविष्य खराब न हो जाय, इसलिये वह पत्नी के साथ बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है। जब वह 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो सोचता है कि पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधायें हैं नहीं तो क्या करने वह वहाँ पर जायेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो संकल्प आज व्यक्त किया है, वह एक मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का कुछ भला हो पायेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद, हमारे व्हिप साहब बार-बार मुझे टोक रहे हैं, इसलिये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री विक्रम सिंह नेगी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड प्रदेश के साढ़े दस जिले पर्वतीय हैं और आज जो सरकार ने संकल्प लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि और औद्यानिकी को मजबूती प्रदान करने के लिये, उसका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से भी कि एक शब्द है, उत्तरदायित्व। इन सब कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की तो है, गैरसैंण में हमने पेपर तैयार कर दिये, वह सारी सुविधायें दे दीं। लेकिन इस सबको धरातल पर उतारने के लिये हमें बहुत मजबूती के साथ ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो इसे ग्राम पंचायत से लेकर, ब्लाक स्तर से लेकर, जमीन पर ले जाने का काम करें। इसके लिये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिये, मजबूती के साथ होनी चाहिये।

मान्यवर, हमारे साथ कृषि विभाग में एक अधिकारी होता है ए0डी0ओ0 (कृषि) और एक अधिकारी होता है ए0डी0ओ0 (हार्टिकल्चर)। इनको पंचायतों के माध्यम से इनको जितनी सब्सिडी की आपने घोषणा की, ये जमीन पर अगर काश्तकारों को मिलने लगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों का विकास सुनिश्चित होगा और जो हमारी समस्या है, जो पलायन हमारी सबसे गम्भीर समस्या है, उसको रोकने में कुछ कामयाबी हमको जरूर मिलेगी। हमने जितने अनुसंधान किये एक बार मैं 1996 में ब्लाक प्रमुख था एक प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें रानीचौरी के वैज्ञानिकों ने हमको कई चीजें दिखायीं, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने ये कहाँ पैदा की तो उन्होंने कहा कि ये हमने लैब में पैदा की और जिस जगह वह यूनिवर्सिटी है, जिस जगह वो कैम्पस है उसका जो वातावरण है उस वातावरण में पैदा की हुई चीजें हैं उसको लैण्ड तक ले जाने के लिए ये भी बहुत जरूरी कदम है इसके लिए हमारे जो अनुसंधानकर्ता हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी है चाहे वो रानीचौरी का हो, चाहे भरसार का हो, चाहे आपकी जखोली का हो, इन जगहों पर इन लोगों को भी ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि ग्रामीण काश्तकारों को हम बीज भी उपलब्ध कराएं, तकनीकी भी उपलब्ध कराएं और उन क्षेत्रों का भी चयन करें कि जिन क्षेत्रों में, जिस परिस्थिति में वो चीजें पैदा की जा सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या मृदा परीक्षण की भी है। हमारे क्षेत्रों में काश्तकारों को यह पता नहीं है कि किस हाईट में किस तरह की हम पौध को लगा सकते हैं, फलदार पौधों का रोपण कर सकते हैं और उनके लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ की मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक मृदा परीक्षण का सेंटर खोला जाना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी हो, वो स्वयं जाएं काश्तकारों से बात करें। गाँव–गाँव में जाकर उनकी मिट्टी का परीक्षण करके उनको ये जानकारी उपलब्ध करायें। हमने ऊँचाई की जगह पर वानिकी व उद्यानिकी विश्वविद्यालय के परिसर हमारे हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी गर्म जगह है घाटी की जगह है, वहाँ पर भी हमको किस तरह से वहाँ के काश्तकारों को इसका लाभ मिल सके चाहे वो फलोद्यान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, वहाँ पर भी हमारे परिसर खुलने चाहिए, जिसका लाभ वहाँ के काश्तकारों को मिल सके। हमारे उद्यान विभाग में फार्मों का सुधारीकरण और सबसे खराब स्थिति यह है कि उद्यान विभाग में सबसे कम कर्मचारी हैं जोकि अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और जंगली जानवरों से इसका क्या उपचार किया जा सके, पूरा पहाड़ इससे त्रस्त है। अभी बीच में आया था कि बंदरों को रोकने के लिए उनकी नसबंदी की जायेगी, लेकिन वो बात भी आगे नहीं बढ़ पायी। सबसे ज्यादा नुकसान सुअर कर रहा है। 15–10 मिनट में एक आलू का खेत एक झुंड से पूरा वो तबाह कर देता है। उसको बचाने के लिए हमको कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और खासकर बंदरों से जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी उनके बधियाकरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसके लिए प्रत्येक जिले में ऐसे सेंटर खोलने पड़ेंगे। हमारी जो फसलें हैं, वो 100 परसेंट आर्गेनिक हैं, हमारी

जो दालें हैं हम 06 महीने उन खेतों में जो 06 महीने बंजर छोड़ी जाती हैं उसमें किसी खाद का उपयोग नहीं करते। हमारे 01 हजार से लेकर 02 हजार की हाईट पर जो आलू पैदा होता है, अगर हम उसकी ब्राडिंग कर दें, हम उसको मार्केट उपलब्ध करा दें, वो ठीक दुगने दामों पर बिकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है धनोल्टी की बेमौसमी मटर उस समय पैदा होती है जिसकी कीमत धनोल्टी में 30 और 40 रुपये होती है, उसकी ब्राडिंग करने की आवश्यकता है, उसको बाजार में प्रचारित करने की आवश्यकता है, उसको बड़े बाजार में अपने उत्पादों को उतारने की आवश्यकता है और बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो जड़ी–बूटी की जगहों पर पैदा होती हैं, लेकिन हमने उस पर कभी नहीं लिखा बाहर के लेबिल पर कि इसमें इतनी तरह के फायदे इन चीजों से है। गहत की दाल खाने से जहाँ आदमी की पथरी साफ हो जाती है और हमारी जो फसलें हैं हमारे जो फल उत्पादन हैं, वो तो 100 परसेंट आर्गेनिक हैं।

इसकी आवश्यकता है कि इनकी ब्राडिंग की जाय, इनको मार्केट उपलब्ध कराया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, जड़ी–बूटी के लिए हमारे पूर्वजों को बड़ी जानकारी थी जब डाक्टर नहीं थे, वैद्य होते थे। घर के लोगों को जानकारी थी बच्चों को अगर छोटे में बीमारी हो गयी तो साद पेड़ की छाल निकालकर उबालकर छानकर पिला देते थे किसी डाक्टर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज की पीढ़ी को कतई जानकारी नहीं है और इसके लिए आवश्यकता है कि जड़ी–बूटी एक एक ए0डी0ओ0 प्रत्येक विकास खण्ड में होना चाहिए और वो गाँव–गाँव में आईडेंटीफाई करे कि आपके गांव में ये जड़ी–बूटी का पौधा है, इसका आप कृषिकरण करिये, इसका बाजार उपलब्ध है, इसको बेचने से आपको रोजगार मिलेगा, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मेल ट्रेनिंग सेंटर, इसको बनाने की आवश्यकता है जिसमें समय–समय पर किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हमने देखा है जो हम ये सॉस खाते हैं बड़े चाव के साथ, ये कद्दू, लौकी सड़े हुए फलों का होता है और हमारे पास इतना बढ़िया टमाटर हो रहा है, लेकिन उसको अगर हम ये बतायें कि ये एकदम आर्गेनिक है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी और मार्केट में उसको ज्यादा भाव से लोग लेंगे।

मुझे साऊथ अफ्रीका जाने का अवसर मिला, वहाँ देखा है कि जो हमारा नीबू है गलगल, उसको फाईव स्टार होटल में सलाद के साथ पेश करते हैं और अगर हम उत्तराखण्ड के ऐसे जो हमारे फल हैं, उनको फाईव स्टार होटल हों, चाहे देश के होटल हों, चाहे अपने प्रदेश में हों अतिथियों के सामने भी परोसने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर काश्तकारों को उसका अच्छा भाव भी मिलेगा और उससे वो प्रोत्साहित होकर उसकी खेती आगे और ज्यादा करेगा। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस प्रदेश की मूल भावना है कि इस प्रदेश की जमीन को यहाँ के काश्तकारों से जोड़ कर उसको फायदे की खेती में कैसे बदला जाय, इसके लिए आपका स्वागत है। मनरेगा से हम किसानों के खेतों को ठीक कर सकते हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप नया बीज उनको उपलब्ध कराईये, हम उनको हार्टिकल्चर

से जोड़कर उसको ये सुविधाएं मनरेगा के माध्यम से भी दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि सरकार ने इसकी सही मॉनीटरिंग कर दी तो निश्चित तौर पर इतनी सारी जो सब्सिडी है, इसका लाभ किसानों को मिलेगा और किसान और नौजवान इससे जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने का काम करेगा। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का मौका दिया। एक बहुत बड़ा दर्द पहाड़ का, पहाड़ के पलायन का मुझे याद आता है जब हम उत्तराखण्ड आंदोलन की बात करते थे तो हमारा मुख्य बिन्दु होता था पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है। पहाड़ के खाली होते गाँव, खाली होती बाखलियाँ, खाली होते हुए मकान इन खूबसूरत पहाड़ों पर एक बदनुमा दाग प्रतीत होते हैं। एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इस पलायन पर किस तरह से हम पहाड़ के पानी को पहाड़ के उपयोग में ला सकें। हमारे पास कुछ हो न हो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ब्रेन हमारे पास है। हर्ष देव ओली से ले करके, हेमवती नन्दन बहुगुणा से ले करके, गोविन्द बल्लभ पंत से लेकर एन0डी0तिवारी तक ऐसे नेता, ऐसे पुरूष हमने जा करके दिये, जिन्होंने भारत में जा करके इस देश का प्रतिनिधित्व किया। चाहे केन्द्रीय गृह सचिव पाण्डेय हों, चाहे थल सेनाध्यक्ष बी0सी0 जोशी जी हों, सब इसी मिट्टी से निकले। आज क्यों पलायन की नौबत आ रही है, क्यों पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अभी भी अलग राज्य बनने के बाद भी पहाड़ के काम नहीं आ पा रहा है, इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और इस संकल्प का यहाँ पर प्रस्तुतीकरण वास्तव में इस सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है। पलायन का पहला कारण बेरोजगारी है, मुझे याद आता है 2002 से 2007 तक भी जब मैं विधायक था कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम 02 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे और हम भी लोगों के बीच में उस घोषणा पत्र को लेकर गये थे। हमने कहा था हम 02 लाख लोगों को, कांग्रेस ने कहा है तो हम रोजगार देंगे और आपको याद होगा उस हाउस में जब मैं बोल रहा था नेता सदन तिवारी जी बैठे हुए थे, मैंने तिवारी जी से कहा था कि यह टेस्ट मैच का जमाना नहीं है, यह वन डे का जमाना है। जनता पाँच साल इंतजार नहीं करेगी। हमको साल दर साल परिणाम देने होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आदरपूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ अब यह 20-20 का जमाना है। आप 20-20 की बैटिंग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यह हमने पिछले दो महिनों में देख लिया। आपसे उत्तराखण्ड के लोगों की आशायें ज्यादा हैं सबकी उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं। उत्तराखण्ड के लोगों ने देखा है कि उनका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका नेता गाढ़ गधेरों में जा सकता है। विधायकों के साथ सामान्य टेंटों में सो सकता है। हम पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ खड़े हैं।

मगर हम कितनी बढ़िया नीति बनायें कितने ही बढ़िया कार्यक्रम बनायें अगर उनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो आपकी नीतियाँ बेकार जायेंगी, आप अपेक्षित परिणाम नहीं पा पायेंगे। हमने कहा था जो ये रोजगार कार्यालय हैं इनको हम कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे। क्या हुआ कितना रोजगार हमको रोजगार कार्यालय दे रहे हैं। अगर मात्र यह सरकारी नौकरियों में अनिवार्य न हो कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है तो लोग शायद नहीं 200 रूपया खर्च करके जिला मुख्यालयों में पंजीकरण केन्द्रों में जा करके अपना पंजीकरण कराना भी उचित नहीं समझेंगे। आज हमको उनको वास्तव में कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके जब बच्चा हमको मिल रहा है। हमको उसी टाइम तय करना पड़ेगा कि इस राष्ट्र के निर्माण में इस प्रदेश के निर्माण में इस बालक का क्या योगदान होगा। हम इससे क्या काम ले पायेंगे। यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, मात्र कुछ घंटों की चर्चा में इस संकल्प पर सब कुछ सामने आ जायेगा ऐसा सम्भव नहीं है। बहुत सी बातें हरक सिंह जी ने कहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी को बढ़ा कर 75 प्रतिशत किया। मगर उस 50 प्रतिशत सब्सिडी में अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं निकले, इसका आंकलन किसी ने किया। क्या औद्यानीकरण के लिए साल दर साल हमने इनके लिए बजट नहीं रखा। जहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की आवश्यकता होती है। इम्पलीमेंट करने वाले लोग जहाँ पर ठीक होते हैं, वहाँ अपेक्षित परिणाम निकलते भी हैं।

मुझे याद आता है आप उद्यान मंत्री थे हमारे पास बजट भी नहीं था। 2002 से 2007 के बीच में हमने साढ़े चार लाख रूपया श्रमविकास से निकाला था, टनकपुर, बनबसा के क्षेत्र को लीची और आम फलपट्टी के रूप में विकसित करने के लिए और मैंने आपको आमंत्रित किया था। हमने खुद जाकरके काश्तकारों के खेतों में पेड़ लगाये थे, खुद गड्ढे खोदे थे, खुद फर्टीलाइजर दिया था, खुद पेड़ दिये थे और उनकी मानीटरिंग की थी। आज खुशी होती है यह काश्तकार एक-एक लाख में और डेढ़-डेढ़ लाख में अपनी फसलें बेच रहे हैं। जो मात्र साढ़े चार लाख की पूँजी से हमने उनकी मदद की थी। आज एरियाज़ों को चिन्हित करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सब्सिडी दे देने भर से नहीं होगा। यह 75 प्रतिशत सब्सिडी से भी नहीं होगा। पहाड़ के लोग गरीब हैं संसाधन नहीं हैं वह हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी अपने लिए नहीं जुटा सकते, उनको 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाये। सिर्फ श्रम उनका हो बाकी हर चीज सरकार उनको दे, उनके खेतों में गड्ढे खोदे, बढ़िया क्वालिटी के उनको पौधे दे, बढ़िया क्वालिटी के उनको फर्टीलाइजर दे, 6-7 साल बाद उनको उनका बगीचा हैण्डओवर करें। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ हमारे चम्पावत में हमने श्रमविकास से पैसा लिया और चाय बगान विकसित किये, हमने काश्तकारों से एम0ओ0यू0 साइन किया, उनकी सॉइल टेस्टिंग कराई, उनके खेतों को लिया उनसे कहा

कि सात साल तक यह जमीन टी बोर्ड देखेगा। हमारे लोग वहाँ पर गये और लोगों को रोजगार मिला। गाँव की महिलाओं ने गड्ढे खोदे और गोड़ाई की और हमने कहा इस बगीचे को सात साल तक हम रखेंगे और सात साल बाद तैयार करके आपको दे देंगे। आज खुशी होती है चम्पावत की चाय कोलकता में जा कर बिकती है। टी प्रोसेसिंग की यूनिट हमारे यहाँ लगी हुई है। इस तरह से जब हम एरिया वाइज कलस्टर छाँट करके काम नहीं करेंगे तो अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सवा सात बजने को हैं और ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। विपक्ष अनुपस्थित है शायद उनको इस संकल्प की महत्ता का ध्यान नहीं रहा होगा। ये चर्चायें कल मीडिया के माध्यम से सामने आयेंगी तो जो उन्होंने बहिष्कार किया है इस पर उनको भी अफसोस होगा। उनकी तरफ से भी बहुत सी राय आ सकती है बहुत जगह जहाँ हमारा ध्यान न जाये वहाँ वह ध्यान इंगित करा सकते हैं। मुझे भी अभी कम से कम एक या सवा घंटा और इस पर अपनी बात रखनी हो सकती है। मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ बड़ी सिद्दत के साथ ये जो दो संकल्प हैं, यह सरकार की मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ दूसरा संकल्प आज प्रस्तुत हो जाये, इन दोनों संकल्पों पर चर्चा जारी रहनी चाहिए, दोबारा पूरा हाउस बैठा करके चाहे हमें देहरादून में बैठकर चर्चा करनी पड़े मगर आसानी से कृषि मंत्री बोलें और यह चर्चा समाप्त हो जाये, अभी इसमें अपेक्षित सुझाव नहीं आ पाये हैं, ऐसा मेरा मानना है।

मेरा आपसे निवेदन है जो दूसरा संकल्प आया है वह यहाँ पर प्रस्तुत हो जाये और इन दोनों संकल्पों पर चर्चा को समाप्त न करके एक बड़ा हाउस जो 5-6 दिन तक चले उसमें लोग तैयारी करके अपनी बात रखें और अच्छे सुझाव के साथ अच्छी नीति और कार्यक्रम बने। मान्यवर, जब चर्चा हो तो महत्वपूर्ण अधिकारी बैठें, हमारे चीफ सेक्रेट्री और प्रमुख सचिव बैठें वह नोट करें। जो यहाँ के सदस्य हैं उनकी भावनायें क्या हैं, किस तरह का विकास वह चाहते हैं। ये सारी चीजें नेता सदन के रहते ही सम्भव हो सकती हैं। मुझे मालूम है हमारे नेता को अधिकारियों से काम लेना आता है और घोड़ा भी अपने सवार को पहचानता है और जल्दी ही अगर यह व्यवस्थायें जिस तेजी से नेता सदन काम करना चाह रहे हैं, जिस तेजी से हमारी सरकार काम करना चाह रही है उस तेजी से कदम ताल अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं अपनायी तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं नेता सदन से भी कहना चाहूँगा कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितने ही कठोर निर्णय लेने पड़े यह सदन और सदन से बढ़ करके उत्तराखण्ड का आम जन आपके साथ खड़ा है आप निर्णय लें और उन निर्णयों को मजबूती के साथ लागू करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ दूसरा संकल्प जो आना है उस संकल्प को यहीं पर प्रस्तुत कर दिया जाये। इन दोनों संकल्पों पर चर्चा आगे जारी रहे, बहुत से हमारे साथी विधायक नहीं हैं, प्रतिपक्ष के विधायक नहीं हैं। ये सारे लोग भी अपनी बातों को रखें और हम एक अच्छी नीति एक अच्छी योजना पहाड़ों के विकास

के लिए बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी भावनाओं का और उत्तराखण्ड के आम जन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए समुचित निर्णय देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत जय उत्तराखण्ड।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा जारी रहे और दूसरा संकल्प करा लिया जाये। इस पर अगले सत्र तक चर्चा जारी रहे क्योंकि प्रतिपक्ष भी नहीं है।

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने कृषि और उद्यान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर और जो पहाड़ की कल्पना और सोच के तहत विषय है। जो संकल्प है उस पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। मान्यवर, बहुत बढ़िया विषय आज इस गैरसैंण में उठा है। पर्वतीय क्षेत्र की भावनायें जो कृषि और उद्यान से सम्बन्धित हैं। जो आज पहाड़ का सबसे महत्वपूर्ण पलायन का कारण बन रहा है इस विषय पर जो चर्चा माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय विधायकगणों द्वारा की गई है उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करते हुए, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूँगा। आखिर आज पहाड़ किस प्रकार परिवर्तन के साथ पलायन के साथ एकदम खाली होते जा रहा है। आज कृषि और उद्यान जैसे महत्वपूर्ण विषय को अगर हमने इस गैरसैंण से छूने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर हम सबको आने वाले समय में एक मजबूती और एक मजबूत स्तम्भ इस क्षेत्र से मिलेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से आज सरकार को अवगत कराना हम भी चाहते हैं। अभी विक्रम सिंह नेगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी, नवप्रभात जी ने, हमारी दीदी शैलारानी रावत जी ने बहुत सही ढंग से इस बात को रखा कि अगर कृषि और उद्यान को हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर उतारने का प्रयास नहीं करेंगे और खाली किसान रथ और उद्यान रथों के माध्यम से जनता के बीच में प्रचार प्रसार करते रहेंगे तो मुझको नहीं लगेगा कि पहाड़ का जो कृषि का पलायन और उद्यान का पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उस पर सरकार कोई फोकस करेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस बात को गम्भीरता से देखिये कि जिला कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी अपने दायित्व के प्रति कितना निर्वहन कर रहे हैं, हम सरकार में बात रखते हैं कि कृषि–उद्यान के इतने आंकड़ें, इतने फोकस हमने प्रस्तुत कर दिये हैं, लेकिन धरातल में स्थिति बहुत भिन्न होती है, आज हमारे क्षेत्र में कर्मी जैसा उद्यान का बहुत बड़ा फार्म है हम टाटा बिड़ला को उसको देते हैं लेकिन जो स्थानीय तौर पर चीज हो

सकती है उसको प्रोत्साहित करने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। आज उस क्षेत्र के उद्यान के फार्म के लिए प्रयास होना चाहिए, उद्यान विभाग के माध्यम से प्रोत्साहित करें, वहाँ के स्थानीय काश्तकारों को हम लोग यदि मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो हम सब लोगों को लगेगा कि पहाड़ के पलायन को आज गैरसैंण के बिन्दु पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत बढ़िया प्रयास रहेगा, पहाड़ की जवानी और पलायन को रोकने के लिए जो प्रयास इस गैरसैंण से जायेंगे वह निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के साथ जल और जंगल से जुड़े बिन्दु के साथ आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, आपका ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर दिलवाना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने संकल्प में कहा कि हम मंडुवे की प्रजाति को प्रोत्साहित 2-3 जनपदों में ही कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि बागेश्वर में इस मंडुवा प्रजाति को प्रोत्साहन के लिए आप लोग जा रहे हैं तो उसको जनपद बागेश्वर में ही प्रोत्साहित न किया जाये, क्योंकि कपकोट ऐसा क्षेत्र, जहाँ उच्च हिमालयन क्षेत्र, जहाँ मंडुवा, झिंगोरा और जो भी दलहन की चीजें होती हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का सृजन करने का बहुत बड़ा माध्यम है, तो इस योजना को उन पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में भी प्रोत्साहन के रूप में जोड़ा जाना चाहिए जहाँ पर आज ये योजनायें कियान्वित नहीं हो पाई हैं। मान्यवर, कपकोट और आसपास के उच्च हिमालयन क्षेत्र में उस योजना का भी लाभ मिलना चाहिए जो योजनायें प्रदेश के अन्य जनपदों में हम लोग उच्च हिमालयन जनपदों में शत प्रतिशत जैविक कृषि के माध्यम से आच्छादित योजना का पालन कर रहे हैं उस योजना को चलाने का भी भरपूर योगदान देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कम से कम वहाँ की क्लाईमेट के आधार पर जो योजना है उस योजना को हम लोग जनता के बीच में रखने का प्रयास करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूँ कि रिंगाल जैसा महत्वपूर्ण उद्योग जो स्थानीय काश्तकारों की आजीविका का प्रमुख साधन है, उस योजना को आज इस पटल पर रखा जाना चाहिए था और स्थानीय स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए था जिसके माध्यम से हम सब लोग पलायन को गाँव के अन्दर रोक सकते हैं और यह प्रचार-प्रसार उन्हीं लोगों के माध्यम से हो सकता है, जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन या तो कृषि या कृषि से सम्बन्धित जो भी समस्यायें हैं उनका समाधान करने का प्रयास है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे बिन्दुओं को उठाये जिन बिन्दुओं के माध्यम से हम लोग अपने स्थानीय कृषि व्यवस्था को बहुत मजबूत कर पायें। मान्यवर, रामगढ़ी का संतरा पूरे उत्तराखण्ड में बहुत फेमस है, लेकिन उद्यान विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है और बहुत प्रचार-प्रसार की बात करते हैं, रामगढ़ी के सन्तरे के साथ-साथ रामगढ़ी का जो कृषि अर्थ व्यवस्था है पूरे दिल्ली की मार्केट में सरस मार्केट के माध्यम से उसका प्रचार-प्रसार होता है, लेकिन वहाँ स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है, लेकिन राज्य की

सरकार के द्वारा कोई ऐसा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता है। नासमी जो थल और तेजम से लगता क्षेत्र है यहाँ पर लीची की बहुत अधिक मात्रा में व्यापार का माध्यम होता है, लेकिन हम सब को इस बात की बहुत दुःखद अनुभूति होती है कि हम उन्हें मार्केट का एक प्लेटफार्म नहीं दिला पाते हैं, जब हम लोग उद्यान जैसे विषय पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ के काश्तकारों की भावनाओं को समझते हुये, उद्यान जैसे विषय पर लीची के व्यवसाय को आगे बढ़ाकर उन सब लोगों को विपणन की मार्केट की व्यवस्था देने का प्रयास करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि कृषि, बागवानी और उद्यान के क्षेत्र में हम सब लोग आज चर्चा के माध्यम से, एक संकल्प के माध्यम से उत्तराखण्ड के इस गैरसैंण के परिसर में हम सब लोग एक बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन भी करूँगा कि आज पहाड़ की अर्थ व्यवस्था चाहे पशु धन के माध्यम से हो, चाहे कृषि और बागवानी के माध्यम से हो, इन सब बिन्दुओं को हम लोगों को छूने का प्रयास करना चाहिए और उसका प्रमुख कारण पहाड़ के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, शिक्षा जैसे विषय में वर्ष 2006 में बागेश्वर जैसे जनपद में पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत 13 हजार बच्चे प्राईमरी स्कूल में पढ़ते थे और आज मात्र 6 हजार बच्चे उन प्राईमरी स्कूलों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं, इस विषय पर चिन्ता और मनन के साथ सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस बात का मनन करना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों का पलायन किस स्तर पर मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

शिक्षा का विषय जब आगे आयेगा तब इस पर चर्चा करेंगे।

श्री ललित फर्स्वाण-

मान्यवर, कर्मी के अन्तर्गत हम लोगों ने टाटा को हर्बल के तौर पर थुनेर प्रजाति को विकसित करने के लिए दिया है। हम लोग चाहते हैं इस सदन के माध्यम से कि आज कर्मी का फार्म हमारे पास है और स्थानीय काश्तकारों को उसमें सहभागिता दी जाये और उसके माध्यम से जो सेब, सन्तरा और जो स्थानीय स्तर पर चीजें हो सकती हैं उसका प्रचार-प्रसार और उसके विपणन की व्यवस्था और उसके मार्केटिंग की व्यवस्था उस माध्यम से किया जाये। मान्यवर, जिला भेषक जो संघ है जिनका काम कृषि अर्थ व्यवस्था के साथ-साथ हमारे जो पशुधन प्रसार के तौर पर जो भी भीमल या खड़म के पेड़ या प्रजाति के तौर पर या जो पशुधन को बढ़ाने के लिए जो प्रचार-प्रसार का माध्यम है, इन सब ऐसी एजेन्सियों को पहाड़ के अन्तर्गत विकसित करने के लिए प्रयास किया जाए, जिनके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो कृषि और उद्यान के तौर पर जो आने वाली पीढ़ी है वह पलायन नहीं करेगी और हार्टीकल्चर के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हम सब लोगों ने प्रयास किये हैं, वे सराहनीय प्रयास

निश्चित तौर पर सरकार ने किये हैं, लेकिन उन सब बिन्दुओं को छूने का प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए और ऐसे एक जिम्मेदार जिला स्तर के अधिकारी चाहे जिला उद्यान के अधिकारी हों, चाहे जिला कृषि अधिकारी हों उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की जिम्मेदारी का दायित्व फिक्स किया जाये कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप लोगों ने कहाँ तक किया है, उस टार्गेट को बताने का पूरा प्रयास करें। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि आज की इस चर्चा में जिन बिन्दुओं को हमने रखने का प्रयास किया, सरकार उन बिन्दुओं को अमल करे और उन बिन्दुओं में सरकार के माध्यम से जनता की सहभागिता निश्चित तौर पर आगे बढ़े और उन बिन्दुओं को एक अच्छे पद चिन्ह के तौर पर जनता के बीच में लाकर प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करें और पर्वतीय क्षेत्र की भावनायें कृषि से सम्बन्धित हैं और प्रचार-प्रसार के तौर पर पर्वतीय क्षेत्र की कृषि को आगे बढ़ायेंगे तो हम सब लोगों को आगे आने वाले समय में पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के सड़कों की ज्वलंत मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उन सब समस्याओं का समाधान स्थानीय तौर पर हो सकता है और पर्वतीय क्षेत्र के बन्दरों से निजात की जो समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, बन्दरों से आज हम सब लोगों को जूझना पड़ रहा है तो इस पर सरकार को सबसे ज्यादा अहम बिन्दु पर सब लोगों को सुझाव देने चाहिए और मैं चाहूँगा कि आज सरकार यहाँ पर है, माननीय नेता सदन यहाँ पर बैठे हैं। मान्यवर, आज यदि पर्वतीय क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को मजबूत करना है तो कम से कम ऐसे जंगली जानवरों से बची हुई कृषि क्षेत्र को बचाना चाहिए। इस संकल्प के माध्यम से आपने चर्चा में भाग लेने का जो अवसर दिया, इस अवसर के लिए मैं अपने को कृतज्ञ समझता हूँ। चूंकि उत्तराखण्ड के लोगों की दिलों की जो धड़कन, जिस भावना को हमने अपने दिल में रखा है। गैरसैंण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में चर्चा हो आज यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र की मूल परिकल्पना शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्यान के क्षेत्र में चर्चा हो रही है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय नेता सदन को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में चाय बगान का बहुत अच्छा प्रचार-प्रसार है, लेकिन सरकार की कोई ऐसी एजेंसी उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है, जिसका लाभ आम जनता तक पहुँच पाये। एक मात्र प्राईवेट ऐजेंसी की फैक्ट्री जिस प्रकार से मनमर्जी कर रही

है आज सरकार चाहे तो वहाँ पर फैक्ट्री लगाये, ताकि वहाँ की हजारों-हजार भूमि पर जो काश्तकारों ने चाय के बागान रोपित किये हैं, उन सभी काश्तकारों को लाभ मिल सके। मान्यवर, एक काश्तकार को मात्र 10 रु० किलो जो चाय पत्ती का भुगतान किया जा रहा है, जिससे आज काश्तकारों में कहीं न कहीं असंतोष की भावना जाहिर हो रही है। इसलिए मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय नेता सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार की कोई ऐसी एजेंसी चाय फैक्ट्री के माध्यम से वहाँ पर कार्य करे, ताकि जिसका लाभ वहाँ की जनता को मिले।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा जारी रहेगी।

राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें संकल्प पर चर्चा

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)--

मान्यवर, अतिमहत्वपूर्ण एक चर्चा जो कृषि से सम्बन्धित हुई। दो संकल्प प्रस्तुत हुए थे, उसमें प्रथम संकल्प माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और हमारे तमाम साथियों ने जो महसूस कर रहे थे कि पलायन पर्वतीय क्षेत्र से कैसे रुके, रोजगार कैसे मिले और क्या वे संसाधन अपनाये जा सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ें, इसी भावना से यह संकल्प आया है। आज आपने तीन घंटे चर्चा कराकर पर्याप्त समय सभी साथियों को दे दिया और अब यह जमीन पर उतरना चाहिए हमारा संकल्प यह है। मान्यवर, दूसरा संकल्प कृषि और शिक्षा से जुड़ा हुआ है जो पर्वतीय क्षेत्रों की रीढ़ भी है, देश की रीढ़ भी है और राज्य की भी रीढ़ है। मैं इसका प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। और इस पर चर्चा कल की जायेगी।

"राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी,

उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

मान्यवर, यह संकल्प ही पूरी तरह से स्पष्ट है इस पर विस्तार से चर्चा यदि आपकी अनुमति हो तो कल की जाय।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

मद संख्या–32

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश में महिला सशक्तीकरण हेतु सशस्त्र पुलिस में महिलाओं को आरक्षियों के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" सदस्य विधान सभा की सूचना पर नियम–51के अन्तर्गत चर्चा

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य की पूरी सूचना मेरे पास उपलब्ध है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं पूरी सूचना उनको उपलब्ध करा दूंगी।

कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन–

मान्यवर, ठीक है।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मालचन्द, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री आदेश चौहान, श्री चन्दन राम दास, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री ललित फर्स्वाण तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान की सूचना जो कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 (रानीपुर) के शिवालिक नगर में वर्ष 2012 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई एस0 व टी0 कलस्टर सड़क का पुनर्निर्माण न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की सूचना जो कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आवागमन में

तीर्थयात्रियों व स्थानीय जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्राथमिक विद्यालय जिगुड़ा का भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश) का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिगुड़ा विकास खण्ड कनालीछिना जनपद पिथौरागढ़ के विद्यालय भवन की छत क्षतिग्रस्त है। यह भवन वर्ष 1999 में निर्मित हुआ है। वर्तमान में विद्यालय में 07 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत् हैं तथा विद्यालय में 02 अध्यापक कार्यरत हैं। विद्यालय भवन की छत के जीर्णोद्धार हेतु सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को सुसंगत मद के अन्तर्गत उक्त विद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु आगणन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश) का केवल वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत राज्य मार्ग संख्या–09 लक्ष्मणझूला–काण्डी–दुगड्डा–पूमाकोट मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 189 कि0मी0 है। गत वर्ष वर्षाकाल के दौरान अतिवृष्टि से मार्ग के विभिन्न स्थानों पर पैच मरम्मत का कार्य कराया गया है। इस मार्ग के कि0मी0 31 से 35 तक, कुल 05 कि0मी0 तथा कि0मी0 42 से 43 तक 02 कि0मी0 इस प्रकार कुल 07 कि0मी0 का नवीनीकरण स्वीकृत है, जिसके लिये निविदा उपरान्त ठेकेदार से अनुबन्ध निष्पादित करवाकर कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है, जो दिनांक 30 जून, 2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसी प्रकार कि0मी0 88 से 96 तक कुल 09 कि0मी0 एवं कि0मी0 169 से 172 तक कुल 04 कि0मी0, इस प्रकार कुल 13 कि0मी0 अंश का भी नवीनीकरण स्वीकृत है, जिसकी निविदा कर ली गई है और शीघ्र ही अनुबन्ध गठन एवं कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों के पुनर्निर्माण का कार्य एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड इमरजेन्सी असिस्टन्स प्रोजेक्ट (रोड्स एण्ड ब्रिजस) के अन्तर्गत भी चयनित है, जिसकी डी0पी0आर0 कन्सलटेन्ट के माध्यम से तैयार करवायी जा रही है। डी0पी0आर0 तैयार होने पर राज्य की "उच्चाधिकार प्राप्त समिति" से डी0पी0आर0/कार्य अनुमोदित कराकर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही यथासंभव शीघ्र की जायेगी।]

नोट[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 07 बजकर 35 मिनट पर मंगलवार दिनांक 11 जून, 2014 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

गैरसैंण:

दिनांक 10 जून, 2014

जगदीश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिए स्थगित तारांकित प्रश्न–01 का उत्तर पीछे पृष्ठ–2 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मदन कौशिक, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–*1 के उत्तर का संलग्नक

1. चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद का जिला योजना का बजट निम्नवत् है–

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	सामान्य (अनुदान संख्या–7)	एस0सी0पी0 (अनुदान संख्या–30)	टी0एस0पी0 (अनुदान संख्या–31)	योग
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल	415935	94770	15795	526500
2.	ऊधमसिंह नगर	439635	100170	16695	556500
3.	अल्मोड़ा	442953	100926	16821	560700
4.	पिथौरागढ़	425336	96912	16152	538400
5.	बागेश्वर	353367	80514	13419	447300
6.	चम्पावत	345783	78786	13131	437700
7.	देहरादून	589419	134298	22383	746100
8.	पौढ़ी	711000	162000	27000	900000
9.	टिहरी	564139	128538	21423	714100
10.	चमोली	440109	100278	16713	557100
11.	उत्तरकाशी	453618	103356	17226	574200
12.	रूद्रप्रयाग	344598	78516	13086	436200
13.	हरिद्वार	399108	90936	15156	505200
	योग	5925000	1350000	225000	7500000

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मदन कौशिक, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–*1 हेतु अनुपूरक सामग्री।

राज्य में नियोजन विभाग द्वारा जिला योजना के संदर्भ में जनपदवार परिव्यय निर्धारित किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष (2014–15) के लिये जनपदवार निर्धारित परिव्यय एवं उसके सापेक्ष आवंटन का विवरण संलग्न है।

1. चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जनपद का जिला योजना का बजट निम्नवत् है–

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय	आवंटन की स्थिति			
			सामान्य (अनुदान संख्या–7)	एस0सी0पी0 (अनुदान संख्या–30)	टी0एस0पी0 (अनुदान संख्या–31)	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	नैनीताल	526500	415935	94770	15795	526500
2.	ऊधमसिंह नगर	556500	439635	100170	16695	556500
3.	अल्मोड़ा	560700	442953	100926	16821	560700
4.	पिथौरागढ़	538400	425336	96912	16152	538400
5.	बागेश्वर	447300	353367	80514	13419	447300
6.	चम्पावत	437700	345783	78786	13131	437700
7.	देहरादून	746100	589419	134298	22383	746100
8.	पौड़ी	900000	711000	162000	27000	900000
9.	टिहरी	714100	564139	128538	21423	714100
10.	चमोली	557100	440109	100278	16713	557100
11.	उत्तरकाशी	574200	453618	103356	17226	574200
12.	रूद्रप्रयाग	436200	344598	78516	13086	436200
13.	हरिद्वार	505200	505200	90936	15156	505200
	योग	7500000	7500000	1350000	225000	7500000

नत्थी 'ख'

(देखिए स्थगित तारांकित प्रश्न–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ–41 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–11 का संलग्नक

(1) उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में वर्ष 2007 से अब तक तैनात कार्मिकों/श्रमिकों का विवरण–

क्र0सं0	जनपद/तैनाती स्थल	उपनल के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	पी0आर0डी0 के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	योग
1.	देहरादून	04	03	07
2.	चमोली	01	–	01
3.	पौड़ी	01	–	01
4.	दिल्ली	01	–	01
	योग	–	–	10

(2) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष 2007 से अब तक तैनात कार्मिकों/श्रमिकों का विवरण–

क्र0सं0	जनपद/तैनाती स्थल	उपनल के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	पी0आर0डी0 के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	योग
1.	देहरादून	04	10	14
2.	चमोली	–	01	01
3.	उत्तरकाशी	–	01	01
4.	नैनीताल	–	01	01
5.	पिथौरागढ़	–	01	01
	योग	–	–	18

(3) सिडकुल द्वारा वर्ष 2007 से अब तक तैनात कार्मिकों/श्रमिकों का विवरण–

क्र0सं0	जनपद/तैनाती स्थल	उपनल के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	पी0आर0डी0 के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	योग
1.	देहरादून	52	–	52
	योग	–	–	52

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधान सभा/246–15–10–2015–25 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।